खण्ड-164, अंक-3
बुधवार, 21 पौष, शक संवत् 1877
(11 जनवरी, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 164 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

LEGISL... 7 MAY 1956 UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ११ जनवरी, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदोन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
विशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री

भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल गौतम , श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रासाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल , श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री

लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली, सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिव वचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर दास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय, गुप्त, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

LEGISL... LIBRARY ... PRADESH 7 MAY ...

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ११ जनवरी, १९५६

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

अमरोहे में साहू जगदीश शरण द्वारा प्रदत्त भूमि पर जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने का आयोजन

**१—श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अमरोहे के साहू जगदीश शरण ने कोई जमीन child maternity centre बनाने के लिये सरकार को दी है ?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—जी हां। जच्चा-बच्चा केन्द्र खुलने के आदेश जारी हो रहे हैं।

श्री मुहम्मद तकी हादी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सेंटर को खोलने की उम्मीद कब तक की जा सकती है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)—कदाचित इस वर्ष के अन्त तक खुल जायगा।

तारांकित प्रश्न

सरकारी कर्मचारियों के कुटुम्ब की चिकित्सा व्यय की भरपाई के नियमों में परिवर्तन का विचार

*१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारियों के कुटुम्ब के सदस्यगण यदि ऐसे स्थान पर बीमारी का इलाज कराते हैं जो सरकारी कर्मचारी का ड्यूटी स्टेशन नहीं है तो सरकार उन्हें आर्थिक सहायता नहीं देती है ?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बनारसीदास)—जी नहीं।

निम्न सूरतों में उनकी चिकित्सा व्यय की भरपाई होती है —

(१) जब सरकारी कर्मचारी स्थानान्तरित हो जाता है और नये स्थान पर भवन न मिलने से उसका कुटुम्ब दूसरे स्थान पर रहने पर मजबूर होता है। या

(२) जब वह लम्बी छुट्टी लेकर चिकित्सा के अतिरिक्त किसी और कार्य से अपने कुटुम्ब के साथ दूसरे स्थान पर जाता है तो सरकारी आदेश दिनांक ७ जुलाई, १९५४ या २९ दिसम्बर, १९५४ में दी हुई शर्तों के अनुसार उसके कुटुम्ब की चिकित्सा व्यय की भरपाई होती है। इन आदेशों की प्रतिलिपि माननीय मेम्बर की मेज पर रख दी गई है।

(३) इसके अतिरिक्त अगर किसी और उचित कारण से सरकारी कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्य उससे अलग रह कर किसी और स्थान पर नियमानुसार चिकित्सा कराते हैं तो सरकार उसके व्यय की भरपाई के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है और उचित मामलों में नियमों के प्रतिबन्ध हटा कर विशेष स्वीकृति प्रदान करती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४१–२४३ पर)

*२—श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी—यदि हां, तो क्या सरकार इस नियम में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बनारसी दास—पहले बताये गये सरकारी आदेशों से नियम में एक हद तक परिवर्तन तो हो ही गया है। हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने अपने चिकित्सा सम्बन्धी नियमों से कुटुम्ब के कर्मचारी के साथ रहने की शर्त भी हटा दी है। यह सरकार भी ऐसा ही परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही है।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या यह सत्य है कि कर्मचारियों की रिइम्बर्समेंट की दरख्वास्तें इसलिये नामंजूर कर दी जाती हैं कि उनके कुटुम्ब के लोग उन कर्मचारियों की ड्यूटी की जगह पर इलाज नहीं कराते ?

श्री बनारसी दास—इस तरह की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गर्मी की छुट्टियों में स्कूल मास्टरों के कुटुम्ब जब अपना इलाज दूसरी जगह कराते हैं तो उनको सरकार आर्थिक सहायता नहीं देती, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—यह तो पहले प्रश्न के उत्तर में दूसरे पैरा के अन्तर्गत बताया जा चुका है।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बतायेगी कि इन नियमों में परिवर्तन कब तक हो जायगा ?

श्री बनारसी दास—केन्द्रीय सरकार का वह पत्र आ गया है उसके ऊपर विभाग के अन्दर विचार किया जा रहा है। आशा है शीघ्र ही उन नियमों में परिवर्तन हो जायगा।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार सुविधाप्राप्त सरकारी कर्मचारियों की कौन-कौन सी श्रेणियां हैं ?

श्री बनारसी दास—सभी सरकारी कर्मचारी उसके अन्तर्गत आते हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सही है कि यदि इलाज ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहां सरकारी अस्पताल न हो तो क्या ऐसे समय पर कुटुम्ब के लोगों को आर्थिक सहायता नहीं दी जाती ?

श्री बनारसी दास—इसके लिये चिकित्सा सम्बन्धी नियम हैं और उनके इलाज के जो अधिकारी हैं वे ही उनका इलाज करते हैं और उसी के अनुसार रिइम्बर्समेंट होता है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नान-गजेटेड आफीसर्स, सीनियर और जूनियर मिनिस्टीरियल सर्विस के कर्मचारी भी इस श्रेणी में आते हैं या नहीं ?

श्री बनारसी दास—जी हां, सभी सरकारी कर्मचारी इन नियमों के अन्तर्गत आते हैं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार को विदित है कि अब जब जिलों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत बढ़ गई तो उनका इलाज सरकारी डाक्टरों के द्वारा कराने के लिये आवश्यक है कि सरकारी डाक्टरों की संख्या में वृद्धि की जाय, क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ?

श्री बनारसी दास—जिस प्रकार से जिलों के अन्दर कार्य अधिक हुआ है उसी अनुपात से प्रत्येक सरकारी अस्पतालों के अन्दर जहां आवश्यक हुआ है डाक्टरों की संख्या बढ़ा दी गई है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियमानुकूल लम्बी छुट्टी से उनका क्या तात्पर्य है?

श्री बनारसी दास—लम्बी छट्टी से तात्पर्य यह है कि अर्न्ड लीव होती है। अगर वह छुट्टी किसी की वाजिब है तो वह कई-कई महीने तक दी जा सकती है और यदि कोई आदमी विदाउट पे ले लेते हैं तो या और किसी विशेष कार्य से कोई विशेष परिस्थितियों के अन्दर छट्टी ले लेते हैं।

*३-५—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—[१५ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*६-७—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)—[३१ जनवरी, १९५६ के लिये प्रश्न ५५-५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*८-९—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—[१७ जनवरी, १९५६ के लिए प्रश्न ६७-६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गवर्नमेंट प्रेस एम्प्लायईज़ ऐसोसियेशन, इलाहबाद के शिष्ट मंडल का सभा सचिव श्री बनारसी दास से मिलना

*१०—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के गवर्नमेंट प्रेस के कर्मचारियों का कोई डेपुटेशन सभा सचिव श्री बनारसी दास जी से १६ सितम्बर को मिला था?

श्री बनारसी दास—जी हां।

*११—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद गवर्नमेंट प्रेस कर्मचारियों की आज्ञा न मानने की शिकायत स्थानीय सुपरिन्टेन्डेंट प्रेस ने सरकार के पास लिखित भेजी है? यदि हां, तो क्या?

श्री बनारसी दास—जी हां, किन्तु उक्त शिकायतों का विवरण शासकीय दृष्टि से बताना उचित न होगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि वहां के कर्मचारी खुले तौर पर राजनीतिक पार्टियों में दफ्तर के समय में काम करते हैं?

श्री बनारसी दास—इस तरह की कोई शिकायत सरकार के पास तो नहीं आई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि जब मंत्री महोदय प्रयाग गये थे तो वहां उन्होंने यूनियन के एलेक्शन में हिस्सा भी लिया था?

श्री बनारसी दास—यह मैं नहीं समझ पाया कि हिस्सा लेने से उनका क्या मतलब है लेकिन जब वे इलाहाबाद गये थे तो वहां पर जो यूनियनों के चुनाव हुये थे उनको उन्होंने देखा भी था।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतालायेंगे कि जो डेपूटेशन उनसे १६ सितम्बर को मिला था वह गवर्नमेंट प्रेस इम्प्लाईज़ असोसियेशन नाम की संस्था का था?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह सही है।

श्री हमवती नन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त असोसियेशन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है ?

श्री बनारसी दास—जी हां ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि उक्त संगठन के प्रतिनिधियों को सरकार से मिलने के सम्बन्ध में उनके सभापति द्वारा उनके यहां आने के पहले ही सरकार से आज्ञा मिल चुकी थी ?

श्री बनारसी दास—जी हां।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिस चुनाव के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने अभी उनका ध्यान दिलाया वह एक यूनियन का चुनाव नहीं बल्कि दो यूनियनों के पारस्परिक संगठन सम्बन्धी आंकड़े जानने के लिए था ?

श्री बनारसी दास—जी हां, दोनों यूनियनें दावा करती थीं कि वहां के मजदूरों का बहुमत उनको प्राप्त है। इसलिये वहां पर मजदूरों का मत मालूम किया गया कि किस यूनियन को कितने मत प्राप्त हैं और कौन सी मान्य हो सकती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह किस हैयसियत से उस चुनाव में शरीक हुये थे ? एक आबजर्वर की हैसियत से या और किसी हैसियत से ?

श्री बनारसी दास—यह तो गवर्नमेंट को निर्णय करना पड़ता है कि किस यूनियन को मान्यता दी जाय। चूंकि वहां पर झगड़ा बढ़ रहा था इसलिये माननीय मंत्री जी भी गये थे और उन्होंने मुझे भी आदेश दिया था कि मैं वहां जाकर वहां की दोनों यूनियनों के समर्थकों का मत मालूम करूं और मैंने वहां जाकर वहां के भी कर्मचारियों और प्रेस अधीक्षक की सहायता से यह निर्णय कियां।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि उनके पास गवर्नमेंट प्रेस इम्प्लाईज़ असोसियेशन के उक्त शिष्टमंडल द्वारा जो शिकायतें दी गई थीं उनमें सुपरिन्टेन्डेंट के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि उनका व्यवहार मजदूरों के प्रति अच्छा नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार के पास बहुत सी ऐसी शिकायतें सरकारी कर्मकारियों के बारे में आती हैं और सरकार जहां तक होता है उनकी जांच करती है और यदि जांच करने के बाद उनमें तथ्य निकलता है तो उसका उपचार भी करती है। शिकायतें वहां के अधीक्षक के विषय में आयीं। मुझ से भी कई दफा कहा गया और जो मैंने मुनासिब समझा और कार्य चलाने के लिये ठीक समझा उसके लिये उचित आदेश समय-समय पर दिये। वैसे मैं इस बात का ध्यान रखता रहा हूं कि अधीक्षक और उनके मातहत काम करने वालों में सद्भावना बढ़े क्योंकि बिना सद्भावना के सहयोग के वह कार्य सम्पादित नहीं किये जा सकते जिनकी जिम्मेदारी कर्मचारियों के ऊपर भी है और अधीक्षक पर भी है।

इलाहाबाद जिले में खुलने वाले एन० ई० एस० ब्लाक

*१२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कितने एन० ई० एस० ब्लाक अब तक खुले हैं और कितने खोलने का आयोजन है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)---अब तक इलाहाबाद जिले में तीन एन० ई० एस० ब्लाक खुल चुके हैं। करछना और बहादुरपुर में जनवरी १९५६ में ब्लाक खोलने का प्रश्न विचाराधीन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इलाहाबाद जिले में लगभग २२ और एन० ई० एस० ब्लाक खोलने की योजना है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो तीन ब्लाक खुले हुये हैं यह किन तहसीलों में हैं ?

श्री फूल सिंह---तहसीलों की सूचना मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य तो स्वयं उस जिले के रहने वाले है, जानते होंगे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा करके बतलावेंगे कि जो २२ ब्लाक खुलने वाले हैं वह किन तहसीलों में खोले जावेंगे ?

श्री फूलसिंह---यह भी मैं नहीं कह सकता। आम तौर से ब्लाक खोलने के बारे में जिला प्लानिंग कमेटी से मश्विरा किया जाता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि करछना का ब्लाक २६ जनवरी सन् १९५६ से खोलने का निश्चय हुआ ?

श्री फूलसिंह---ऐसी संभावना है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन तीनों ब्लाकों में क्या कार्य हो रहा है ?

श्री फूल सिंह---यह तो बहुत ब्योरे का प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो २२ ब्लाक इलाहाबाद जिले में खोलने का विचार है वह किस तरह से, एक-एक करके या सब एक साथ खोले जायेंगे ?

श्री फूल सिंह---पांच साल में ये सब ब्लाक्स खुल जायेंगे ; उसका प्रोग्राम बन गया है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो २२ एन० ई० एस० ब्लाक्स इलाहाबाद जिले में खुलेंगे उनके खुल जाने के बाद कितना हिस्सा उस जिले का ऐसा होगा जहां खुलने से रह जायगा ?

श्री फूलसिंह---कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। जितने ब्लाक्स खोले गये हैं उसके अलावा एक कम्यूनिटी प्रोजेक्ट भी इलाहाबाद में है।

आगरा मेडिकल कालेज के लिये प्राप्त की गयी भूमि के भुगतान में गड़बड़ी

*१३---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा मेडिकल कालेज के लिये भूमि प्राप्त करने के संबंध में हिसाब-किताब की गड़बड़ी के कारण कितना रुपया अधिक भुगतान हो गया और उसे प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये ?

श्री बनारसी दास ---इस संबंध में २,११,४४१ रु० ७ आ० का अधिक भुगतान हो गया था। इसमें से ३,५३१ रु० ८ आ० अब तक वसूल किए जा चुके हैं, ४४,९७८ रु० की वसूली के लिए दीवानी अदालत में अभियोग दाखिल कर दिए गए हैं तथा शेष धन के लिए अभियोग दाखिल किए जा रहे हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह जो अधिक भुगतान हुआ उसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी पर थी ?

श्री बनारसी दास—इसकी मुख्यतः जिम्मेदारी तो श्री जेड० ए० हाशमी पर थी जो डिस्ट्रिक्ट लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर थे। इसके अतिरिक्त उनके बाद के अधिकारी श्री आर० टी० मोहन और श्री गंगाधर जाटव जो मुआविजा आफिसर थे और एक आवकाश प्राप्त तहसीलदार तथा दो पटवारी श्री चन्द्रभानु और श्री घनश्याम दास पर भी थी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या यह सही है कि लैंड एक्वीजीशन आफिसर श्री जैदी अधिक भुगतान करके पाकिस्तान चले गये ?

श्री बनारसी दास—जैदी तो नहीं, हां हाशमी साहब यह सही है कि पाकिस्तान चले गये और उनको डिसमिस कर दिया गया।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अधिक भुगतान कैसे हो गया ?

श्री बनारसी दास—यह तो बतलाया जा चुका है कि चूंकि लैंड एक्वीजीशन आफिसर वे थे; उनको जितना रुपया अदा करना चाहिये था उससे ज्यादा उसकी कीमत का अन्दाजा लगा कर दे दिया।

श्री परमेश्वरी दयाल (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि और जिन अधिकारियों की गलती से अधिक भुगतान हो गया उनको क्या सजा दी गई ?

श्री बनारसी दास—श्री आर० टी० मोहन जो श्री हाशमी के बाद में नियुक्त किये गये थे उनकी कर्त्तव्य की अवहेलना और लापरवाही के लिये भर्त्सना की गई और श्री गंगाधर जाटव की दो साल के लिये एफिशियेंसी बार रोक दी गई और करेक्टर रोल में ऐंट्री कर दी गई और दो पटवारी चन्द्र भानु और घनश्याम दास को बरखस्त कर दिया गया था लेकिन अपील में बहाली हो गई।

*१४-१५—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[१३ जनवरी, १९५६ के लिये प्रश्न २९-३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आजमगढ़ जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में निर्माण कार्य

*१६—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन-कौन से निर्माण कार्य आरम्भ होने वाले हैं ?

श्री फूल सिंह—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४४ पर)

श्री विश्राम राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ८१ हजार रुपये जो फ्लड पोस्ट्स के लिये प्रस्तावित है उसमें से ५१ हजार रुपये शासन द्वारा क्यों नहीं दिये गये और क्या बरसात के पहले ऐसी व्यवस्था हो जायगी कि ये फ्लड पोस्ट्स तैयार हो जायं ?

श्री फूल सिंह—यह ८१ हजार रुपये जो खर्च होंगे उनमें से ३० हजार रुपये स्थानीय सहायता से प्राप्त होने को थे। अब तक शासन द्वारा केवल १० हजार रुपये प्राप्त हुए हैं और बाकी रुपयों के लिये कोशिश की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या नियोजन मंत्री बतलायेंगे कि ये फ्लड पोस्ट्स बरसात के पहले बन कर तैयार हो जायंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस बात की चेष्टा की जा रही है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि बाढ़ क्षेत्र के गरीब मजदूरों की सहायता के लिये टेस्ट वर्क बाढ़ क्षेत्र की ही सड़कों पर क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री फूल सिंह—बाढ़ क्षेत्र की सड़कों पर तो काम हो रहा है और संभवतः और सड़कें भी इसमें ले ली जायंगी।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिले के किस-किस भाग में यह कार्य आरम्भ किये जा रहे हैं ?

श्री फूल सिंह—यह तो बहुत ब्योरे का प्रश्न है। तीन चार तरह की योजनायें चल रही हैं। एक तो इनमें फ्लड रिलीफ पोस्ट्स पर काम किया जा रहा है, कुछ सड़कों पर काम किया जा रहा है, और कुछ कम्युनिटी शेड्स बनाये जा रहे हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो टेस्ट वर्क पर काम हो रहा है और जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको क्या मजदूरी दी जा रही है ?

श्री फूल सिंह—यह सूचना मेरे पास यहां मौजूद नहीं है।

नियोजन अनुदान की मद से स्कूलों को सहायता

*१७—श्री उमा शंकर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में सन् १९५३-५४ और १९५४-५५ म योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्लानिंग अनुदान के मद में कितना-कितना रुपया किस-किस स्कूल को दिया गया है ?

श्री फूल सिंह—†सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

श्री उमा शंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जिन जिलों के स्कूलों को नियोजन मद से कोई रकम नहीं मिली है उनके क्या कारण हैं ?

श्री फूल सिंह—यह अधिकार प्लानिंग कमेटी का है और जिला प्लानिंग कमेटी वहां की स्थिति देख कर इसको मंजूर करती है।

श्री उमा शंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि प्लानिंग कमेटी को यह निर्देश सरकार करती है कि वह किस मद में कितना रुपया खर्च करेगी ?

श्री फूल सिंह—अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं है। मगर यह समझा जाता है कि यह सारा जो रुपया दिया जाता है स्कूलों को यह कंट्रीब्युटरी बेसिस पर दिया जायगा ताकि कुछ संस्थाएं भी अपना रुपया इकट्ठा करें और कुछ सरकार की तरफ से मिले।

जौनपुर जिले में बुनकरों की सहायता के लिये कार्य

*१८—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत ५ वर्षों में जौनपुर जिले में बुनकरों के हित में उनकी सहायतार्थ कौन-कौन से कार्य किये गये हैं ?

श्री बनारसी दास—इस जिले में २९ बुनकर सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं जिनमें २ उत्पादन समितियां हैं। दो बिक्री केन्द्र और एक रंगाई घर खोले गये हैं। बुनकर सहकारी समितियों को १०,४८५ रुपया २ आना ३ पाई की आर्थिक सहायता दी गई है।

---

†सूची छापी नहीं गई।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दो बुनकर केन्द्रों से कहां-कहां माल किस दर पर सप्लाई किया जाता है ?

श्री बनारसी दास—यह जो कपड़ा बनता है वैसे जो यहां पर गवर्नमेंट एम्पोरियम्स हैं वहां भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त जहां पर मांग होती है वहां पर भेजते हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आर्थिक सहायता दी गयी है उससे बुनकरों की आर्थिक दशा में क्या परिवर्तन हुआ है ?

श्री बनारसी दास—उससे कुछ तो उन्नतिशील यन्त्र दिये गये हैं जिससे उनका काम बढ़ा। इसके अतिरिक्त यह सहायता देने से उनको बिक्री बढ़ी है। उनके हालत के अन्दर इस प्रकार सुधार हुआ है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उत्पादन केन्द्र कहां-कहां खोले गये हैं और रंगाई का केन्द्र कहां खोला गया है ?

श्री बनारसी दास—ये प्रोडक्शन सोसाइटीज डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन, लिमिटेड, जौनपुर, करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, शेरपुर, जौनपुर और हैन्डलूम कोआपरेटिव सेल डिपो, शाहगंज और रंगाई के लिए डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लि०, डाई हाउस, जौनपुर।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बुनकरों को सहायता किस आधार पर दी गयी है और कितने बुनकरों को दी गयी है ?

श्री बनारसी दास—कितने बुनकरों को दी गयी, वह अलग-अलग तो दी नहीं जाती। सोसाइटीज को दी जाती है। यह सहायता एक तो ऋण की शक्ल में दी गयी। दूसरे अनुदान दिया गया। तीसरे रिबेट की शक्ल में और चौथे उन्नतिशील यंत्रों की शक्ल में। कुल मिलाकर जैसा कि बताया गया १०,४८५ रु० की सहायता होती है।

इटावा जिले में नियोजन समिति को दिये गये धन का व्यय

*१९—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—क्या नियोजन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले की प्लानिंग कमेटी को सन् ५३-५४ ई० व सन् १९५४-५५ ई० में कितना धन राज्य सरकार द्वारा जनहित कार्य के लिये दिया गया था ?

श्री फूल सिंह—इस कार्य के लिये सन् १९५३-५४ में १,८५,८६२ रुपया और सन् १९५४-५५ में ८,८५,०२५ रुपया दिया गया।

*२०—श्री मिहरबान सिंह—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस धन में से वहां के अधिकारियों द्वारा कितना-कितना धन अलग-अलग वर्ष में जनहित कार्यों में व्यय किया गया है ?

श्री फूल सिंह—इसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४२-२४३ पर।)

श्री मिहरबान सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्षों में जो करीब पौने ग्यारह लाख रुपया जनहित कार्यों के लिए दिया गया था उसमें करीब सवा लाख रुपया केवल वहां के अधिकारियों ने खर्च किया है इसका क्या कारण है ?

श्री फूल सिंह—जो खर्चे की फेहरिस्त माननीय सदस्य महोदय की मेज पर रखी गयी है उसके अलावा २ लाख १० हजार रुपया और खर्च हुआ है और बाकी रुपया खर्च करने के लिए जिला प्लानिंग कमेटी का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

श्री मिहरबान सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां के कार्यालय जहां जनहित के कार्य हुए हैं उनको काफी समय तक प्लानिंग से जो इमदाद मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल सकी, इस लिए वहां काम नहीं हो सका, क्या यह सही है ?

श्री फूल सिंह—यह तो मैं नहीं कह सकता कि जो प्रश्न किया गया है वह सही है या नहीं पर ऐसे आदेश चले गए हैं जिलों को कि हर काम के लिये एक अवधि मुकर्रर होनी चाहिए और अगर काम उस अवधि में समाप्त न हो या आरम्भ भी न हो तो वह कैंसिल कर दिया जाय उसका एलाटमेंट । मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से अब सभी काम जल्दी-जल्दी समाप्त हो जायंगे ।

सीतापुर जिले में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये आयोजन

*२१—**श्री बशीर अहमद हकीम** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार एक ऐसी सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी जिससे यह जानकारी हो कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक जिला सीतापुर को प्लानिंग विभाग द्वारा कुटीर उद्योग की उन्नति के लिये कितना रुपया दिया गया और किस-किस पर कितना-कितना खर्च हुआ ?

श्री फूल सिंह—सीतापुर में क्योंकि अभी कोई सामुदायिक विकास योजना नहीं है इस लिये नियोजन विभाग से कुटीर उद्योग की उन्नति के लिये रुपया नहीं दिया गया । उद्योग विभाग द्वारा यह काम सम्पादित हो रहा है और इस पर लगभग ४२,३०० रु० प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक खर्च किया जायेगा ।

श्री बशीर अहमद हकीम—क्या सरकार बतायेगी कि यह ४३,३०० रु० क्या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग विभाग से ट्रांसफर करके उद्योग विभाग को दिया गया है ?

श्री फूल सिंह—जी नहीं, वह तो अलग-अलग स्कीमें हैं कुटीर उद्योग की ।

श्री बशीर अहमद हकीम—क्या यह ४३,३०० रु० तीन महीने के अन्दर खर्च किया जा सकता है ?

श्री फूल सिंह—यह तो अगले पांच साल में खर्च होगा ।

आगरा जिलान्तर्गत वाह तहसील में पक्के कुंओं के निर्माणार्थ वितरित तकावी की वसूली के सम्बन्ध में शिकायत

*२२—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)—क्या सरकार को विदित है कि तहसील वाह, जिला आगरा में पक्के कुओं के निर्माण के लिये दी गई ५०० रु० की तकावी जो उनके बनने पर सबसिडी में परिणत हो गई थी काश्तकारों से वसूल की जा रही है ?

श्री फूल सिंह—जी नहीं ।

*२३—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**—क्या सरकार की नोटिस में ऐसा भी कोई केस आया है जिसमें तकावी स्वीकृत होकर दी नहीं गई किन्तु फिर भी उसकी अदायगी की मांग की जा रही है ?

श्री फूल सिंह—जी हां। पक्के कुओं की योजना के अन्तर्गत जिन काश्तकारों को तकावी स्वीकृत हुई थी उनको नकद रुपया न देकर निर्माण सामग्री प्राप्त करने के लिए परमिट दिए गए। कुछ काश्तकारों ने विभिन्न कारणवश निर्माण सामग्री नहीं ली और न ही उन्होंने बिना उपयोग किए गए परमिट वापिस किए। चूंकि तकावी का रुपया ऐसे काश्तकारों के नाम कागजात में चढ़ चुका था उनसे अदायगी की मांग की गई। लेकिन काश्तकारों के परमिट वापस करने पर उनसे तुरन्त वसूली रोक दी गई और उचित जांच के लिए आदेश दिए गए।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत आयी कि जिन लोगों ने अपने कुवें बना लिये थे उनसे भी यह जो तकावी दी गई थी उसकी मांग की गई थी कि उस वक्त तक वह सबसिडी में परिणत हो जानी चाहिए थी ?

श्री फूल सिंह—कोई ऐसी शिकायतों की तो मुझे इत्तिला नहीं है लेकिन यह संभव हो सकता है क्योंकि जो यह कुवें बनने चाहिए थे यह मशीनरी वेल डिवीजन के मातहत बनने थे और वह डिवीजन खत्म हो गया है। तो उसके कागजात में थोड़ी बहुत इधर-उधर देर लगी होगी और यह भी था कि एक साल में यह बनने चाहिए। चुनांचे एक साल के बाद अदायगी का काम शुरू हो गया होगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार ऐसे आदेश नहीं देगी कि जिन काश्तकारों के कुएं बन कर तैयार हो गए हैं उनका मुआयना कर लिया जाय और उससे पेश्तर उसकी कोई वसूलयाबी की मांग न की जाय ?

श्री फूल सिंह—जरूर।

ग्राम सेवकों के चुनाव में हरिजन

*२४—श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सेवकों का जो चुनाव हो रहा है वह कितने स्थानों के लिये हो रहा है और उसमें हरिजनों के लिये कितने स्थान सुरक्षित रक्खे गये हैं ?

श्री फूल सिंह—यह चुनाव अनुमानतः १५६० स्थानों के लिये हुआ था। चुने हुए व्यक्तियों में ८५ हरिजन हैं।

*२५—श्री राम प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन स्थानों के लिए कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये और उसमें कितने हरिजनों के प्रार्थना-पत्र हैं ?

श्री फूल सिंह—इन स्थानों के लिये कुल ३२,५५५ प्रार्थना-पत्र आए जिसमें ६३८ हरिजनों के थे।

श्री राम प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन ग्राम सेवकों की शिक्षा योग्यता क्या रखी गयी है ?

श्री फूल सिंह—दर्जा १०।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि २४ प्रश्न का जो अंतिम भाग है कि कितने स्थान सुरक्षित थे उसके लिये उनका क्या उतर है ?

श्री फूल सिंह—हरिजनों के लिये तो १८ प्रतिशत संख्या पहले से निश्चित है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब १८ प्रतिशत संरक्षण हैं तो क्या कारण है कि वे इस संरक्षण के अनुसार नहीं लिये गये ?

श्री फूल सिंह—साधारणतया तो जिस समय सफल होने के लिये ४० प्रतिशत नम्बर मिलने चाहिये हरिजनों के लिये यह किया गया कि ३० प्रतिशत नम्बर वालों को भी छांट लिया गया। तब भी इतने कम व्यक्ति कामयाब हुये। फिर भी यह विचार किया जा रहा है कि हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों से दरख्वास्त मंगा कर कमी को पूरा किया जाय।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि बहुत से इंटर और बी० ए० के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, लेकिन उनको इंटरव्यू में काल नहीं किया गया ?

श्री फूल सिंह—मेरे पास ऐसी इत्तला नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ग्राम सेवकों का चुनाव किस प्रकार उन्होंने कराया ?

श्री फूल सिंह—हर डिवीजन के हैडक्वार्टर पर एक कमेटी बनी थी। उन्होंने उनको छांटा है।

मद्य-निषेध संबंधी सर्वेक्षण का फल

*२६—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Excise विभाग ने मद्य-निषेध के बारे में कोई sample survey कुछ चुने हुये जिलों में किया था ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में ?

मादक कर मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—जी हां, सरकार ने मद्यनिषेध के बारे में राज्य के ११ शुष्क जिलों और ३ शुष्क धार्मिक स्थानों में Sample survey किया था।

*२७—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस sample survey की findings क्या हैं और इसकी एक report सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री गिरधारी लाल—Sample survey की findings संक्षेप में नत्थी "क" में दी गई हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो वे मेरे कमरे में आकर रिपोर्ट देख सकते हैं ?

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २४७–२४८ पर)

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कौन से १४ जिलों में यह सैम्पल सर्वे किया गया था ?

श्री गिरधारी लाल—जहां मद्यनिषेध या प्राहीबीशन चालू है, वहां पर और उन ड्राई एरियाज में जो कि तीर्थ स्थान हैं हमारे प्रांत के।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह सर्वे जो किया गया था यह किन लोगों ने किया था ?

श्री गिरधारी लाल—इसको एक्साइज विभाग ने पंचायत विभाग की मदद से किया था।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके इस सदन के सूचनार्थ जो फाइंडिंग्स है उनका कुछ सारांश बतलायेंगे ?

श्री गिरधारी लाल—मैंने जैसा कहा माननीय सदस्य को अगर जानने की ख्वाहिश है तो वह मेरे दफ्तर में आने का कष्ट करें, मैं उन को सब बतला दूंगा। बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट है और उसकी समरी माननीय सदस्य श्री भगवान सहाय को दी गई है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सर्वे क्यों कराया गया था ?

श्री गिरधारी लाल—यह गवर्नमेंट की जानने की ख्वाहिश थी कि हम रे प्रांत के अन्दर जो प्राहीबीशन किया गया है उसमें कितनी हमें कामयाबी हासिल हुई है, इस ख्याल से वह किया गया था।

श्री भगवान सहाय—क्या यह बात सही है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपनी फाइंडिंग्स में यह रिकमेंड किया है कि प्राहीबीशन नाकामयाब है, इसको हटा लिया जाय ?

श्री गिरधारी लाल—नहीं, ऐसा कहीं रिकमेंड नहीं किया।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सर्वे से यह पता चला है कि हरद्वार में प्राहीबीशन असफल रहा है ?

श्री गिरधारी लाल—ऐसा तो पता नहीं चला। उसमें तो यही पता चला है कि प्राही-बीशन कुछ नहीं तो ५० फीसदी तो जरूर कामयाब हुआ है।

सीतापुर जिले में टड़वा ग्राम नलकूप के निर्माण में विलम्ब

*२८—श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि एक ट्यूबवैल जो कि सरकारी सहायता से सहकारी संघ चौड़िया मंझा, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर द्वारा गांव टड़वा में लगभग २ वर्ष हुये बनना आरम्भ हुआ था अब तक बन नहीं सका है और कृषकों को सिंचाई के लिये कठिनाई का सामना पूर्ववत् करना पड़ रहा है ?

श्री फूल सिंह—जी हां, परन्तु जहां तक सिंचाई की कठिनाई का प्रश्न है कृषिकों ने उक्त नलकूप से हो रबी की फसल की सिंचाई का प्रबन्ध कर लिया है।

*२९—श्री गंगाधर शर्मा—यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री फूल सिंह—इस नलकूप की बोरिंग तो जुलाई, १९५४ में ही समाप्त हो चुकी थी परन्तु उसके लिये पम्पिंग मशीन नियमानुकूल उद्योग विभाग द्वारा प्राप्त करने में देरी हुई। असामयिक वर्षा के कारण भी सामान के मिलने में कठिनाई हुई। अब शेष कार्य लगभग २ मास में हो जाने की आशा है।

श्री गंगाधर शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रबी की फसल जो कृषिकों ने सींची है यह सन् ५४, ५५ और ५६ में से किस सन् में कितने गांवों में और कितने किसानों ने की है ?

श्री फूल सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री गंगाधर शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पम्पिंग मशीन और अन्य आवश्यकीय सामान के मिलने की कठिनाई रही है और अब इसके प्राप्त हो जाने पर भी अभी दो मास और लगेंगे जब नलकूप से साधारणतया सिंचाई हो सकेगी तो ऐसी दशा में सिंचाई पहले ही क्योंकर हुई ?

श्री फूल सिंह—पहले तो काश्तकारों ने उसके पुर्जे खोल कर अपने इंजन लगा लिये लेकिन जब तक पम्पिंग हाउस न बन जायं और इंजन न फिट हो जायं तब तक सिंचाई करना ठीक नहीं होगा।

मिर्जापुर में बर्तन, चपड़ा और कालीन के कुटीर उद्योगों में शिथिलता

*३०—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर में बरतन, और चपड़ा कालीन के कुटीर उद्योगों की हालत दिन-दिन गिरती जा रही है यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

श्री बनारसीदास—बर्तन व चपड़े के काम में पहले से कुछ कमी हो गई है परन्तु कालीन का काम सुचारु रूप से चल रहा है। बर्तन व चपड़े के काम में कमी आ जाने के कारण संलग्न नत्थी में बताये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २४६ पर)

*३१—**श्री व्रजभूषण मिश्र**—क्या सरकार उक्त कारणों की जांच करने और उनके निराकरण के उपाय ढूंढ निकालने के अभिप्राय से कोई विशेषज्ञों की समिति बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी, जिससे उक्त गिरते उद्योगों की उन्नति हो सके ?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की समिति बनाने का प्रयोजन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सरकार इन उद्योगों की उन्नति के लिये उपाय निश्चित करके आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यही मजदूर मिर्जापुर में अधिक मजदूरी मांगते हैं और बाहर जाकर कम मजदूरी पर काम करते हैं इसका कारण यह है कि वहां जो यूनियन है वह गलत संचालन करती है ?

श्री बनारसीदास—हो सकता है कि यह भी एक कारण हो लेकिन इसके कारण तो और ही हैं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी इसका पता लगाने की कृपा करेंगे कि जो मैंने कहा है वह बात सही है ?

श्री बनारसीदास—जी हां, जो बात आपने कही है उसकी भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जायगी लेकिन यही, जैसे मैंने अभी बतलाया, एक मात्र कारण नहीं है। उसका मुख्य कारण तो यह है कि चपड़ा विन्ध्य प्रदेश में अधिक होता है और मिर्जापुर में जब कच्चा माल आता है तो वह अधिक मंहगा पड़ता है जिसके कारण वह मारकेट में कम्पीट नहीं कर पाता है।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालीनों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न हो रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—कालीनों का निर्यात बढ़ाने के लिये वहां पर क्वालिटी मार्किंग की गयी है जिससे मारकेट के अन्दर अपनी क्रेडिट बढ़े।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या यह सही है कि मिर्जापुर में जो बर्तनों का उद्योग है उसकी गिरती का कारण एक यह भी है कि उन पर सेल्स टैक्स लगा हुआ है ?

श्री बनारसी दास—नहीं, यह तो मुख्य कारण नहीं है। असली कारण वहां के मिट्टी के बर्तनों में कमी आने का यह है कि एक तो जैसी आधुनिक मांग हो गयी है उसके अनुसार वहां पर कोई विकास नहीं किया गया है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी उन उपायों पर प्रकाश डालेंगे जो उत्तर में बताया गया है कि सरकार उन उद्योगों को बढ़ाने के लिये कर रही है ?

श्री बनारसी दास—जैसा अभी बतलाया गया, कालीनों पर क्वालिटी मार्किंग है। इसकी वजह से निर्यात बढ़ा भी है और उत्पादन भी बढ़ा है। जहां तक मिट्टी के बर्तनों का सवाल है, इसके लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार डिजाइन्स के लिये एक केंद्रीय उद्योग-शाला खोलना चाहती है। उससे वहां पर यह प्रयत्न किया जायगा कि बर्तन बनाने वालों को नये प्रकार की डिजाइन्स और नयी कला इस्तेमाल करने की शिक्षा दी जाय जिससे माल अच्छा भी बने और सस्ता भी हो ताकि उसके लिये मार्केट प्राप्त हो सके। जहां तक चपड़े के कार्य का सवाल है उसके लिये एक उपसमिति नियोजन विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में बनायी गयी है

और माल विभाग की तरफ से भी उन्नत किस्म की लाख वहां पर उत्पादन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वहां पर लाख का उत्पादन बढ़ेगा और व्यापार तरक्की करेगा।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर के बारे में कुछ भ्रम हो गया है, जिसे मैं चाहता हूं कि साफ कर दिया जाय। मैंने प्रश्न किया था पीतल और कांसे के बारे में, उत्तर में कहा गया मिट्टी के बारे में। इस प्रकार मेरे प्रश्न को भी मिट्टी कर दिया गया।

श्री बनारसीदास—वहां मिट्टी का उद्योग भी है। पीतल और कांसे के बारे में यह है कि उनके नये डिजाइन्स का न होने से उन्नति कम है। केंद्रीय इन्स्टीट्यूट नये डिजाइन्स बनायेगी और उस उद्योग की उन्नति के लिये भी प्रयत्न किया जायगा।

पंजाब चीनी मिल, घुघली, जिला गोरखपुर से प्राप्त कटौती की रकम

*३२—**श्री रामप्रसाद सिंह** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंजाब चीनी मिल, घुघली, जिला गोरखपुर में दो आना प्रति मन के हिसाब से कितने रुपये सन् १९५०-५१ अथवा १९५१-५२ में मिले थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पंजाब चीनी मिल, घुघली, जिला गोरखपुर, से दो आना प्रति मन के हिसाब से की गयी कटौती के कुल १,८६,१८८ रुपये सन् १९४८-४९ में मिले थे। सन् १९५०-५१ अथवा १९५१-५२ में इस प्रकार की कोई कटौती नहीं हुई थी।

*३३—**श्री रामप्रसाद सिंह** (अनुपस्थित)—क्या उन कटौती के रुपयों को पुनः काश्तकारों को वापस किया गया? यदि नहीं, तो उसका क्या उपयोग हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ये कटौती के रुपये उत्तर-प्रदेश कोआपरेटिव बैंक में जमा किये गये थे जिन्होंने बदले में बांड काश्तकारों को दे दिये थे। कुल रकम में से १,५३,६११ रु० ४ आने के बांड काश्तकारों ने भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने के लिये भूमि-व्यवस्था कमिश्नर को हस्तान्तरित कर दिये हैं। बाकी रकम में से २९,८२१ रु० १२ आ० के बांड की रकमें काश्तकारों ने बांड वापस करके ले ली हैं।

*३४—**श्री रामप्रसाद सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बाकी कटौती के रुपयों को लौटाने की व्यवस्था करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नवम्बर, १९५५, के मध्य तक कटौती के केवल २,७५५ रु० लौटाने शेष रह गये थे। रुपया घुघली सहकारी विकास संघ द्वारा लौटाया जा रहा है और वहां से काश्तकार अपना रुपया किसी भी समय ले सकते हैं।

आजमगढ़ जिले में गृह उद्योगों की उन्नति के लिये कार्य

*३५—**श्री ब्रजविहारी मिश्र**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में मुख्यतः कौन-कौन से गृह उद्योग चल रहे हैं?

श्री बनारसीदास—इस जिले में मुख्यतः निम्नलिखित गृह उद्योग चल रहे हैं:

करघा उद्योग, खादी उद्योग, गुड़ उद्योग, चर्म उद्योग। इसके अतिरिक्त काष्ठ कला, एरीकलचर, पात्र कला, इत्यादि, उद्योग भी चल रहे हैं।

*३६—**श्री ब्रजविहारी मिश्र**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन उद्योगों की उन्नति के लिये सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्य किया है?

श्री बनारसीदास—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २५० पर)

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी इन सात उत्पादन समितियों के नाम, तीन बिक्री केंद्रों तथा एक रंगाई घर जो खुले हैं उनके नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—नाम के बारे में तो जो सूचना मांगी है वह बाद को दी जा सकेगी यदि माननीय सदस्य चाहेंगे।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १,९५,-३७१ रु० ९ आ० ३ पाई की जो आर्थिक सहायता दी गई है, वह किस प्रकार से दी गई है ?

श्री बनारसीदास—वह हस्त करघा योजना के अन्तर्गत सहायता दी गई है। सहकारी समितियों को ९,३८३ रु० १४ आ० ९ पाई की सहायता दी गई है, बिक्री केंद्रों को ८,००० रुपये की, रंगाई घर को ४,००० रुपये की और उन्नतशील यंत्रों के लिये ६,८२० रुपये की सहायता दी गई है। इसके अलावा वहां पर एक डाइंग और ब्लीचिंग फैक्ट्री भी मऊ में खोली गई है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नरियाहूं और अतरौलिया जो मुख्य स्थान हैं वहां पर कोई समिति खोली गई है या कोई आर्थिक सहायता दी गई है ?

श्री बनारसीदास—आर्थिक सहायता तो जिन समितियों ने मांगी है सभी को दी गई है। इसके अलावा जितनी सेल्स डिपो हैं और जो रिबेट पाने के हकदार हैं, उनको रिबेट दिया गया है ?

जौनपुर जिले के समोधपुर ग्राम में चिकित्सालय खोलने पर आपत्ति

*३७—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बतायेगी कि इस वर्ष जौनपुर जिले में कितने एलोपैथिक अस्पताल खोले जा रहे हैं और कहां-कहां ?

श्री बनारसीदास—एक चिकित्सालय ग्राम समोधपुर में।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले के जफराबाद टाउन एरिया, अरसिया, रामपुर, गौराबाद, बदलपुर, शाहपुर और मुफ्तीगंज आदि बड़ी-बड़ी आबादी के क्षेत्रों में एक भी राजकीय सहायता प्राप्त औषधालय नहीं है तो फिर ऐसी दशा में किस योजना के अधीन समोधपुर जैसे छोटे से गांव में ऐलोपैथी चिकित्सालय खोला जा रहा है जब कि वहां से ३ मील की दूरी पर ही नरेन्द्रपुर में आयुर्वेदिक अस्पताल पहले से ही मौजूद है ?

श्री बनारसीदास—माननीय सदस्य ने जिन स्थानों के नाम बतलायें हैं, हो सकता है कि वहां अस्पताल न हों लेकिन जिस स्थान का नाम लिया है वहां पर परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट के अनुसार ही अस्पताल खोला जा रहा है। यह सही है कि तीन मील की दूरी पर अस्पताल हैं लेकिन बरसात में रास्ता बंद हो जाता है और वहां पहुंचने का कोई साधन नहीं रह जाता है और एक एलोपैथिक अस्पताल दस मील की दूरी पर है, इसलिये वहां पर अस्पताल खोला जा रहा है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार को पता है कि शाहगंज तहसील जिसमें यह गांव समोधपुर है उसमें ८–१० अस्पताल पहले से मौजूद हैं जब कि मढ़ियाहूं तहसील में केवल तीन अस्पताल जिनमें से एक ऐलोपैथिक और दो आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---विदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जैसे कि माननीय सदस्य ने वर्णन किया है। जहां-जहां नियोजन समितियां या परामर्श दात्री समितियां शिफारिश करती हैं वहां-वहां सरकार अस्पताल खोलती है। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अवश्य इस बात की चेष्टा की जा रही है कि अस्पताल इस तरह से वितरित किये जायं कि जो हमारी उस घोषणा को पूरी कर सकें जिस घोषणा की तहत में हमने कह रखा है कि प्रत्येक स्थान पर जहां ५ मील के दायरे में अस्पताल नहीं है वहां नये अस्पताल निर्मित किये जायं। तो अब जिस तहसील का जिक्र किया जा रहा है, कदाचित् उस योजना की तहत में अवश्य कुछ अस्पताल बनेंगे।

गोविंद शकर मिल, ऐरा, जिला खीरी, की सेस मुआफी के सम्बन्ध में कथित प्रतिनिधि मंडल का मिलना

*३८---**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी)---क्या यह सत्य है कि गोविन्द शकर मिल ऐरा, जिला खीरी, की सन् १९५१-५२ की एक आना प्रति मन सेस माफ किये जाने के लिये एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य मंत्री से सन् ५४ में मिला था ?

श्री फूल सिंह---जी नहीं।

*३९---**श्री जगन्नाथ प्रसाद**---यदि हां, तो उक्त रिप्रेजेन्टेशन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री फूल सिंह- यह प्रश्न नहीं उठता।

सिविल अस्पताल मऊ, जिला आजमगढ़, के प्रान्तीयकरण का विचार

*४०---**श्री श्रीनाथ राम** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के मऊ सिविल अस्पताल का प्रान्तीयकरण करने का वह निर्णय कर चुकी है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

श्री बनारसीदास---सिविल अस्पताल मऊ, जिला आजमगढ़, के प्रान्तीयकरण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*४१---**श्री श्रीनाथ राम**---क्या सरकार यह बतायेगी कि मऊ में महिला अस्पताल के निर्माण कार्य के समाप्त होने तक महिलाओं की सुविधा के लिये सिविल अस्पताल में ही वह महिला डाक्टर की नियुक्ति करने जा रही है ? यदि हां, तो यह महिला डाक्टर कब तक कार्यभार ग्रहण करेगी ?

श्री बनारसीदास---जी हां। महिला डाक्टर की नियुक्ति की जा चुकी है; आशा है उसने कार्यभार ले लिया होगा।

श्री श्रीनाथ राम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मऊ अस्पताल का प्रान्तीयकरण करने के लिये वहां के नागरिकों के साथ कोई शर्त रखी गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बनारसीदास---वह तो तमाम प्रदेश के सभी अस्पतालों के प्रान्तीयकरण के संबंध में है। यह अस्पताल जिला बोर्ड का है और उससे यह कहा गया है कि वह भी सहायता के रूप में अपना कांट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को जारी रखें।

श्री श्रीनाथ राम---क्या माननीय मंत्री जी जब मऊ गये थे तो वहां उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि पुरुषों के लिये ४० और महिलाओं के लिये २० बेड वहां कर दिये जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने अवश्य आश्वासन दिया होगा, लेकिन आश्वासन के साथ शर्त होगी और वह यह कि वहां की जनता भी चन्दा इकट्ठा करे और सरकार का रुपया और चन्दे का रुपया, दोनों मिला कर नये ढंग से नया अस्पताल निर्मित किया जाय। जहां-जहां मैं जाता हूं और मैं देखता हूं कि वह ऐसी बस्तियां हैं कि जहां के नागरिक चन्दा दे सकते हैं वहां मैं नये अस्पतालों के निर्माण के लिये ऐसी शर्त रखता हूं और यही शर्त मैंने कदाचित् मऊ के लिये भी रखी होगी उसी के आधार पर आश्वासन दिया होगा।

श्री श्रीनाथ राम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इस वर्ष बाढ़ की वजह से वहां के नागरिकों ने करीब ३५ दिन तक लगातार ढाई हजार आदमियों को खाना दिया और इसलिये वहां के नागरिकों की स्थिति ठीक न होने के कारण अब वहां यह चन्दा इकट्ठा होना संभव नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो सहायता वहां के नागरिकों ने बाढ़ पीड़ितों के लिये दी उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं परन्तु अभी जो योजना हमने तैयार की है उसके तहत में हम अवश्य चन्दे की मांग को रखते हैं इसलिये कि अभी हमारे साधन कम हैं और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अस्पतालों की मांग है और नयी इमारतें बनानी हैं। यदि प्रदेश की सरकार अपने ही साधनों पर आश्रित रहे तो कदाचित् वह अपनी उस घोषणा को पूरा नहीं कर सकती जो उसने अस्पतालों को पूरा करने के संबंध में कर रखी है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन अस्पतालों का प्रान्तीयकरण किया जाता है उनके आदेश कितने दिनों के बाद अस्पतालों के अधिकारियों को मिल जाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अस्पतालों के प्रान्तीयकरण के सिलसिले में आदेश कभी-कभी काफी देर में भेजे जाते हैं और इसका कारण यह होता है कि जो अस्पताल जिला बोर्ड के होते हैं उनमें जिला बोर्ड से बातचीत करने में और उन्हें राजी करने में भी काफी देर हो जाती है। ऐसे कई स्थानों के अस्पताल रहे हैं कि जहां ८, ८ और ९, ९ महीनों के बाद आदेश गये हैं। यह दुख का विषय अवश्य है परन्तु कभी-कभी सरकार के परे भी संस्थायें ऐसी अड़चनें डालती हैं कि जिनसे सरकारी आदेश नहीं पहुंच पाते हैं।

आजमगढ़ जिले के भदौरा ग्राम में चिकित्सालय खोलने का आश्वासन

*४२—**श्री व्रजविहारी मिश्र**—क्या सरकार को ज्ञात है कि फूलपुर तहसील (जिला आजमगढ़) के चदौरा ग्राम में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के लिये जिला औषधालय परामर्श-दात्री समिति ने सिफारिश की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—चदौरा नाम का कोई स्थान नहीं है। माननीय सदस्य का आशय शायद ग्राम भदौरा से है; उसके लिये सिफारिश विचाराधीन है।

श्री व्रजबिहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि चदौरा गांव के आस पास ६, ७ मील तक कोई अस्पताल नहीं है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, यह माननीय सदस्य की सूचना सही है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि यह अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस संबंध में उप संचालक आयुर्वेदिक ने लिखा है कि स्थानीय जनता वहां पर एक निःशुल्क भवन निर्माण करने का विचार कर रही है। जैसे ही भवन निर्मित हो जायगा वैसे ही वहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोल दिया जायगा।

सिविल अस्पताल कौंच, जिला जालौन, में शैयाओं की कमी

*४३—श्री चित्तरसिंह निरंजन (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिविल अस्पताल कौच (जालौन) में इंडोर पेशेन्ट्स के लिये कितनी चारपाई (जगहें) हैं ?

श्री बनारसीदास—१६ पलंग (पुरुषों के लिये तथा ४ स्त्रियों के लिये) ।

श्री चित्तरसिंह निरंजन—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन्डोर पेशेन्ट की संख्या जितनी है उनके लिये यह पलंग काफी हैं ?

श्री बनारसीदास—आजकल सब जगह वह आवश्यकता बढ़ती चली जाती है । यह अस्पताल वहां के जिला बोर्ड का है ।

सरकारी चर्मशोध कारखाना राबर्टसगंज, जिला मिर्जापुर, में स्टाक और स्टोर के हिसाब में गड़बड़ी

*४४—श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी चर्म शोध कारखाना रावर्टसगंज, जिला मिर्जापुर, के हिसाब में वित्तीय वर्ष १९५४–५५ और ५५–५६ में कोई गड़बड़ी पाई गई है ?

श्री बनारसीदास—जी हां, सन् १९५४–५५ के स्टाक और स्टोर के हिसाब में कुछ कमी पाई गई । सन् १९५५–५६ में कोई कमी नहीं पाई गई ।

*४५—श्री राम सुन्दर पांडेय—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस गड़बड़ी की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी तथा उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्री बनारसीदास—जांच एक विभागीय इन्सपेक्टर आफ एकाउन्ट्स द्वारा कराई गई और जो व्यक्ति उस कमी के जिम्मेदार ठहराये गये उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही हो रही है ।

*४६—श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हिसाब की गड़बड़ी करने का दोषारोपण किस कर्मचारी एवं अधिकारी के ऊपर था तथा सम्प्रति वह उक्त विभाग से हटा दिया गया है ?

श्री बनारसीदास—उपरोक्त कमी का दोषारोपण इस शिक्षालय के तीन शिक्षकों के ऊपर था । उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टाक के स्टोर से यह जो सामान गायब हुआ है उसकी कीमत क्या है ?

श्री बनारसीदास—७७१ रुपये ४ आने ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह तीन व्यक्ति जिन पर अभियोग साबित हुआ है उनके नाम क्या हैं और वह कहां के निवासी हैं ?

श्री बनारसीदास—मुसाफिर कुंवर सिंह, दुलीचन्द और सीताराम ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतालाने की कृपा करेगी कि यह जांच कब तक समाप्त हो जायगी और अभी तक इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बनारसीदास—यह जबाव दिया जा चुका है कि जांच खत्म हो गयी और उसके बाद ही उनके वेतन और उनकी सेक्योरिटी का जो पैसा होता है उससे काटने का आदेश दिया गया है। इसके साथ साथ इन लोगों से जवाब तलब किया गया है और उनका जवाब आने के बाद उचित कार्यवाही की जायगी।

सरजरी तथा आयुर्वेदिक शिक्षा देने वाली मान्यता प्राप्त संस्थायें

*४७—**श्री राजवंशी** (जिला देवरिया)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने मान्यता प्राप्त स्कूलों व विश्वविद्यालयों में आयुर्वेदिक शिक्षा दी जाती है और साथ ही कितने में सर्जरी की शिक्षा भी दी जाती है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—उत्तर प्रदेश में निम्नांकित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आयुर्वेदिक डिग्री कोर्स, जिसमें साधारण सर्जरी भी सम्मिलित है, के लिये शिक्षा दी जाती है:—

(१) राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ (लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध)।

(२) ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत।

(३) गुरुकुल आयुर्वेदिक कालेज, कांगड़ी।

(४) ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरद्वार।

(५) बुदेलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी।

(६) अयुर्वेदिक कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस।

*४८—**श्री राजवंशी**—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन स्कूलों और विश्वविद्यालयों से पास छात्रों को सरकारी अस्पतालों में जगह देने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उत्तीर्ण छात्रों को जन सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, द्वारा चुने जाने पर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में नियुक्त किया जाता है।

*४९—**श्री राजवंशी**—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देशी दवाओं पर रिसर्च कराने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस विभाग द्वारा देशी दवाओं पर रिसर्च कराने की कोई व्यवस्था अभी नहीं है।

श्री राजवंशी—क्या सरकार वैद्यों की कमी को देखते हुये दूसरे कालेजों या विद्यालयों को आदेश देगी कि वे वैद्यक पढ़ावें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिन कालेजों का स्तर इस ढंग का है कि वे ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध कर सकते हैं वहां सरकार ने आज्ञा प्रदान कर रखी है। लेकिन जिन कालेजों का स्तर ऐसा नहीं है वहां सरकार आज्ञा देने के लिये उद्यत नहीं है।

श्री राजवंशी—कितने सरकारी अस्पतालों में ऐसी शिक्षा पाये हुये वैद्य काम कर रहे हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—सूचना की आवश्यकता है।

श्री रतनलाल जैन—आयुर्वेदिक को उन्नति देने के लिये उसकी रिसर्च का इन्स्टीट्यूट कायम करने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आयुर्वेद की दवाइयों का जहां तक विषय है, उसकी रिसर्च का काम तो केन्द्रीय सरकार का ड्रग इन्स्टीट्यूट कर रहा है। मेडिकल कालेज लखनऊ में फार-मेकालीजीकल विभाग भी कुछ कार्य कर रहा है। ज्यों-ज्यों ऐसे पंडित हमारे बीच में पैदा होते रहेंगे जो आधुनिक ढंग से रिसर्च का कार्य कर सकें त्यों-त्यों हम उन्हें सुविधायें प्रदान करते रहेंगे परन्तु दुख का विषय है कि हमारे बीच में अभी ऐसे पंडित नहीं है जो इस कार्य को कर सकें।

*५०—**श्री गंगाधर जाटव** (जिला आगरा)—[१५ फरवरी, १९५६, के लिये स्थगित किया गया।]

प्रदेश में कांन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में पूछताछ

*५१—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या प्रदेश में कान्स्ट्रक्शन कारपोरेशन बनाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रहीं है? यदि हां, तो उसका क्या आधार होगा?

श्री फूल सिंह—जी नहीं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—प्रदेश में कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कुछ सुझाव भेजे हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं?

श्री फूलसिंह—मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

*५२-५३—**श्री मथुराप्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती)—[२५ जनवरी, १९५६, के लिये स्थगित किये गये।]

*५४-५५—**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)—[१५ फरवरी, १९५६, के लिये स्थगित किये गये।]

सहारनपुर जिले के डाकपाथर टी०बी० सेनीटोरियम को हटाने का विचार

*५६—**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार का विचार सहारन-पुर जिले में क्षय रोग का सेनीटोरियम कायम करने का है? यदि, हां तो कब और कहां?

श्री बनारसीदास—सरकार डाकपाथर टी० बी० सैनीटोरियम को उसके वर्तमान स्थान से हटा कर अन्य स्थान पर ले जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है और उसके लिये उपयुक्त स्थान की खोज है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि डाकपाथर जैसे स्वस्थ स्थान पर से क्षय रोग के अस्पताल को हटाने का क्या कारण है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह वह स्थान है जहां जमना हाइडल वर्क्स का हैड क्वार्टर बनने वाला था और वह पहले स्थगित कर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वह प्रारम्भ होने वाला है, इसलिये वहां से अस्पताल हटाना है जैसा हमने उनसे वादा किया था। दूसरे, डाक्टरों का यह भी मत है कि यह स्थान मरीजों के पहुंचने में असुविधाजनक है खास कर गर्मी के दिनों में।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार ने सहारनपुर के जिला मैजिस्ट्रेट को यह अस्प-ताल कायम करने को लिखा है कि स्थान की तलाश की जाय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला धीश सहारनपुर और मेरठ को लिखा गया है कि अपने-अपने जिले में स्थान ढूंढ़े और यदि दोनों जगह स्थान मिला तो फिर यह विचार किया जायगा कि किस जगह इस अस्पताल को ले जावें।

ज्वालापुर परगने में अलीपुर आयुर्वेदिक चिकित्सालय को सरकारी प्रबंध में लेने का विचार

*५७—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार का विचार ज्वालापुर परगने में अलीपुर आयुर्वेदिक चिकित्सालय को अपने प्रबन्ध में लेने का है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जिला परामर्शदात्री समिति की सिफारिश आने पर निर्णय होगा।

अलीगढ़ जिले में कम्पाउन्डरों को रिफ्रेशर कोर्स की ट्रेनिंग के लिये आदेश

*५८—श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में ऐसे कितने कम्पाउन्डर हैं जो सन् २९ के पहले से कार्य कर रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—तीन ।

*५९—श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या सरकार यह बतायेगी कि इस प्रकार का कोई सरकारी आदेश निकाला जा चुका है, जिसके अनुसार उपर्युक्त कम्पाउन्डर ट्रेनिंग आदि से मुक्त किये जा चुके हैं ?

श्री बनारसीदास—जी हां।

*६०—श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या सरकार यह बतायेगी कि उपर्युक्त प्रकार के कम्पाउन्डरों को एफीशिएन्सी बार के नियमों के अनुसार ट्रेनिंग लेने के लिये कहा जा रहा है ?

श्री बनारसीदास—जी हां। उन लोगों को ६ सप्ताह के रिफ्रेसर कोर्स के लिए कहा जा रहा है जिसमें वह दक्षता रोक (Efficiency Bar) को पार कर सकें।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जो कम्पाउन्डर रिफ्रेशर कोर्स की ट्रेनिंग के लिये रखे जा रहे हैं वे शीघ्र ही भविष्य में रिटायर होने वाले हैं ?

श्री बनारसीदास—जी हां। यह प्रश्न सन् ४६ से ही सरकार के अदेशानुसार चल रहा ह। यह भी हो सकता है कि कुछ कम्पाउन्डर्स रिटायरमेन्ट के नजदीक हों। उनकी नियुक्ति में तो कोई बाधा थी नहीं। लेकिन ऐफीशियेन्सी बार के लिये यह आवश्यक था और इतने थोड़े से काल के लिये यह कोर्स लेना कठिन भी नहीं है।

प्रदेश में रबर के उत्पादन के सम्बन्ध में पूछताछ

*६१—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार रबर के उत्पादन की जिलेवार तालिका मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर प्रदेश में रबर का उत्पादन नहीं होता।

*६२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रबर उत्पादन से इस प्रदेश को कितनी आय और कितना व्यय पिछले तीन वर्षों में हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुछ नहीं ।

नोट—तारांकित प्रश्न ६० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*६३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रबर के प्रयोग तथा रबर की वस्तुयें बनाने का कोई कारखाना इस प्रदेश में है ? यदि नहीं, तो अपने प्रदेश मे उसकी स्थापना पर सरकार की क्या योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त —उत्तर प्रदेश में कच्चा रबर बनाने का कोई कारखाना नहीं है । जहां तक रबर के प्रयोग की वस्तुयें बनाने का संबंध है, उत्तर प्रदेश में इस समय दो कारखाने अलीगढ़ तथा मेरठ में चल रहे हैं जो कि खेल का सामान खिलौने आदि तथा चिकित्सा से सम्बन्धित रबर की कुछ वस्तुयें बनाते हैं ।

राज्य में वनस्पति घृत का आयात

*६४—श्री कल्याण चन्द्र मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रान्त में किन-किन जगहों का बना हुआ वनस्पति घी आता है और किस-किस नाम का ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आवश्यक सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २५१ पर)

लार टोला बउली, जिला देवरिया में टी० बी० का कथित प्रकोप

*६५—श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह जांच कराने की व्यवस्था करेंगे कि कस्बा लार टोला बउली, जिला देवरिया, में टी० बी० से काफी लोग क्यों मर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जांच कराने से ज्ञात हुआ कि माननीय सदस्य की सूचना ठीक नहीं है ।

मेरठ के स्टाम्प फरोशों को उचित दर पर कमीशन न मिलने की शिकायत

*६६—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में १९४७ से पूर्व तथा बाद को Stamp फरोशों को कितने रुपये तक के Stamp बेचने पर कितना कमीशन मिलता था ?

श्री गिरधारी लाल—आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २५२ पर)

*६७—श्री भगवान सहाय—क्या यह बात सही है कि मेरठ जिले में यह तबदील किये हुये रेट (सन् ४७ के बाद के) सन् ५२ तक Stamp फरोशों को नहीं दिये गये ?

श्री गिरधारी लाल—मेरठ जिले के किसी स्टाम्प फरोश ने जुलाई १९५२ तक इस सम्बन्ध में कोई दावा पेश नहीं किया । इसलिये न दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*६८—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने कि कृपा करेगी कि मेरठ में ऐसे कितने Stamp फरोश हैं कि जिनके इस प्रकार के claims चल रहे हैं तथा ये claims किस वर्ष से चल रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल—केवल एक स्टाम्प फरोश का तारीख ८ अगस्त, १९५२, का दावा सरकार को प्राप्त हुआ था, जो स्वीकृत किया जा चुका है ।

हरकोर्ट बटलर टैक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर, की परामर्शदात्री समिति के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

नियोजन मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को श्री अध्यक्ष निश्चित करें, हरकोर्ट बटरल टेक्नोलाजीकल इंस्टीट्यूट, कानपुर, की परामर्शदात्री समिति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को श्री अध्यक्ष निश्चित करें, हरकार्ट बटलर टेक्नोलाजीकल इंस्टीट्यूट, कानपुर, की परामर्शदात्री समिति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—इस चुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार होगा :

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा समय ..... १३-१-५६ को सायंकाल ४ बजे तक ।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ..... १३-१-५६ को सायंकाल ५ बजे ।

नाम वापस लेने की तिथि तथा समय ..... १७-१-५५ को सायंकाल ५ बजे तक ।

यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन की तिथि, स्थान तथा समय की सूचना बाद को दी जायगी ।

*जौनसार बावर जमींदारी-विनाश-और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जौनसार बावर जमींनदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५, पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कुछ बातें इस विधेयक के बारे में सदन के सामने करना चाहता हूं ताकि सदन को वहां की विशेष अवस्था का ज्ञान हो जाय। जौनसार बावर एक परगना जिला देहरादून, तहसील चकराता, में है, जिसमें ३५७ के करीब गांव हैं। वहां लैन्ड रेवेन्यू (भूमि व्यवस्था) की प्रथा सारे उत्तर प्रदेश से भिन्न है ।

गांव केवल ३५७ हैं, लेकिन उनकी कोई खास सीमा नहीं है । वहां पर जो लैन्ड रेवेन्यू वसूल की जाती है उसका भी तरीका अजीब है । ३९ खेतों में सारे गांवों को बांटा गया है और लैन्ड रेवेन्यू इन्हीं खतों में असेस होती है और वसूल की जाती है। अलग-अलग जमींदारों में वह बटी हुई नहीं है, बल्कि एक खेत की मालगुजारी मुकर्रर होती है और जो सयाना वहां होता है वह अलग-अलग जमींदारों पर मालगुजारी नियत करता है । वह केवल इस बात को ही नहीं देखता कि किस जमींदार के कल्टीवेटेड एरिया (जुताई भूमि) कितनी है बल्कि उसके अतिरिक्त यह भी देखता है कि उसकी माली

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ दिसम्बर, १९५५, को पुरः स्थापित किया गया ।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

हालत कैसी है, उसके पास हल बैल कितने हैं, मवेशी कितने हैं, पास्चर लैंड (चरागाह) कितनी है आदि-आदि बातों का खयाल करके लेंड रेवेन्यू (मालगुजारी) लगायी जाती है। इस लैंड रेवेन्यू के लगाने में बहुत सी गड़बड़ भी हो जाती थी। इस प्रकार से जो सयाना वहां पर काम करता था उसके अधिकारों को इस कानून के द्वारा करटेल किया जा रहा है। अब जब कि सारे सूबे में एक प्रकार की व्यवस्था हो गई है तो इस बात की जरूरत थी कि इस क्षेत्र में भी वह व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त वहां के रहने का तरीका भी अनोखा है और पुराना है। वहां पर पोलीऐंड्री की प्रथा है। एक घर में जितने भाई होते हैं उन सब की एक ही औरत होती है। उनकी यह प्रथा पुरानी चली आ रही है और इस कारण से उनकी होल्डिंग्स के डिवीजन खातों के बटवारे भी कम होते हैं। इस प्रकार से वहां की हालत दूसरे ही प्रकार की है। जमींदारी विनाश कानून जब और जगहों पर लगाया गया उसको यहां पर इसीलिये एक्स्टेंड नहीं किया गया कि यहां पर वह पूरा-पूरा लागू नहीं हो सकता था।

वहां पर कल्टीवेटेड एरिया (जुताई भूमि) बहुत कम है। जौनसार भावर का क्षेत्र ४४२ वर्ग मील में है, जिसमें से ४०,५३६ एकड़ कल्टीवेटेड एरिया है। इसमें से करीब ३५ हज़ार एकड़ पेजेन्ट प्रोपराइटर्स के पास है, ४,०७६ एकड़ काश्तकारों के पास है और इन काश्तकारों में से ३,५८२ एकड़ टेनेन्ट्स के पास है और बाकी १,३१४ एकड़ जो सर्विस करते हैं उनके नाम दर्ज है। इस तरह से यहां जुताई ज़मीन बहुत कम है। केवल १४·७ प्रतिशत ज़मींन कल्टीवेटेड है और ८५ प्रतिशत ज़मींन फोरेस्ट और वेस्ट लैंड है। करीब ३५ हज़ार एकड़ ज़मीन २३८०४ पेजेन्ट प्रोपराइटर्स के पास है। इस प्रकार एक आदमी के पास करीब १·७ एकड़ ज़मींन पड़ती है और जो काश्तकार हैं उनके पास ·६६ एकड़ प्रति आदमी के पास ज़मींन पड़ती है। टेनेंट्स की तादाद है ७.८१०। तो इतनी थोड़ी जमींन है और इतने टेनेंट्स हैं और छोटे छोटे प्रोप्राइटर्स हैं, कोई भी बड़े काश्तकार नहीं हैं। कोई भी जमींदार उनमें से ऐसा नहीं है जिसकी ढाई सौ तक की भी मालगुजारी हो इससे ज्यादा का सवाल नहीं है, छोटे छोटे मालगुजार हैं छोटे-छोटे पीजेन्ट प्रोप्राइटर्स हैं। फिर भी यहां कुछ जो सर्विस टैन्योर करने वाले लोग हैं वह ज्यादातर कोलटा या बाजगी कहलाते हैं उनकी हालत कुछ मानों में खराब है। वहां पर सिस्टम आफ बांड्समैन का था जो एक प्रकार से दासता की प्रथा से मिलता जुलता था। वह सिस्टम अब तक वहां पर जारी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह जरूरी है कि वहां पर लैंड रिफार्म्स लाये जायं लेकिन अभी तक उसके लाने में देर हुई और उसका कारण यही है कि वहां अभी तक जो रिकर्डस थे वह पूरे नहीं थे इसलिये कि कोई सेटिलमेंट वहां नहीं हुआ था। सन् १८८३ में आखिरी सेटिलमेंट हुआ था जिससे कुछ मालगुजारी तय की गयी थी अलहदा-अलहदा खतों पर। इसलिये सन् १९५२ में एक ऐक्ट बना सिक्योरटी आफ टिन्योर तथा रिकर्ड्स के करक्शन के लिये, सेटिलमेंट उसके अनुसार कराया गया। कागजात उसके तैयार कराये गये और अब वह सब करीब-करीब कम्प्लीट हो गये हैं इसलिये अब वहां जमींदारी अबालिशन ऐक्ट को लागू करने में सहूलियत पड़ेगी।

जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि यह टैन्योर्स छोटे-छोटे हैं और करीब ४ हजार एकड़ ऐसा रकबा है जिस पर असर पड़ेगा। इसलिये कम्पेन्सेशन देने का तरीका हमने सीधा रखा यानी जो रेन्टल इन्कम लगान किसी जमींन की होगी उसका १६ गुना उस जमींदार को कम्पेंसेशन दिया जायगा। क्योंकि कोई बड़े जमींदार उसमें नहीं हैं और जिसमें देर न हो जल्दी से लोगों को कम्पेंसेशन मिल जाय इसलिये ऐसा इस विधेयक में रखा गया है। जो लैंड रेवेन्यू का ऐवरेज पड़ता था वहां पर करीब १ रुपये ८ आने ४ पाई फी एकड़ था और अब जो नया होगा वह करीब ९ आने ८ पाई फी एकड़

पड़ेगा। कारण यह है कि पहले जो यहां पर मालगुजारी थी वह कल्टीवेटेड एरिया कम थी १६ हजार ३ सौ एकड़ के करीब थी और अब ४० हजार हो गई। तो हम कोई लैंड रेवेन्यू नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि जितनी वह थी वही फिर बांट दी जायगी सारे जमींदारों में। इस तरह से एक फायदा होगा कि जो यह पीजेन्ट प्रोप्राइटर्स हैं छोटे-छोटे उनको अब कुछ कम मालगुजारी देनी पड़ेगी और वह ९ आने ८ पाई आवेगी। तो इस विधेयक में चूंकि यहां सेटिलमेंट नहीं था परिस्थिति वहां भिन्न थी तो सेटिलमेंट कराने का दूसरा चैप्टर उसमें है। सेटिलमेंट को अपटूडेट लाने के लिये और हर जमींदार की मालगुजारी फिक्स करने के लिये इसमें प्राविज़न है और जैसा मैंने कहा वह मालगुजारी भी कम होगी क्योंकि जितना कल्टीवेटेड एरिया है वह बढ़ गया है और मालगुजारी वही होगी। जो टोटल रेवन्यू पहले था वह उस पर बांट दिया जायगा। दूसरे जो तरीका मैंने बतलाया एक्वीजीशन का उसमें साढ़े ७ हजार के करीब काश्तकार थे और चार हजार के करीब जमीन उनके पास है। लैंड टेन्योर सीधी सी तीन किस्म की हो जायगी। भूमिधर जो पेजेंन प्रोप्राइटर्स थे, जो जमींदार थे वे सबके सब भूमिधर हो जायंगे जिनके पास कि करीब ३५ एकड़ के है। बाकी काश्तकार सीरदार होंगे वे चाहे सर्विस टेन्योर के हों या वैसे काश्तकार हों। जो सीरदार भूमिधर होना चाहेंगे व जमींदारी विनाश कानून में जो कायदा दिया हुआ है उसके अनुसार रुपया जमा करके भूमिधर हो जायंगे। तो इस तरह से भूमिधर और सीरदार दो क्लासेज रहेंगे।

एक तीसरा छोटा सा क्लास है। वह होगा असामियों का। असामी वे होंगे जो टेनेन्ट होंगे उन लोगों के, उन जमींदारी या काश्तकारों के जो इस कानून को लागू करने के वक्त नाबालिग हों, ल्युनेटिक हों यानी दफा १५७ में जो प्राविजन्स आते हैं उनमें वे आते हों। इस तरह से तीन किस्म का टेन्योर हो जायगा। ज्यादातर भूमिधर हो जायंगे, क्योंकि ज्यादा रकबा भूमिधरों के कब्जे में है। अब भी यहां पर जो गैर मजरुआ जमीन थी उससे भी जैसा मैंने अभी अर्ज किया यूनिट मालगुजारी के लिये एक खत है। ३५७ गांवों में ३९ खत हैं और उन ३९ खतों में एक खत केवल ऐसा है जो अपने मैदानी इलाके से कुछ मिलता-जुलता है। वहां पर काश्तकार कुछ ज्यादा हैं जिनके जमींदारों को इंटरमिडियरीज कहा जा सकता है। बाकी ३८ खतों में लैण्ड टेन्योर पहाड़ी इलाकों से, कुमायूं आदि से करीब-करीब मिलता-जुलता है। इसलिये ज्यादा नम्बर बड़े काश्तकारों का नहीं रह जायगा। सारे के सारे पेजेंट प्रोप्राइटर हो जायंगे, क्योंकि पेजेंट प्रोप्राइटर्स के कब्जे में ही जमीन है ज्यादातर। जैसा अर्ज किया जो अनकल्टीवेटेड एरिया है वह वहां मानी रखता है और उस पर किसी तरह की कोई मालगुजारी लगाने का विचार नहीं है इस वास्ते कि वह जरा पिछड़ा हुआ इलाका है। लिहाजा उसको जरा मौका मिले उन्नति करने का। जैसा मैंने अर्ज किया जो गैरमजरुआ जमीन है उसमें दो तरह के मैनेजमेंट होता है। एक तो गवर्नमेंट में कुछ लैण्ड वेस्ट करता है जैसे फारेस्ट और वेस्ट लैंड और कुछ अन्य विलेज कम्युनिटी में वेस्ट करता है। विलेज कम्युनिटी के पास जो जमीन है उसे गवर्नमेंट को यदि लेना हो तो गवर्नमेंट को कम्पेनसेशन देना पड़ता है और विलेज कम्युनिटी में जो लैंड वेस्ट है उसमें जिसको जहां सुभीता होता है वहां काश्त में ले सकता है। इस तरह से काश्त बढ़ती गई है और आगे भी शायद बढ़ेगी क्योंकि लगान के बढ़ाने की बात इसमें नहीं रक्खी गई। बाकी जो गैरमजरुआ एरिया है उसका इन्तजाम जैसे जमींदारी एबालीशन अधिनियम में प्रबन्ध किया गया था यहां भी गांव सभाओं के हाथ में ही मैनेजमेंट रहेगा। इस तरह सें उसमें लैंड मैनेजमेंट का यह चौथा चेप्टर है जिसमें विलेज कम्युनिटी की जो जायदाद है, वेस्ट लैंड एरिया है उसका सारे का सारा मैनेजमेंट गांव सभाओं के जरिये से होगा। जैसा मैंने अभी आपसे अर्ज किया जो यहां विरासत का कानून एक अलग है जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की वह

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

विरासत की दफाएं यहां नहीं लगायी गयीं, क्योंकि वहां के समाज का संगठन एक अलग सा है। उससे स्वयं फैमिली का यूनिट बना रहता है। होल्डिंग्ज का डिवीजन कम होता है। तो जहां तक विरासत का ताल्लुक है वहां तक परसनल ला (निजी कानून) लागू होगा। उस परसनल ला को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। इसके अलावा इसमें कुछ जमींदारी अबालिशन की धाराएं जो जरूरी थीं वह इसमें रख दी हैं और वे धाराएं ये हैं--१३४ से १३६, १४१, १४२, १५२ से १६८, १७६ से १९५, १९७, १९८, १९९-२११, २१२ (बी) और (सी), २१३, २३०, २४१ और २४९। ये दफाएं जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की इसमें भी रखी गयी हैं। ये मोटी-मोटी चीजें हैं जो इस विधेयक में हैं। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया, यह जो पिछड़ा हुआ इलाका है। यहां की परिस्थिति भी भिन्न है। और इसमें सदन का समय कोई ज्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि सारा मुआविजा जो हमने आंका है वह अन्दाजन एक लाख ७० हजार रु० आता है। इसलिए उसके अन्दर सीधा सीधा हिसाब रखा गया है, यानी जमींदार को अपने कुल लगान का १६ गुना मुआवजा दिया जायगा। असली चीज तो यह है कि यहां पर इन लोगों की जरूरत है कि ऐसे लोगों को सुविधाएं दी जायं। जैसा कि मैंने बतलाया चाहे थोड़े ही हों, वहां पर सर्विस टेन्योर वाले एक तरह से स्लेवरी का सिस्टम किसी न किसी रूप में था। इन सबको तोड़ना और उस हिस्से को सारे उत्तर प्रदेश के स्तर पर लाना बहुत जरूरी है। इसलिए यह जरूरी था कि इस विधेयक को यहां पेश किया जाय। इस विधेयक के ऐक्ट बन जाने पर यहां के लोगों की हालत सुधरेगी और उनकी माली हालत भी अच्छी होगी। और जो कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए वे भी न रहेंगी और काश्तकारों को सुविधा मिलेगी। इसी उद्देश्य से यह विधेयक रखा गया है। मेरे विचार से सदन इस पर विचार करेगा और इसे मंजूर करेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है, प्रवर समिति से लौट कर आया है और इसके सिद्धान्तों पर एक दिन हम पहले ही विचार कर चुके हैं। आज माननीय मंत्री जी ने अपने आध घंटे के भाषण में दोबारा हमारा ध्यान उन सिद्धान्तों की ओर आकर्षित किया। इसलिए हम उनके आभारी हैं। आज पहली बार सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर इतनी लम्बी वक्तृता किन्हीं माननीय मंत्री की ओर से दी गयी है, क्योंकि नियम १०६ में यह है कि जब सेलेक्ट कमेटी से रिपोर्ट आती है तो बहुत संक्षेप में भाषण दिये जाते हैं चाहे विरोधी दल की ओर से हों, चाहे सरकार की ओर से हों।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं दूसरी ओर से यह गलती नहीं दुहरायी जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--नहीं नहीं, हमारे तो पक्ष में ही है यह बात। आपने भी इजाजत दे दी और सरकार ने भी पहले की है तो अब मैं समझता हूं कि जब कभी हम चाहेंगे.....

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं थी, यह तो पूरा बिल था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी शायद मेरी बात समझे नहीं। माल मंत्री का प्रस्ताव यह था कि जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५, पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विचार किया जाय। तो एक प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक पर विचार किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में नियम यह है—नियम १०६

"Scope of Debate on Report of Select Committee or Joint Select Committee

106. There shall be no debate on any motion or amendment at this stage except that the member making the motion or moving the amendment and the member oppcsing may be allowed to make brief statements and then the questicn or questions, as the case may be, shall be put."

चाहे माननीय मंत्री जी हों, चाहे हम लोग हों, संक्षिप्त भाषण देंगे, यह इसमें लिखा हुआ है और हमेशा यह लागू किया गया। हम तो चाहते हैं कि विवाद हो।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण हो जाय कि शब्द संक्षिप्त का क्या अर्थ है। मैं देख रहा था कि माननीय उपमंत्री जी लगभग २० मिनट बोले। २० मिनट संक्षिप्त शब्द की परिभाषा में कैसे नहीं आता, इसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालें या माननीय तिवारी जी कुछ कहें तो यह चीज साफ हो जाय। मेरे खयाल में मतलब २० मिनट भी हो सकता है, २५ मिनट भी हो सकता है, डेढ़ घंटा भी हो सकता है.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं यह प्रश्न इतने महत्व का नहीं है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी और माननीय काटजू साहब शायद मेरे अभिप्राय को गलत समझे। मेरा तो निवेदन यह था कि आज तक जो हम खुद चाहते थे उसकी शुरूआत माननीय मंत्री जी ने कर दी। मैं तो चाहता था कि उस पर संक्षिप्त बयान इतने ही लम्बे हो सकें जितने कि माननीय मंत्री जी ने दिये। तो आइन्दा के लिए भी हम यह समझते हैं कि जब हमारी ओर से इस तरह से इतने लम्बे बयान की बात की जायगी तो वह हो सकेगी। इसीलिए मुझे तो कोई एतराज इसमें था ही नहीं। अगर एतराज होता तो मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाता कि क्यों इतनी देर तक बोल रहे है। यह बात तो हमारे पक्ष में जाती है। चूंकि मैं सिद्धान्त पर इसके पहले कुछ कह चुका हूं इसलिए उसे दोहराना मैं उचित नहीं समझता। मैं केवल उन्हीं सिद्धान्तों पर प्रकाश डालूंगा, जिनको प्रवर समिति ने बदला है और जिन पर अपनी रिपोर्ट दी है।

जो पहला महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है प्रवर समिति द्वारा वह "काश्तकार" की परिभाषा में है "टेनेंट" की परिभाषा में है। पहले "टेनेंट" की परिभाषा में दस्तूरुलअमल की परिभाषा को स्थान दिया गया था कि दस्तूरुलअमल में जो टेनेंट माना गया है वहां जौनसार बावर में वही "काश्तकार" माना जायगा और गैर-मौरूसी काश्तकार जो वहां जौनसार बावर में थे उन्हीं को काश्तकार माने जाने की सम्भावना थी। प्रवर समिति ने जहां यह उचित किया कि "काश्तकार" की परिभाषा को जरा नया रूप दिया और जो "मौरूसी काश्तकार" थे उनके भी इसमें आने की गुंजाइश रखी। वहां मैं ऐसा समझता हूं कि काश्तकार की परिभाषा अब भी ऐसी नहीं है कि जो जौनसार बावर में सभी कोल्टा बाज्गियों पर लागू की जा सके या सभी गैर मौरूसी काश्तकारों पर लागू की जा सके क्योंकि वहां बहुत से गैर मौरूसी काश्तकार ऐसे हैं नौकरी की एवज में या अदलाबदली में एक जमींदार ने दूसरे जमींदार से कर्ज लिया और उस कर्ज की अदायगी के लिए काश्तकार ट्रांसफर कर दिए, उन्होंने कहा कि मैं कर्जा नहीं दे सकता, तुम बजाय रुपया लेने के मेरा आदमी ले लो। तो इस प्रकार की भी अदलाबदली वहां देखी गई है, तो ऐसे काश्तकार

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जो वहां जमींन जोतते हैं जो न साझेदार हैं, न बटाईदार हैं, पुश्तों से जोतते आ रहे हैं, दादे परदादे से जोतते आ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए परिभाषा स्पष्ट हो सके। इसलिए काश्तकार की एक और भी उचित परिभाषा लानी होगी जो कि जौनसार बावर में लागू की जा सके, क्योंकि अगर काश्तकार की परिभाषा ठीक नहीं होगी तो लागू किन पर की जायगी? हमें ऐसी परिभाषा रखनी है कि जो पुश्तों से लोग जोत रहे हैं उनकी स्थिति को ठीक तरह से देखकर उन पर लागू की जा सके।

एक बात की ओर ध्यान दिलाऊं कि सन् ५२ का जो भूमि अभिलेख अधिनियम जौनसार बावर के लिए बना था उनमें काश्तकार की परिभाषा दूसरी थी। उसमें यह था कि गैर मौरूसी और मौरूसी टिनेंट सब काश्तकार माने जायंगे। इसके अलावा जो सर्विस टेन्योर में होंगे वे भी काश्तकार माने जायंगे। पर इसमें उससे अन्तर है। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करें और काश्तकार की परिभाषा ऐसी रखें जो जौनसार बावर की हालत को देखते हुए समयोचित हो।

इसके साथ ही साथ जहां पर सेटिलमेंट की व्यवस्था की गयी, बन्दोबस्त की व्यवस्था की गयी, वहां लगान निर्दिष्ट करने की ताकत नहीं दी जा रही है। कल माननीय चरणसिंह ने स्वयं कहा था कि हम कुमायूं में बन्दोबस्त इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लगान बढ़ा दिया जायगा या बढ़ाना पड़ेगा और हम लगान बढ़ाना नहीं चाहते हैं। मेरे विचार से यही मंशा सरकार की जौनसार बावर के सम्बन्ध में है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—हम बढ़ा नहीं रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मंशा तो मैंने नहीं कहा। आप इसको गलत न समझें। मैं चाहता हूं कि बात स्पष्ट कर दी जाय, चाहे जिस प्रकार से भी हो। अगर विधान में व्यवस्था न की सके तो नियमों में की जाय या अन्य किसी प्रकार से सरकार घोषणा कर दे कि सेटिलमेंट करते समय सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि कोई किसी प्रकार की निश्चित वृद्धि लगान में नहीं की जायगी।

जहां तक मुआविजे का प्रश्न है, इसमें १६ गुना मुआविजे की बात रखी गयी है। सिद्धान्तः तो १६ गुना मुआविजे का नीति से सम्बन्ध नहीं था, लेकिन यह देखते हुए कि वहां लगान बहुत थोड़ा है और वहां की विशष परिस्थिति है, जिसकी वजह से १६ गुना मुआविजा देने पर भी वह रकम बहुत ही कम पड़ेगी। इस हिसाब से इस १६ गुने के शब्द पर हमने कोई विशेष एतराज नहीं किया। जैसा कि १० गुना आपने जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में रखा था, तो सामान्यतः १० गुना यहां रखना चाहिये था—सरकारी दृष्टिकोण से भी हमारा दृष्टिकोण चाहे जो हो—तो मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करेंगे।

कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनके सम्बन्ध में अधिकार ले रहे हैं। ऐडेप्टेशन की ताकत, जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में जो धाराएं हैं उनको संशोधित और परिवर्द्धित करने की शक्ति ले रहे हैं, जो कि जौनसार बावर की विशेष परिस्थिति में लागू हो सकें। तो वह तो वहां जाकर ही स्थिति मालूम हो सकती है। हमारा यह विचार है कि सरकार इस सम्बन्ध में यह निश्चय करे कि जब कोई भी कर्मचारी इस सम्बन्ध में कानून बनायेंगे या ऐडेप्टेशन आर्डर ड्राफ्ट करेंगे, वह जौनसार बावर जायं, वहां की स्थिति को देखें, क्योंकि वहां कुमायूं से भी भिन्न स्थिति है। वहां मंत्री जी को गलतफहमी है कि लैण्ड टैन्योर ऐसा ही है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसा तो कहा भी नहीं। यही कहा कि भिन्न है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—सिवाय हरिपुर खास को छोड़ कर जिसका देहरादून से टेन्योर मिलता है, वहां पर कमायूं से भी भिन्न है। अगर मंत्री जी ने ऐसा कहा तो उचित ही है। मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि कोई विशेषाधिकारी ऐसा नियत किया जाय, जो वहां जाकर स्थिति को देखकर ऐडेप्टेशन आर्डर ड्राफ्ट करे।

जहां तक टोंगिया प्रणाली का सम्बन्ध है, जिसके अनुसार बन लगाने की नीति को स्थान दिया गया है, वह मैं समझता हूं कि ऐसी प्रणाली है जो वहां की स्थिति को देखते हुए उचित नहीं है। क्योंकि उसमें जहां एक प्रकार से कंट्रेक्चुअल ऐग्रीमेंट होता है वहां दूसरी ओर से एक प्रकार की जबर्दस्ती भी होती है बेगार के रूप में कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के वगैर ४ महीने या ६ महीने जंगलात की ओर से काम करे बिना मजदूरी पाये, तो मैं समझता हूं कि टोंगिया प्रथा जैसी कि अंग्रेजों ने चलायी उसको हमें स्थान नहीं देना चाहिये। हां, कोई नयी परिभाषा उसकी हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के अन्य सिद्धान्तों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी, जो हमने विचार रखे हैं उन पर पुनर्विचार करेंगे और विधेयक म उनको स्थान देने की कृपा करेंगे।

*श्री शांतिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माल मंत्री को जौनसार-बावर जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक लाने पर बधाई देता हूं। । जौनसार-बावर हमारे प्रदेश का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ हिस्सा है, पर है बड़ा सुन्दर। लोग कहते यह हैं कि अंग्रेजों ने यह देखकर कि यह बड़ा अच्छा स्थान है यह तय किया कि वहां के लोगों को पीछे ही रहने दिया जाय। इसी वजह से उन्होंने वहां पढ़ाई-लिखाई का कोई ख्याल नहीं किया। शायद उनका ख्याल यह था कि अगर कभी मौका आये तो वहां अपनी एक कालोनी बसा देंगे। लेकिन जब हमारी सरकार यहां आयी तो खास तौर से उस ओर ध्यान किया और काफी तादाद में वहां स्कल खोले गये। माननीय पन्त जी का ध्यान खास तौर से उस तरफ गया और उन्होंने यह किया कि जो लड़का ८ वीं क्लास से ऊपर पढ़ेगा, उसको स्कालरशिप देना शुरू किया। तो ८वीं क्लास या उससे ऊपर एफ० ए०, बी० ए० वाले सब लड़कों को छात्रवृत्ति दी जाने लगी और धीरे-धीरे वहां के लोगों में जागृत्ति होने लगी। कम्यूनिटी प्रोजेक्ट भी वहां शुरू होने लगे। जौनसार-बावर का तमाम परगना कुछ हिस्सों में बंटा हुआ है, जिसे हम वहां खंड कहा करते हैं और तिवारी जी के यहां पट्टी। तो हर खड में एक सदर सयाना हुआ करता है। वह एक लम्बरदार होता है। गांव में भी एक सयाना हुआ करता है। वहां एक अजीब बात है कि वहां जो मालगुजारी लगायी जाती है वह एक पूरे खंड की निश्चय की जाती है जो तमाम खड वालों को देनी पड़ती है और उसका सदर सयाना उस मालगुजारी को देता है। वहां किस काश्तकार के पास अच्छी जमींन है और किसके पास खराब, इसके हिसाब से मालगुजारी नहीं लगायी जाती बल्कि यह देखा जाता है कि काश्तकार की हैसियत कैसी है, उसके पास भेड़ कितनी हैं और यह भी देखा जाता है कि उसकी शादी कितनी हैं, इन तमाम बातों को देखकर मालगुजारी लगायी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि फिर हमेशा एक ही मालगुजारी रहे। अगर किसी की हैसियत बदल गयी, जमींन चाहे उतनी ही रहे, तो मालगुजारी कम हो जाया करती है। यह ऐसा है जो कहीं भी नहीं है। इसके अलावा जौनसार-बावर में एक नौकर रखने की प्रथा है जिसे कोलटा कहा करते हैं। जो हमारे कोलटा भाई हैं उन्होंने अगर कर्जा लिया है तो वे उसके बदले में काम करते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ी सी जमींन उनको दे दी जाती है, उस पर वे काश्त करते हैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शांतिप्रपन्न शर्मा]

और उसके बदले में वे लोगों की नौकरी करते हैं। तो यह बात भी कहीं दूसरी जगह नहीं है। इन तमाम चीजों को देख कर यह निश्चय किया गया कि यहां भी कोई ऐसी चीज लायी जाय, जिससे यह भाग भी प्रदेश के जो और नीचे के हिस्से हैं उनके बराबर आने में सफल हो। इसी को देखकर हमारे माल मंत्री जी इस विधेयक को यहां लाये हैं और यह विधेयक.....

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर, रूल्स में यह है कि जब कोई विधेयक सिलेक्ट कमेटी से आता है तो उस पर ब्रीफ में बात होती है और माननीय सदस्य तमाम पुरानी हिस्ट्री कह रहे हैं, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि ब्रीफ में बहस होनी चाहिये या क्या? जिस तरह से माननीय सदस्य कह रहे हैं उससे तो यह बहुत बड़ी बहस हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य का ध्यान नियम १०६ की ओर दिलाना चाहूंगा, यद्यपि मैं उनको थोड़ी बहुत रियायत देने के लिये तैयार हूं। पर माननीय सदस्य को नियम १०६ का ध्यान रखना ही चाहिये।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है। बात असल में यह है कि जौनसार बावर के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। इसलिये मैं चाहता था कि लोगों को वहां की सारी बातें बतला दूं, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाय। लेकिन इस पर यदि एतराज है, तो मैं उसे छोड़े देता हूं।

श्रीमन्, मैं यह कहने जा रहा था कि हमारे यहां एक सिस्टम है जो हमारे प्रान्त के किसी और हिस्से में नहीं है। उसे पौलीऐंड्री कहते हैं। अगर ४-५ भाई हैं तो वे एक ही स्त्री रखते हैं, जैसे कि पांडवों के जमाने में होता था। यह बात नहीं है कि वहां स्त्रियां की कमी हो, लेकिन एक प्रथा है। अगर दो, तीन, चार स्त्रियां होंगी तो सभी भाइयों की साथ-साथ होंगी। इसके अलावा एक प्रथा सक्सैशन की और है जो हमारे प्रान्त के अन्य हिस्सों से बिल्कुल भिन्न है। हमने यह रखा इस विधेयक में जब तक कोई दूसरी चीज न बने तब तक वैसे ही चलता रहेगा, जैसा कि आज कल जौनसार बावर में है। जैसे कि वहां पर बड़े भाई को ज्यादा मिलता है, उससे छोटे को कम और उससे छोटे को और कम मिलता है। जैसा है वैसा ही हमने रख दिया है। हमने कहा कि यह आवश्यक हो गया है कि कोई विधेयक लाया जाय। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वे यह बिधेयक ले आयें।

एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जमींन सरकार के पास है या गांव समाज के पास चली जायगी। अब भी वहां एक रिवाज है कि जो हरिजन भाई हैं उनको जमींन नहीं दी जाती है। इसलिये कुमायूं में जो नौतोड़ का नियम है उसी प्रकार के यहां भी नियम बनाने पड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसे आदेश दे दें जिससे वहां के हरिजन भाई या गरीब लोग जिनके पास जमींन नहीं है, उनको प्राथमिकता दी जाय। एक बार मैं फिर मंत्री जी को इस विधेयक के लाने के लिये बधाई देता हूं।

*श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं कुछ इस विषय पर बोलूं, मैं शांतिप्रपन्न जी को बधाई देता हूं। कम से कम वह आज चार साल में सदन में कुछ बोले तो सही। हम तो उपाध्यक्ष महोदय, यह भी चाहते थे कि जब सदन में इस पर बहस हो रही थी, यानी जनरल डिसकशन हो रहा था तो उस समय वह इस पर प्रकाश डालते, लेकिन उन्होंने उस समय प्रकाश नहीं डाला। हमें इस बात का बहुत ही दुख रहा। क्योंकि अगर उस समय वह इस पर प्रकाश डाल देते तो कुछ न कुछ लोगों की सहूलियत के लिये बात हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकती थी और जो चर्चा माननीय नारायणदत्त जी ने की वह दिक्कत हमारे सामने न होती। यह बिल माननीय माल मंत्री जी का है और माननीय माल मंत्री जी की एक बात है कि जिस बात पर वह पक्के हो जाते हैं तो उससे हटना उनका मुश्किल हो जाता है। अगर पहले उनको समझा दिया जाय और उनकी समझ में बात आ गयी तो फिर वह उससे टलते नहीं हैं। शायद ही कभी कोई अमेंडमेंट अपने किसी विधेयक में, जो इस हाउस में पेश किया हो, वह मंजूर करने को तैयार होते हों और इसलिये उनको पहले समझाने की बड़ी भारी जरूरत है। जो बात माननीय शांति-प्रपन्न जी ने कही वह ठीक है। वहां के बारे में यह बात है और मैं भी यह चाहता हूं कि नयाबाद रूल्स जैसे कि कुमायूं में लगे हुये हैं शायद वहां भी लगाने की आवश्यकता हो। मैं चाहता हूं कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिले। गांव समाज वाले अगर यह बात करें तो उन्हीं को दे दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कहने में मैं हिचकता नहीं हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने जौनसार बावर के प्राबलम्स को पूरी गहराई के साथ समझने की और उन पर विचार करने की कोशिश की और वह काफी डिटेल में गये। यह हमारे यहां एक स्पेशल समस्या थी जिसको उन्होंने दूर किया, पर दुःख इस बात का है कि माननीय शांतिप्रपन्न जी ने इसमें कोई मदद नहीं की।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। तुम क्या जानो। मैं तो हमेशा ही इस बिल में सलाह देता रहा हूं। जब बिल बना तो मैं उन्हीं के साथ था। हां, हाउस में बोला अवश्य नहीं था।

ी मदनमोहन उपाध्याय—अगर आप घर में ही सलाह दिया करें, तो असेम्बली के मेम्बर बन कर आने की क्या जरूरत ? आप घर में ही उनको सलाह दिया करें। असेम्बली में आकर तो कानून बनने में मदद देने की जरूरत होती है। तो यह कोई बात नहीं है। शायद ही कोई ऐसा माननीय सदस्य हो कि जिसकी कांस्टीट्यूयेन्सी के बारे में कानून बन रहा है और वह असेम्बली में न बोले। खैर, बड़ी खुशी की बात है कि वे बोले तो सही और कहा क्या कि वहां की एक औरत के ५ हस्बेंड्स होते हैं। यह तो हमको बहुत दिनों से मालूम था। उन्होंने कानून के बारे में कोई बात नहीं कही। खैर, बहुत अच्छा हुआ कि यह कानून यहां पेश हो गया और इसके लिये हमें सरकार को बधाई जरूर देनी है कि उसने वहां के किसानों का मसला हल किया और वहां के जो लोग किसानों को अपने कब्जे में रखे हुये थे उनसे उनको छुड़ा कर सीरदार बना दिया। इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं यह भी आशा करता हूं कि कुमायूं क्षेत्र के किसानों का जो कानून बनने वाला है वह भी इस सदन में जल्दी ही पेश हो जायगा और वह भी इसी तरह का होगा। मुझे उम्मीद है कि वह बहुत जल्द पेश होगा ताकि हमारे प्रदेश का कोई कोना ऐसा न रहे कि जो हमारी सरकार के विचार से दूर हो। मैं सरकार को इस मामले के लिये बधाई देता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने और अन्य सदस्यों ने जौनसार बावर के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुये यह कहा कि यह एक बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है। मैं उन माननीय सदस्यों के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि जौनसार बावर एक बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है। मैंने उसे देखा भी है। मैंने देखा है कि वहां के लोग अपने खेतों पर जब काम करने के लिये जाते हैं तो उनके मकान खुले रहते हैं। उनके मकानों के दरवाजे तक खुले रहते हैं और उनका सामना बाहर रखा हुआ रहता है। उनकी फसल बाहर रखी हुयी धूप में सूखती है और उनके जेवर मकानों के अन्दर खुले हुये पड़े रहते हैं। गांव के लोग खेतों में काम करते रहते हैं। लेकिन उनको इस बात की जरा भी आशंका नहीं रहती कि उनकी कोई भी चीज चोरी हो जायगी या कोई दूसरा उसे उठा ले जायगा। इतनी ईमानदारी वहां पर है कि चोरी का नाम तक नहीं है। किसी किस्म के जरायम वहां देखने को नहीं आते। कभी कभी औरतों के मामले में कुछ झगड़ा फसाद हो जाता है, लेकिन जहां तक सम्पत्ति की बात है उनके अन्दर जरा भी बेइमानी का माद्दा नहीं है। इसलिये यह कहना कि वह पिछड़े हुये है यह बात उचित नहीं प्रतीत होती है। मैंने देखा है कि वह अच्छी से अच्छी

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

उन कातते हैं। कपड़ा खुद तैयार करते हैं और साथ ही साथ अच्छे से अच्छा कोट और कपड़े का बहुत सा सामान खुद ही बना लेते हैं और सी भी खुद ही लेते हैं। उनका जूता भी काफी मजबूत और अच्छा होता है जिसे वे खुद ही बना लेते हैं। उनका अच्छा पहनावा रहता है और उनकी औरतों का पहनावा भी काफी अच्छा होता है। जेवर भी वह अच्छी किस्म का पहनते हैं। तो इस तरह से जहां तक उनकी थोड़ी बहुत कारीगरी की बात है वह अच्छी है और वह जरूरी सामान खुद ही बनाते हैं। इसमें उनको कदाचित् पिछड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता। वहां पर पुलिस का इंतजाम बहुत कम है और वहां पर पुलिस नहीं है। गांवों में सयाने लोग हैं उनको पंचायत के तरीके पर अधिकार है और वह मामलों की जांच-पड़ताल करते हैं। जब वहां पर पुलिस चौकी कायम करने की बात चली और उनको मालूम हुआ कि एक जगह वहां पुलिस चौकी कायम करने का प्रस्ताव है तो उन्होंने बहुत विरोध किया और कहा कि यहां पर पुलिस चौकी कायम हो गयी तो जो जरायम अभी तक नहीं होते हैं वह भी होने लगेंगे। उनके अन्दर जो अभी तक ईमानदारी है वह नहीं रहेगी और वह बेईमान हो जायेंगे। इसलिये उन्होंने इसका विरोध किया। वहां पर न रिश्वत है और न बेईमानी है। यह बात जरूर है कि उन लोगों में गरीबी है और गरीबी का कारण यह है कि वहां यातायात के बहुत कम साधन हैं। वहां पर खेती थोड़ी बहुत उनके पास है और जो कोलटा और बाजगी हैं उनकी हालत गरीबी की वजह से दुखदर्द की है। वहां पर ३,४ वर्ष हुये बन्दोबस्त हुआ था। बन्दोबस्त में कुछ लोगों के नाम जो कागजात में पहले से नहीं थे, लेकिन वह जमीन जोत रहे थे उनके नाम दर्ज किये गये। उनका मामला बन्दोबस्त अधिकारी के पास गया, लेकिन यहां की तरह से जैसा कि प्लेन्स में मुकदमे झूठी शहादत के बल पर लोग जीतने की कोशिश करते हैं, वहां पर झूठी शहादत बहुत ही कम सुनने में आयी। उन लोगों ने ईमानदारी के साथ आपस में बैठकर निर्णय कर लिया। जिन मामलों का फैसला आपस में नहीं हो सकता था तो उसके लिये एतराज दाखिल होते थे और बन्दोबस्त अधिकारी के जरिये से उनका निर्णय होता था, लेकिन वह निर्णय इस प्रकार से जो कुछ होता था उसमें वहां के लोग बहुत ज्यादा यहां की तरह से तूल लिटिगेशन नहीं करते थे। तो वहां पर बन्दोबस्त हुआ और इस विधेयक में भी बन्दोबस्त का जिकर किया गया है। वहां जो कोलटा और बाजगी हैं जो सेवा के बदले में जमीन जोतते आ रहे हैं। और जोतते हैं और सेवा के बदले में उनकी मौरूसी जायदाद बन गयी है। अगर किसी बाप ने कर्जा लिया तो बेटा भी उसका सेवक बनकर रहता है। यह सब सिलसिला वहां का है। उनको काश्त की जमीन इस विधेयक के जरिये से मिल रही है और वे सीरदार बनाये जा रहे हैं। एक अधिनियम पहले इसी सदन में वहां के बारे में बनाया गया था। सन् ५३ में इस अधिनियम के जरिये से वहां पर बेदखली रोक दी गयी थी। इसलिये वहां पर जो जो लोग जमीनों पर काश्त कर रहे थे उनके अधिकार उसके जरिये से सुरक्षित कर दिये गये। और ५२–५३ से वहां कोई बेदखली नहीं हुयी। जिन लोगों के पास अपनी जमींदारी थी, जो सयाने थे वे भूमिधर बनाये जा रहे हैं और जो लगान देते थे या बटाई पर जमीन जोतते थे, उनको सीरदार के अधिकार दिये जा रहे हैं। जहां तक मध्यवर्तियों को कंपेन्सेशन देने की बात है उनके लिये इस विधेयक में १६ गुन रक्खा गया है। एक बात खास है। यह उनके साथ रियायत की गयी है। मैं समझता हूं वहां की गरीबी को देखते हुये, वहां के रहने वाले इस रियायत के मुस्तहक हैं कि जो लगान वे अपने काश्तकार से पाते हैं उसका १६ गुना प्रतिकर उनको मिलेगा। उसमें से उनकी मालगुजारी नहीं काटी जा रही है। इसलिये जो मालगुजारी वे सरकार को देते हैं उसको बिला काटे उनको १६ गुना दिया जा रहा है। इस विधेयक में यह भी है कि जो जिसी लगान या बटाई पर काश्त-कारी करते हैं तो उनको जब नकदी किया जायगा तो मालगुजारी का तीन गुना वह हो जायगा। जो मालगुजारी सरकार को दी जाती है उसका तिगुना लगान हो जायगा, इस प्रकार से प्रतिकर ४८ गुना हो जाता है। इस प्रकार प्रतिकर देने के लिये मध्यवर्ती को काफी ज्यादा रुपया मिल जाता है, लेकिन काश्तकार जो जिन्सी लगान देते हैं उनके ऊपर मालगुजारी का तीन गुना लगान हो जायगा। और उन पर इस प्रकार कुछ ज्यादा रकम हो जायगी जो उनकी हालत को देखते हुये

बहुत ज्यादा है इसलिये अगर तिगुने के बजाय दुगना कर दिया जाय तो बेहतर होगा। वहां पर कोल्टा और बाजगी जो दो कौमें हैं वे बहुत ही ज्यादा गरीब हैं और अछूतों में गिनी जाती हैं, उनके पास बहुत कम जमीन है, उनको किसी प्रकार से और ज्यादा जमीन दी जाय। जो जमींदारों की खाली जमीन सरकार ले मेरे ख्याल से खासतौर से उसको इन लोगों को ही दी जाय। यहां के जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में यह खास तौर से कर दिया जाय कि ऐसी जमीन केवल इन लोगों को ही मिले। क्योंकि यह बहुत ही गरीब और भूमिहीन तबका है और हमेशा से दूसरों की जमीन में काश्त करके उसका ज्यादातर हिस्सा मध्यवर्तियों अथवा जिनकी जमीन वह जोतता आया है, उनको देता चला आया है। इसलिये इसमें उनके साथ रियायत करने का सरकार का नुक्तेनिगाह होना चाहिये। जहां तक भौमिक अधिकारों की बात है वह वही हैं जो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के अन्तर्गत यहां लागू किये गये हैं और मैं समझता हूं कि इस सदन का हर एक माननीय सदस्य उस अधिकार का स्वागत करेगा। जो बन्दोबस्त हुआ उसके अलावा अगर कोई बन्दोबस्त फिर कराने का इरादा है तो उसमें जो वहां के काश्तकार ऐसे हैं जो हमेशा से जोतते चले आये हैं और मौरूसी काश्तकार हैं उनके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको भी सीरदार के अधिकार दिये गये हैं। अब तो इस विधेयक में मौरूसी और गैरमौरूसी बात नहीं रह गयी है और पहले के अधिनियम में थी लेकिन इसमें अब उनको काश्तकार माना गया है तो इन मौरूसी काश्तकारों को यदि भूमिधरी का अधिकार दिया गया होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि उनके अधिकार जमींदारों के से हैं। गैरमौरूसी के अधिकार तो वैसे ही हैं जैसे सीर के काश्तकारों के या शिकमियों के थे तो थोड़ा सा उसमें अन्तर जरूर होना चाहिये था। मैं इन थोड़ी सी बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाने के बाद इस बात के लिये अवश्य धन्यवाद देता हूं कि यह जो शिड्यूल्ड एरिया था जौनसार बावर का और वह हमेशा जो ऐक्ट बना आगरा टेनेंसी ऐक्ट और यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट उनमें वह शिड्यूल्ड एरिया था। वहां के लिये भी इस प्रकार का कानून बरता गया और वहां भी वही अधिकार दिये गये जो उत्तर प्रदेश के और हिस्सों में हैं। केवल एक बात की कमी जो इस विधेयक में मालूम होती है वह सक्सेशन की है। वहां के रीति रिवाजों को देखते हुये उनके अनुसार सक्सेशन को कोडीफाइ नहीं किया गया है। अगर वहां के रीति रस्म रिवाजों को स्टडी करके और उसकी जांच पड़ताल करके उनको भी कोडीफाइ कर दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री जी ने जो जौनसार बावर जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था विधेयक प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। मुझे तो यह आश्चर्य है कि यह विधेयक इतनी देर से क्यों आया। मुझे भी सन् १९५२ में जौनसार बावर में जाने का मौका मिला और मैंने भी कुछ वहां की स्थिति को देखा। मैं यह कह सकता हूं कि बावजूद इसके कि मौर्य जी का ख्याल है कि वहां का भाग पिछड़ा हुआ नहीं है मैं आज भी समझता हूं कि जौनसार बावर का जो क्षेत्र है वह इस प्रदेश के अन्दर बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यदि वहां के सामाजिक जीवन को देखा जाय तो हमें दुख यह होता है कि आज भी इस युग में जब कि हम सामाजिक जीवन में काफी आगे बढ़ गये हैं वहां ऐसी कुरीतियां आज भी मौजूद हैं जिसके लिये हम में से कोई भी इन्सान गौरव नहीं कर सकता। यह आज भी सत्य है कि जहां तक स्त्रियों का सम्बन्ध है उनका वहां के समाज में कोई स्थान नहीं है। आज भी वहां इस किस्म की प्रथा है कि एक भाई की पत्नी सभी भाइयों की पत्नी होती है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें वहां जो सयाना है जिसको एक किस्म से जमींदार कह सकते हैं। वहां उसका पूर्ण आधिपत्य है। आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी उसका सबसे बड़ा स्थान माना जाता है और जो वहां सबसे अधिक दलित और गरीब लोग हैं उनको कोलटा कहते हैं। हर गांव का सयाना उस गांव का मालिक होता है और कोल्टा जाति के जो लोग हैं उनका जीवन पहले समय में जो दासता की कुछ प्रथायें थीं उससे किसी मानी में कम नहीं है। मुझे यहां तक मालूम है कि कुछ ऐसे मौके भी होते हैं कि इन सयाने साहब को या सदर सयाना को कोल्टा लोगों को अपने कंधे पर बैठा कर गांव में घुमाना पड़ता है। इस

[श्री नवल किशोर]

तरह की चीज जौनसार बावर में होती आयी है और आज भी होती है। जहां तक भूमि का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि वहां किसी तरह की व्यवस्था अब तक नहीं की गयी थी, जैसा कि माननीय उप-मंत्री ने स्वयं कहा कि वहां कुछ इस तरह से नहीं है कि गांव के हिसाब से लैन्ड रेवेन्यू इकट्ठा होती हो। वहां कुछ गांवों को इकट्ठा करके जिसको खात कहते हैं उस पर गवर्नमेंट की तरफ से एक सदर सयाना होता है वह हर गांव का जो एक-एक सयाना होता है उसके ऊपर बांट देता है और जो मनुष्य वहां खेती करते हैं उनके पास कितनी खेती है इस हिसाब से नहीं, बल्कि इस हिसाब से, कि उनकी रुपया देने की कितनी शक्ति है, उनसे रुपया वसूल किया जाता है।

जिस वक्त हमारे प्रदेश में जमींदारी एबालिशन ऐक्ट पास हुआ उस वक्त उसमें इस किस्म का एक प्राविजन रक्खा गया कि वह ऐक्ट इस क्षेत्र पर भी लागू होगा, लेकिन वहां जो स्थिति है उसको देखते हुये एकदम से जमींदारी एबालिशन ऐक्ट वहां लागू नहीं किया जा सकता था। इसलिये वहां के लिये कुछ प्रपेयरेटरी ग्राउन्ड्स को तैयार करने की बात सोची गयी और मैं समझता हूं कि इसीलिये यह विधेयक इस सदन में लाया गया है ताकि वहां पर कुछ रेकार्ड्स बन जायं, जिससे वहां पर भी जैसे यहां इंटरमिडीयरीज को खत्म किया गया यहां पर भी खत्म किया जाय और जो लोग वहां जमीन जोतते हैं वे जमीन के मालिक हों और लैन्ड रेवेन्यू बजाय गांव के हिसाब से बांटने के जो व्यक्ति जितनी जमीन जोतता है उस जमीन के हिसाब से लैन्ड रेवेन्यू दें। इसके साथ ही साथ यह भी है जिस तरह से हमारा लैन्ड टेन्योर इस तरफ है वह वहां भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के आने के बाद वहां के जो छोटे लोग हैं, गरीब हैं, जो आर्थिक दृष्टि से पददलित हैं उनको एक नया जीवन मिलेगा। और उनको इस बात का मौका मिलेगा कि वे अपना सामाजिक और आर्थिक जीवन ऊंचा उठा सके और जमींदारी एबालिशन ऐक्ट जिसकी अभी कुछ शिकायत थी कि वहां लागू नहीं होता वह भी लागू हो जायगा। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि सदन इसे शीघ्र ही पास करेगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जौनसार बावर का जो बिल हमारे सामने उपस्थित है मुझे शंका है कि उन गरीबों का जो प्राब्लम है पहाड़ों में वह हल होने वाला नहीं है क्योंकि एक डेढ़ एकड़ से बेशी किसी के पास जमीन नहीं होगी। मुझे खेद है कि मौर्य जी ने अपने जमाने की बात कही या किसी और जमाने की बात कही मानो पहाड़ वे गये या नहीं गये। जिस जमाने में हम लोग नैनीताल में जाते है तो वहां देखते है कि पहाड़ों पर कहीं थोड़े से इस टुकड़े में खेती होती है, कहीं उस टुकड़े में। उन गरीबों को दशा देख कर आंसू गिर जाता है। पहले पहल जब मैं नैनीताल गया तो वहां गरीबों की दशा देखी, देखा कि किस तरह वे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, देख कर आंसू गिर गया। मैं कहूंगा कि इस जौनसार बावर विधेयक से काम होने वाला नहीं है। करोड़ों रुपया खर्च करके उद्योगों को फैला कर वहां पर लकड़ी है, उसका उद्योग फैलाइये। कानून एकसां होना चाहिये प्रान्त के अन्दर, आपने जमींदारी एबालिशन कानून बनाया। उसको वहां लागू कर दीजिये। मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि साफ साफ कानून होना चाहिये। जमींदारी एबालिशन कानून बना लेकिन प्लेंस में भी गरीब लोगों को कोई अधिकार नहीं जमींनों पर। लठबंद अपनी लाठी की ताकत से खेतों पर कब्जा किये हुये हैं। नवलकिशोर जी ने बताया कि जमींदारों के जुल्म अब भी जारी है। उनकी ताकत ब्रिटिश हुकूमत से भी ज्यादा दिखती है। नोट आफ डिसेंट में नारायणदत्त तिवारी जी ने "नीगरो" शब्द का प्रयोग किया है। मैं उनसे सहमत हूं। जो उनके साथ व्यवहार है वह देखने पर बन आता है। मैं स्वयं हल्द्वानी गया हूं। उस गरीब इलाके में गया हूं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य हल्द्वानी तथा जौनसार बावर को एक न समझें।

श्री शिवनारायण—उसी तरह का है । सब पहाड़ी इलाका है । देहरादन के इलाके में भी मुझे जाने का मौका हुआ है । मैं पिछले साल हरिद्वार गया था । जौनसार बावर में जो छुटपुट जमीन है उसके लिये साफ साफ कानून बने कि जो जिसकी जमीन है वह उसका मालिक होगा । यह मेरा ए क छोटा सा अमेंडमेंट है । मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वह चार वर्ष के बाद इस बिल को लायी । लेकिन इसको इससे पहले आना चाहिये था । मैं माल मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि उन गरीबों को जो जौनसार बावर में रह रहे है उनकी विपत्ति को हल किया जाय, जो कोल्टा कहलाते हैं वे हरिजन कैटेगरी के आदमी है गरीब हैं, दुखी हैं हमारा नारा था कि हम गरीबों को उठायेंगे । तो उन गरीबों की मुसीबत को हल करना इस सरकार का, माल मंत्री का इस प्रान्त का कर्त्तव्य है । वहां पर मुझे यहां तक ज्ञात है और उन गरीबों की जो दशा वर्णन की गयी है वह किसी से छिपी नहीं है । एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक स्त्री के वहां पांच पति होते है । मैं उस पर अधिक कुछ न कहूंगा । उनकी गरीबी पर मेरा विशेष जोर है । गवर्नमेंट उनको रोजगार दे । उनका कुछ बिजनेस डेवलप करे, छोटे-मोटे खेत दे । जहां जंगल कट रहे हैं, उनको वहां जमीन दे । वहां मैदान के लोग जाकर बसते हैं, क्यों न उन गरीबों को दे दें ? न्याय ऐसा कहता है । (एक आवाज) नेगी साहब से भी मैं कहता हूं । नेगी साहब अगर खुद ऐसे है तो दें । नेगी साहब से भी यही निवेदन है, आपसे भी यही निवेदन है और सरकार से मैं विशेष रूप से कहता हूं कि जो जंगलात कट रहे हैं वे उनको दिये जायं । तब जौनसार-बावर का कानून सफल होगा । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत है उसका मैं स्वागत करता हूं । खेद इस बात का है कि यह विधेयक बहुत पहले आना चाहिये था। इस राज्य में हमने अपना यह ध्येय बनाया है कि हमारा कल्याणकारी राज्य होगा । जौनसार-बावर की अवस्था बड़ी हीन है । वहां बड़ी गरीबी है अन्दाज तो इसी से होता है कि वहां जमीन कितनी थोड़ी है । एक आदमी के पास करीब डेढ़ एकड़ है और पहाड़ की जमीन में उतना पैदा नहीं होता, जितना नीचे की मैदान की जमीन में पैदा होता है । जहां इतनी गरीबी है उस गरीबी को दूर करन का बहुत बड़ा प्रयत्न करना चाहिय था। यह तो ठीक ही है कि वहां जो कानून खराब था उसे ठीक कर दिया गया है । कोल्टा आदि जातियां जो कि व्यावहारिक रूप में अब तक दासता में थी उस दासता को खत्म किया जा रहा है यह बहुत अच्छी बात है । यह भी इस कानून में बहुत अच्छी बात है कि जो मुआवजा या जो प्रतिकर दिया जा रहा है वह ज्यादा झगड़े का नहीं रखा गया । वह १६ गुना दे देंगे । वहां की गरीबी को देखते हुये अगर इससे भी ज्यादा दिया जाता तो मैं उसे पसन्द करता ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सवा बज गया है । अगर वह कुछ और कहना चाहेंगे, तो सवा दो बजे हम फिर बैठेंगे, उस समय जारी रख सकते हैं ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री रतनलाल जैन—अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था कि जिस स्थान के लिये यह विधेयक आया है—जौनसार बावर—उसकी परिस्थिति एक अनोखी है । वहां जहां तक वहां के चरित्र का सम्बन्ध है, ईमानदारी और सच्चाई का, उसमें वह प्रशंसनीय है और जहां तक गरीबी का सम्बन्ध है वह भी एक नीचे दर्जे की है, बहुत अधिक है और जहां तक उनके रीति रिवाज का सम्बन्ध है वह भी ज्यादा अच्छे नहीं है । ऐसे प्रदेश के लिये यह विधेयक बनाया गया है । मेरे विचार से तो यह विधेयक इस से पहले आ जाना चाहिये था । इससे दो तीन बातों में बहुत लाभ होगा । वहां जो

[श्री रतनलाल जैन]

कोल्टा आदि जातियां दासता का जीवन व्यतीत कर रही हैं और जिनके तरीके दासता के हैं, वे समाप्त हो जायेंगे। इस विधेयक में यह बात भी अच्छी की गयी है कि उनको जमींदारी-विनाश में जो प्रतिकर है उसकी अपेक्षा कुछ अधिक मिलेगा। इसमें सीधे-सीधे १६ गुना रखा गया है और १६ गुना भी लगान पर। मालगुजारी के हिसाब से नहीं, लगान पर और लगान चूंकि वहां पर अधिकतर जिन्सी है तो इस तरह से वहां लगाना अधिक आयेगा और उसका १६ गुना होगा। इसमें यह भी दिया गया है कि वह प्रतिकर नकदी के रूप में दिया जायगा, न कि बांड्स के रूप में जैसा कि जमींदारी-विनाश अधिनियम में दिया गया है। जहां तक बांड्स का तरीका है उससे एक तरह से इन मध्यवर्तियों को आधा ही रुपया मिलता है। वह बांड्स बाजार में ६० रुपया ५० रुपये के हिसाब से बिकते हैं। यहां पर प्रतिकर नकदी के रूप में मिलेगा, या अगर किस्तें होंगी तो वह भी १० वर्ष की।

इसमें एक बात यह भी दी गयी है कि वहां पर जो सक्सेशन होगा, जो विरासत चलेगी वह जमींदारी विनाश में जो तरीका रखा गया है वह नहीं होगा। बल्कि वह पुराने तरीके पर छोड़ दिया गया है। यह अच्छा होता कि वह पुराना तरीका भी इसमें तय कर दिया जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर गरीबी बेहद है। हमारे देश को स्वतंत्र हुये ९ वर्ष हो गये। इन वर्षों में उस प्रदेश के सुधार के लिये अधिक कार्य नहीं हुआ है। वहां की गरीबी को दूर करने का काम इस विधेयक या अधिनियम से पूरा नहीं होगा। उनकी आर्थिक दशा वही रहेगी जो पहले से थी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सरकार से इस बात पर जोर डालें कि वहां पर गरीबी को दूर करने के लिये कार्य किये जायं। गरीबी को दूर करने के लिये रास्तों का ठीक होना, वहां पर कुछ उद्योग-धंधों का चलना एक बहुत जरूरी चीज है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस अधिनियम के साथ-साथ सबसे आवश्यक चीज यह है कि वहां गरीबी को दूर किया जाय। जहां तक मेरा अन्दाज है और मुझे मालूम है, वहां गरीबी को दूर करने के लिये कोई खास काम नहीं किया गया। हम देखते हैं कि पूर्वी जिलों के लिये और बुन्देलखंड के लिये बहुत से ऐसे कार्य किये गये हैं जिससे वहां की गरीबी दूर हो। वहां पर आबपाशी और सड़कों के साधन किये जा रहे हैं। पहाड़ में आबपाशी के साधन तो नहीं हो सकते मगर सड़कें बनायी जा सकती हैं और ऐसे घरेलू उद्योग-धंधे शुरू किये जा सकते हैं, जिससे वहां की गरीबी की हालत दूर हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)—आज जौनसार-बावर सम्बन्धी विधेयक सदस्यों के सम्मुख है। यहां आने से पूर्व जौनसार-बावर के सहिया प्रदेश का एक डेपुटेशन जिसमें कि ७—८ व्यक्ति थे मेरे पास आया था और उन्होंने जौनसार के सारे दुखों को चार भागों में विभक्त किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बड़ा दुःख तो हमें प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट जो बन गया है उसके कारण होने की संभावना है। अब तक मकानों की लकड़ी तथा वैसी लकड़ी और वन सम्बन्धी सामग्री के लिये हमको बड़ा सुभीता था और हम एक तरह से जंगल के राजा ही कहलाये जाते थे। लेकिन इस ऐक्ट के बन जाने से हमको बड़ी असुविधा होगी। इसलिये सबसे पहले वन विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करता हूं कि जो पहला दुःख है कि जो ऐक्ट बना है वह ऐसे ढंग से, ऐसी मधुरता से लागू किया जाय कि इन लोगों को जो सैकड़ों वर्षों से स्वतंत्र चले आये हैं, वन के विषय में किसी प्रकार का दुःख न हो।

दूसरा दुःख उन्होंने बतलाया कि पुलिस का है। जब से उन्होंने यह सुना है कि यहां रेगुलर पुलिस हो जायगी तब से लोग चिंतित हैं। वे कहते हैं कि अब तक जैसा गढ़वाल में है या टेहरी—गढ़वाल में था कि पटवारी ही पुलिस का काम करते थे, उससे खर्चे की बहुत बचत होती थी और यह सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, यद्यपि उसमें भी अत्याचार तो होते थे लेकिन यदि रेगुलर पुलिस जौनसार में भी हो जायगी तो हमारे दुःख बहुत बढ़ जायेंगे। मालूम नहीं, देश में और जगह जैसी खराबियां रेगुलर पुलिस के कारण से हैं, उनसे भी ज्यादा दुःख हमको जौनसार में होंगे।

तीसरा दुःख उन्होंने कहा कि यह है कि अफीम को सरकार बन्द करने लगी है, यानी वहां के लोग अफीम बेंच नहीं सकेंगे। वहां तो अफीम की पैदावार बहुत है, लेकिन सरकार कहती है कि तुम बेंच नहीं सकते, थोड़ी बहुत लगा लो और खाना चाहो तो थोड़ी खा लो। तो तीसरा दुख उनका यह है।

चौथा दुःख उन्होंने कहा शेड्यूल कास्ट्स का है जिनको कोल्टा कहा जाता है।

इस विधेयक में इन पहले तीन दुःखों का सरकार ने क्या इलाज सोचा है? कोल्टा वगैरह का जो दुःख है उसको दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। असल बात यह है कि यह विधेयक पहले आना चाहिये था किन्तु ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपने समय में भी इसको एक अछूता प्रान्त छोड़ा। यह वैसे भी अछूत था और इसको छोड़ भी गये अछूता और इसमें किसी प्रकार के नये कानून नहीं बनाये। उनको घर में शराब बनाने की अनुज्ञा थी, किन्तु वे बेच नहीं सकते थे। और भी बहुत सी बातें थीं। इससे मेरा ख्याल है कोल्टाओं का या और जो अछूत कहलाने वाली जातियां हैं उनका दुःख दूर हो जायगा। तो एक दुःख का इलाज सरकार कर रही है। वहां कोई सेटिलमेंट नहीं था और जिस प्रकार के कानून यहां हैं वैसे वहां नहीं लागू होते थे और वहां बहुत से अच्छे रिवाज भी थे जैसा कि मौर्य जी ने कहा कि उनका पंचायती सिस्टम था जिससे वह बड़े से बड़े मामलों का भी फैसला आपस में ही कर लेते थे। सयाना उनमें थे वे माने में सयाने नहीं थे, बल्कि उनका नाम सयाना था। वे कोल्टाओं पर अत्याचार करते थे। इस तरह से जो कोल्टा थे वे किसी ऋण के कारण या किसी बंधन के कारण या सेवाभाव से प्रेरित होकर जो वह इस प्रकार की दुर्दशा में फंसे थे और सयाने उनको तंग करते थे और इसका कोई इलाज नहीं था। इसलिये गवर्नमेंट ने बड़ी बुद्धिमत्ता से यह बिल पेश किया है और इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं।

मेरे ख्याल में जौनसार बावर के तीन चौथाई लोगों का अवश्य दुख दूर हो जायगा और रात-दिन जो सयानों के अत्याचार होते थे वे अब दूर हो जायेंगे। मैंने जौनसार-बावर को आधा देखा है, पूरा नहीं देख सका और है भी बड़ा मुश्किल, क्योंकि ८ मील चलो तब कहीं जाकर दो कुटिया आती हैं और ४-५ आदमी मिलते हैं। वैसे बहुत ही सुन्दर देश है, लेकिन बड़ा विकट देश है। अब वहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट खुले हैं, इससे लाभ पहुंचने की आशा थी, लेकिन वहां जो उच्च अधिकारी श्री डे थे वह देखने के लिये गये कि देहरादून जिले में जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट लगा है वह कैसा चल रहा है तो वह कालसी गये और लोगों ने पूछा, कहो क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि बड़ा सुन्दर देश है। वहां झरने भी बड़े सुन्दर हैं, बड़े रमणीक स्थान हैं। लेकिन कम्युनिटी प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, वह मैं वहां नहीं देख रहा हूं। वहां कोई काम नहीं किया गया। जब उनकी रिपोर्ट अखबारों में छपी और उन्होंने कहा कि "आई ऐम नाट सैटिसफाइड विद कम्युनिटी प्रोजेक्ट" यानी मैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट के काम से संतुष्ट नहीं हूं, तब जाकर खलबली मची और अब आशा है कि वहां काम ठीक होगा। वहां सड़कें बन रही हैं, बाग लगाये जा रहे हैं, पेड़ लगाये जायेंगे। वहां जगह वैसे ही बहुत कम है, इससे और भी कम हो जायगी और फिर खेती कैसे हो सकेगी।

ऐसा मालूम होता है कि इस संक्रमण काल में सरकार एक तरह से ऐक्सपैरीमेंट कर रही है। अनुभव से नहीं कर रही है। आज एक बात करती है और कल दूसरी बात करती है। सरकार ने इधर पी० आर० डी० को बनाया और बाद में उसे पुलिस में मिला दिया। वहां सड़कें क्या बनानी हैं, वहां तो वैसे ही जगह की कमी है। पेड़ लगायेंगे तो और भी कम हो जायगी। वह तो पिछड़ा हुआ प्रान्त है और उसी तरह से चलना चाहिये। उनमें बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, जैसे ईमानदारी और एकता है। शांतिप्रपन्न जो यहां बैठकर उनकी बुराई करें तो उनका वहां रहना मुश्किल हो जायगा। क्योंकि वह भी स्वाभिमान रखते हैं एक बार वे नाच रहे थे और एक डाक्टर ने उनका फोटो लेना चाहा और जब उनको मालूम हुआ कि यह फोटो छपने जायगा तो वे उसकी ओर लपके और उसको खड में फेंकने ही वाले थे तो लोगों ने उसे बचाया और उसने दो महीने की छुट्टी ली और लोगों को बड़ी मुश्किल से समझाया बुझाया। अब वह कहीं जाकर वापस

[श्री नरदेव शास्त्री]

गया है। वह अपनी बुराई सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। बुराइयां भौगोलिक कारणों से होती हैं। इसी तरह से जौनसार-बावर के लोगों के साथ दूसरे तरीके की बात है और एक बात है कि अंग्रेजी राज्य में भी उनकी दशा में भौगोलिक बुराइयों में कोई परवर्तन नहीं हुआ। अब यह परिवर्तन इस स्वराज्य काल में हो रहा है इसके लिये उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और इन बातों के लिये वह बड़ा बुरा मानते हैं कि वन विभाग की कार्यवाही से उनके अधिकार जब्त हो जायेंगे और उनको जलाने की लकड़ी नहीं मिलेगी, रेगुलर पुलिस वहां आ गयी तो वह मुश्किल में पड़ जायेंगे, अफीम की वजह से जो आमदनी उनको होती थी वह बंद हो जायगी। कोल्टा आदि के लिये जो कुछ हुआ है वह तो ठीक है। मैं वहां का प्रतिनिधि नहीं हूं तथापि देहरादून में कचहरी के पास रहने के कारण कभी कभी जौनसारी लोग मिलते रहते हैं, इसलिये उनके दुःख सुना करता हूं। उनको एक दुःख यह भी है कि बाहर से जो अतिथि आते हैं भारत में, बुल्गानिन, टीटो आदि उनके मनोरंजन के लिये जौनसारी देवियों को ले जाकर नचाया जाता है और उसको नाम सांस्कृतिक सम्मेलन का दिया जाता है। वह कहते हैं कि यह हमारे लिये बड़ी बदनामी की बात है। एक जौनसारी मुझे मिला था उसने बताया कि एक सयाने को दबाया गया और सयाने ने १०, ५ देवियों को तैयार किया और उनक दिल्ली भेजा गया और वहां उनका नाच तमाशा होता रहा। तो जौनसार में इससे बड़ा गुस्सा है। जहां का जो गुण होगा वह तो मशहूर होगा ही। वह नृत्य आदि में कुशल हैं और इसलिये उनकी प्रशंसा होनी उचित ही है। सरकार इस प्रकार का विधेयक लाई, इसके लिये मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन इस पर अमल करने के पहले मंत्री जी को एक बात का ध्यान रखना चाहिये कि इसके लिये जो अधिकारी वहां नियुक्त हों वे ऐसे हों कि उन लोगों को यह प्रतीत न हो कि हम लोगों पर कोई जुल्म हो रहा है। वहां के लोग नामकरण संस्कार में बड़े विचित्र हैं। एक तहसीलदार रहता था कालसी में और वह जुल्म जबरदस्ती करता था तो उन लोगों ने कालसी का नाम जुल्मगढ़ रख दिया। ऐसे ही मसूरी में कोई अफसर गड़बड़ करता था, उसका नाम उन्होंने चान्डालगढ़ी रख दिया। तो इसलिये कुछ गड़बड़ होने से वह ऐसा नामकरण कर देते हैं कि जिसका सम्हालना मुश्किल हो जाता है। अब अंत में मैं आपको बधाई देते हुये अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बहस हुयी है उसमें विधेयक की बाबत कोई खास बात नहीं कही गयी और जो दो, चार बातें हुयी हैं उनकी बाबत में कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

श्री नारायणदत्त जी ने यह कहा कि काश्तकार की जो डेफनीशन दी गयी है इसमें, वह ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में जो व्याख्या उन्होंने अपने अमेंडमेंट के द्वारा इसमें लाने की कोशिश की है और जिस पर आगे चल कर बहस होगी, उससे यह अधिक वाइड है, क्योंकि वह जो व्याख्या देते हैं वह यह है कि काश्तकार, मौरूसी काश्तकार, गैर मौरूसी काश्तकार और सर्विस टैन्योर का काश्तकार, जो कि सन् ५२ के सेक्योरिटी और रेकर्डस आपरेशन्स के अधिनियम में दी गयी है उसकी परिभाषा को वह चाहते हैं। यह इसमें जो परिभाषा है वह काफी वाइड है कि जो आदमी लगान देता है, पेएबिल या देय है लगान जिसका, वह काश्तकार माना जायगा और सर्विस टैन्योर के लिये स्पष्टीकरण में कह दिया गया है कि वह सर्विस टैन्योर भी लगान देय में माना जायगा जो काम करता है। तो इस तरह से हर तरह का काश्तकार इस काश्तकार की परिभाषा में आ जाता है। एक बात उन्होंने यह कही थी कि यह १६ गुना क्यों रखा गया? यह १६ गुना लगान इसलिये रखा गया है कि वे छोटे जमींदार हैं यह रकम उनके लिये कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि जमींदारी अबालिशन में जो हमने दिया है वह ८ गुना सब को दिया और २० गुना दिया गया है रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट में, तो इस तरह से वह २८ गुना तक हो जाती है। यह कुल मिलाकर १६ गुना दिया गया है। मौर्य जी ने बतलाया था कि कुछ काश्तकार हैं जिनके लगान का हिसाब लगाया जायगा तो उनका ३ गुना तक आयेगा उनका जो लैन्ड रेवेन्यू है उसका

तीन गुना तक हो सकता है और उसका १६ गुना तक हो जायगा तो उनको ४८ गुना तक मिलेगा। लेकिन इस तरह के काश्तकार बहुत कम है। यह तो आखिरी लिमिट है। वही मान ली गयी है। परिस्थिति के अनुसार जिस की जैसी सर्विस है और उनका जो हिसाब आयेगा उस पर उसी तरह से लगान लगाया जायगा। इस तरह के बहुत थोड़े मामले हैं। यह जो १६ गुना का फैसला किया गया है यह सही समझकर किया गया है, यह सबके लिये ठीक है। इसलिये यह १६ गुना देने की बात काफी सोच समझकर रखी गयी है।

तीसरी बात कही गयी प्लौंगिया प्लान्टेशन के बारे में। यह कोई बेगार की बात नहीं है वहां बेगार से बाग नहीं लगाये जायँगे। यह इलाका ऐसा है कि जहां पर फारेस्ट होना चाहिये। जमीन कटती है उसको रोकने के लिये यह जरूरी है। जहां पर फारेस्ट के लिये नोटिफिकेशन हो जायगा तो वहां पर फारेस्ट प्लान्टेशन किया जायगा। तब तक वह खेती करते हैं तो करें, लेकिन उस जमीन पर उनको पूरे अधिकार देना ठीक नहीं है, क्योंकि आखिर में तो वहां पर फारेस्ट बनना है। वह जमीन किसी दूसरे की होगी या सरकार की होगी, लेकिन उसमें वह सीरदार या भूमिधर नहीं हो सकते हैं। उनको चन्द दिन उस पर काश्त करनी है। इसलिये वह बेकार बात कही गयी है और वह सवाल इसके लिये नहीं आता है।

उपाध्याय जी ने कुमायूं के लिये कहा कि वहां पर जो नवतोड़ के नियम हैं, वह यहां पर लागू किये जायं। यह मानी हुयी बात है कि जो परिस्थिति कुमायूं की है वह यहां कि नहीं है। जौनसार-बावर की परिस्थिति दूसरी है इसलिये वह रेगुलेशन यहां पर लागू नहीं हो सकते। इसके अलावा और कोई खास बात नहीं है जिसका जवाब दिया जाय। यह एक उनको फायदा पहुंचाने के लिये विधेयक है और मैं आशा करता हूं कि इसको मंजूर किया जायगा।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५ पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में : परिभाषायें।

(क) "कलेक्टर" का तात्पर्य देहरादून जिले के कलेक्टर से है और इसके अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का ऐसा असिस्टेंट कलेक्टर भी है, जिसे राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के समस्त अथवा किन्हीं कृत्यों के सम्पादन का विशेष रूप से अधिकार दिया हो;

(ख) "कमिश्नर" का तात्पर्य मेरठ डिवीजन के कमिश्नर से है और इसके अन्तर्गत मेरठ डिवीजन का अतिरिक्त कमिश्नर भी है;

(ग) "प्रचलित बन्दोबस्त" का तात्पर्य मालगुजारी के उस बन्दोबस्त से है, जो इस अधिनियम के अध्याय १ के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर उक्त परगना में प्रवृत्त हो;

(घ) "काश्तकार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके द्वारा लगान देय हो अथवा किसी व्यक्त अथवा उपलक्षित (express or implied) संविदा (contract) के अभाव में देय होता।

स्पष्टीकरण—जिस व्यक्ति के पास सेवा भौमिक अधिकार (service tenure) के आधार पर कोई भूमि हो वह ऐसा व्यक्ति

है, जिसके द्वारा उस भूमि के लिये, जिस पर उसका इस प्रकार कब्जा है, लगान देय है ।

(झ) "मध्यवर्ती" (intermediary) का किसी भूमि के संबंध में उक्त भूमि के जमींदार से तात्पर्य है यदि वह भूमि किसी काश्तकार की काश्त में हो, किन्तु इसके अन्तर्गत धारा ३२ में निर्दिष्ट किसी भूमि का जमींदार नहीं है ;

(च) "खाग" का तात्पर्य किसी खात के कोई उपखंड (Sub-Division)

(छ) "खात" का तात्पर्य गांवों के एक ऐसे समूह से है, जिसे माल-गुजारी के निर्धारण के लिये प्रचलित बन्दोबस्त में एक एकक (unit) माना गया हो और बन्दोबस्त अभिलेखों (settlement records) में इसी रूप में दर्ज किया गया हो;

(ज) "विधि (law)" के अन्तर्गत कोई ऐसा अध्यादेश आज्ञा, उपविधि, नियम, विनियम, विज्ञप्ति, रीति या रिवाज (ordinance, order, bye law, rule, regulation, notification, custom or usage) है, जिसका इस अधिनियम के अध्याय १ के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उक्त परगनों में विधि के रूप में प्रभाव हो ;

(झ) "परगना" का तात्पर्य देहरादून जिले के जौनसार-बावर परगना से है ;

(ट) "नियत" (prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(ठ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

उ० प्र० का अधिनियम सं० १, १९५१ ।

(ड) शब्द और पद "प्रतिकर अधिकारी" "भूमि", "पट्टा", "विधिक प्रतिनिधि" "स्वामी", "गांव" और "गांवसभा" का, जिनकी परिभाषा यहां नहीं की गयी है, किन्तु जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) में प्रयुक्त हुये हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है ;

(ढ) शब्द और पद "बाग", "खाता", "लगान" और "सायर" का, जिनकी परिभाषा यहां नहीं की गयी है, किन्तु जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९, में प्रयुक्त हुये हैं । वही अर्थ होगा जो उक्त ऐक्ट में क्रमशः "grove," "holding," "rent" और "sayar" का है, और

(ण) शब्द और पद "मालगुजारी", "बोर्ड" और "तहसीलदार" का, जिनकी परिभाषा यहां नहीं की गयी है, किन्तु जो यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में प्रयुक्त हुये हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त ऐक्ट में क्रमशः "revenue Board" और "Tahsildar" का है; और

(त) "जमींदार" का तात्पर्य किसी भूमि के सम्बन्ध में उक्त भूमि के या उसके किसी भाग के स्वामी से है ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) को निम्न रूप में रख दिया जाय—

"(घ) "काश्तकार" का तात्पर्य जौनसार-बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख अधिनियम, १९५२ में वर्णित काश्तकार से है और उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो किसी ऐसी भूमि में काश्त करता है, जिनके लिये वह जमींदार को लगान देता है, या जिसका वह किसी संविदा या अनुबंध न होने की स्थिति में देनदार होता, स्पष्टीकरण—जिस व्यक्ति के पास भूमि सेवा कर्त्तव्य (Service Tenure) के आधार पर हो, वह ऐसा व्यक्ति है, जिसका उस भूमि पर, जिसमें वह काश्त कर रहा है, किसी ऐसे लक्षित अथवा उपलक्षित (express or implied) संविदा के अभाव में जौनसार-बावर क्षेत्र में अब तक प्रचलित रीति-रिवाजों के अन्तर्गत जमींदार की सेवा हेतु कब्जा है।"

श्रीमन्, मैं इस संशोधन के कारणों को पहले भी पेश कर चुका हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री ने अपने विस्तृत अनुभव के आधार पर पुराने काश्तकारों की परिभाषा अधिक परिष्कृत की, लेकिन जो उसके परिष्कृत करने पर भी उसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और स्पष्टीकरण की परिधि बढ़ाने की आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि पुराने अधिनियम की काश्तकार की परिभाषा को देखते हुये, वहां की आवश्यकताओं को देखते हुये तथा कानूनी दृष्टिकोण से वे उचित समझते हों, तो इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नारायणदत्त जी ने जो संशोधन दिया है, मेरा ऐसा विचार है कि उससे कोई ज्यादा सफाई नहीं होती। जहां तक मेरा ख्याल है जो परिभाषा मौजूदा बिल में है वही ज्यादा स्पष्ट है और विस्तृत है। इसमें जो काश्तकार की परिभाषा रखी हुयी है, उसमें उनकी जो भी मंशा है वह सब आ जाती है, कोई भी ऐसा क्लास नहीं बचती जो इसमें न आती हो। अगर उनकी परिभाषा को मान लिया जाय तो दिक्कत पैदा हो जायगी। जो मौरूसी काश्तकार थे उनकी परिभाषा सन् ५२ के ऐक्ट में दी हुयी है। तो इन मौरूसी काश्तकारों को चूंकि राइट्स ज्यादा थे इसलिये उनको भूमिधर बना दिये जाने का विचार है, लेकिन उनका संशोधन मान लेने से वे इससे वंचित हो जायेंगे। इसलिये क्योंकि इस बिल में जो परिभाषा रक्खी गयी है उसी से काश्तकारों का ज्यादा हित होता है, इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय तिवारी जी अपना संशोधन वापस ले लें तो अच्छा हो।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने जो संशोधन उपस्थित किया, उसे मैंने गौर से देखा। प्रवर समिति से जो काश्तकार की परिभाषा आयी है उससे देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो मंशा इस विधेयक की है, वह उससे पूरी हो जाती है। माननीय नारायणदत्त जी ने जो लंबी सी काश्तकार की परिभाषा दी है, उसमें कोई विशेष बात नहीं कही गयी। जो लोग भी लगान देते हैं जमींदार को, और देने के जिम्मेदार हो सकते हैं या सेवा के उपलक्ष में जमीन जोतते हैं वे सभी काश्तकार माने गये हैं। तो कोई आवश्यकता उस परिभाषा की नहीं है जो माननीय नारायणदत्त जी ने रक्खी है। अगर उसमें कोई नयी बात बतायी गयी होती या पहले प्रस्ताव में छूट गयी होती तो उसकी पूर्ति के लिये कुछ विचार करने की बात हो सकती थी। उन्होंने सन् ५२ के ऐक्ट की परिभाषा का हवाला देते हुये बताया कि उसमें काश्तकार की परिभाषा है उसको लिया जाय। लेकिन वह परिभाषा भी इस विधेयक की परिभाषा में आ जाती है। आज चाहे वह मौरूसी काश्तकार है अथवा गैर मौरूसी काश्तकार है, दोनों ही जमींदार को लगान देते हैं। माननीय सदन ने जो विधेयक सन् ५३ में पास किया था उसमें मौरूसी और गैर मौरूसी शब्दों को रख दिया गया था और इसी बात को विचार करके प्रवर समिति ने मौजूदा परिभाषा को रक्खा था। चूंकि उसमें पहले गैर मरूसी काश्तकार की परिभाषा दी गयी थी तो जब यह बिल पहले-पहल पेश किया गया तो इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी। तो हमें सीधा-सीधा वही अर्थ लेना चाहिये कि जो लगान देता है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

देने का जिम्मेदार है या सेवा के उपलक्ष में जमीन जोतता है, सब को हमें अधिकार देने चाहिये। यह सब आजाता है तो थोड़े शब्दों में अगर काम चले और स्पष्ट भी हो तो ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर या किसी परिभाषा में पुरानी परिभाषा के शब्दों का हवाला देते हुये लम्बा-चौड़ा बना देना कोई माकूल नहीं रखता। मैं समझता हूं कि जो परिभाषा है उसमें अगर कोई नुक्स वह बता दें कि इस उद्देश्य की उससे पूर्ति नहीं होती या कोई कमी रह जाती है तब तो विचार करने की बात होगी, लेकिन जब तक वैसी बात नहीं है तब तक उनकी परिभाषा ही शायद उलझन पैदा कर दे और यह वर्तमान परिभाषा ज्यादा स्पष्ट है। इसलिये मैं समझता हूं कि वे अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सन् १९५२ के विधेयक की ओर ले जाना चाहता हूं। अगर हम उस परिभाषा का स्थान इस परिभाषा में नहीं देते हैं तो उसका अर्थ यह है कि उस परिभाषा के अनुसार जो सेटिलमेंट रिकर्डस का हुआ है उन रिकर्डस को अगर हम इस विधेयक में स्थान देते हैं तो सही मानों में एक विरोधाभास पैदा हो जायगा। हमने सन् १९५२ के रिकर्डस को सही माना है तो हमें उनके अनुसार ही इस विधेयक की परिभाषा में स्थान देना होगा, अन्यथा अगर यह अदालत में जायगा तो वह रिकर्ड जो उस परिभाषा के अनुसार बनाया गया था मुमकिन है इस विधेयक की परिभाषा के अनुसार सही न माना जाय। इसलिये इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस की कोई आशंका नहीं रहनी चाहिये। अगर माननीय राजस्व मंत्री जी स्पष्ट कर दें तो मैं इसको वापस लेने के लिये भी तैयार हूं।

मन्त्री (श्री [illegible] सिंह)—अधिष्ठाता महोदय, मेरे दोस्त को जो आशंका है वह निर्मूल है। क्योंकि सिक्योरिटी आफ टिन्योर और लैन्ड रिकर्डस ऐक्ट सन्५२ के मातहत आपरेशंस हुये तो उनकी रू से कागजात में मौरूसी काश्तकार और गैरमौरूसी काश्तकार इन्दराज नहीं हुआ बल्कि सारे काश्तकार लिखे गये। इसलिये उनका जो अंदेशा है वह बुनियाद है। दुसरी बात यह है कि अगर हम उनकी परिभाषा को मानते हैं तो मौरूसी काश्तकार सीरदार होगा क्योंकि हमने तो टिनेंट को लिखा है कि उसमें वह सीरदार होगा। अगर टिनेंट के अन्दर उनकी परिभाषा मानी जाय तो उसमें मौरूसीदार काश्तकार भी आ जाना चाहिये तो वह भी सीरदार हो जायगा क्योंकि हमने टिनेंट को सीरदार बनाया है जबकि मौरूसीदार काश्तकार को हक इंतिकाल हासिल है, और हमारी नीति यह रही है कि जिस किसी को भी हक इन्तिकाल हासिल है चाहे पुराने कानून की रू से जमींदार कहलाता रहा हो चाहे काश्तकार कहलाता रहा हो वह आगे से भूमिधर हो जायगा। तो यह बिल जैसा है अगर ऐसी ही परिभाषा इसमें रहे तो वह मौरूसी काश्तकार भूमिधर हो जायगा स्वतः और तिवारी जी की बात मानी जाय तो सीरदार हो जायगा। इससे उनको नुकसान रहता है, लाभ कुछ नहीं रहता। इसलिये बहुत विचार के बाद प्रवर समिति ने इस परिभाषा को बदल दिया। मैं समझता हूं मेरे माननीय मित्र को अब स्पष्ट हो गया होगा और शायद अब वे विचार करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन् माननीय राजस्व मंत्री जी स्वभाव से बड़े जबरदस्त प्रयोगवादी रहे हैं और उन्होंने बड़े-बड़े जबर्दस्त प्रयोग इस भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में किये हैं। अब काश्तकार की परिभाषा के साथ भी वह इस नये प्रयोग को करना चाहते हैं तो मैं उनको पूरा अवसर देना चाहता हूं कि वह इस परिभाषा के साथ पूरा अपना प्रयोग कर लें। मैं इसको वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जरा एक प्रिंटिंग एरर इसमें रह गयी है वह अर्ज करना चाहता हूं ताकि उसको आप दुरुस्त कर दें। खंड २ (च) में "खाग" का तात्पर्य किसी खात के कोई उपखंड, इसमें आखिर में "से है" छूट गया है उसे बढ़ा दिया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (च) के आखिर में "से हैं" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

बन्दोबस्त के सम्बन्ध में विज्ञप्ति।

३—राज्य सरकार इस अध्याय के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा घोषणा कर सकती है कि उक्त परगना या उसका कोई स्थानीय क्षेत्र, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाय, बन्दोबस्त कार्यों के अन्तर्गत लाया जाता है और तत्पश्चात् उसे बन्दोबस्त के अन्तर्गत रखा जायगा और तब तक वह इसी रूप में रहेगा जब तक कि राज्य सरकार यह घोषित करते हुये कोई दूसरी विज्ञप्ति न जारी करे कि बन्दोबस्त कर दिया गया है।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

बन्दोबस्त अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके अधिकार।

४—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये यथास्थिति उक्त परगने के अथवा उसमें स्थित किसी स्थानीय क्षेत्र के बन्दोबस्त के अवधायक (incharge) के रूप में एक अधिकारी का, जिसे आगे बन्दोबस्त अधिकारी (settlement officer) कहा गया है, तथा उतने सहायक बन्दोबस्त अधिकारी (assistant settlement officer) जितने आवश्यक समझे जायं, नियुक्त कर सकती है।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

अभिलेखों का तैयार किया जाना तथा उनका निरीक्षण।

५—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी क्षेत्र को बन्दोबस्त कार्यों के अन्तर्गत लाये जाने की घोषणा की जाय, तो बन्दोबस्त अधिकारी या यदि बन्दोबस्त अधिकारी ऐसे निर्देश दे तो सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ऐसे क्षेत्र के प्रत्येक गांव का निरीक्षण करेगा और प्रत्येक खाते के सम्बन्ध में अभिलेख तैयार करेगा, जिसमें निम्नांकित दिखाये जायेंगे—

(क) प्रत्येक खाते का क्षेत्रफल,

(ख) खाते के जमींदार का नाम,

(ग) खाते के काश्तकार का नाम,

(घ) खाते में सम्मिलित भूमि धारा ३२ में निर्दिष्ट वर्गों में से किसी वर्ग के अन्तर्गत आती है या नहीं, और

(घ घ) प्रत्येक खाते के अन्तर्गत प्रत्येक गाटे की भूमि का वर्ग,

(ङ) अन्य ऐसे विवरण जो नियत किये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ६, १९५३।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट अभिलेखों के तैयार करने के लिये अधिकारी जौनसार-बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों के अधीन तैयार किये अभिलेखों के आधार पर कार्यवाही करेगा (shall proceed on) और आधुनिकतम (up-to-date) करने के निमित्त उसमें ऐसे परिष्कार अथवा शुद्धियां (corrections) करेगा जो आवश्यक हों।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिं—मेरा एक सुझाव है कि सारे खंड एक साथ ले लीजिये। आप को अधिकार है। टंडन जी अक्सर ऐसा किया करते थे।

अधिष्ठाता—सदन की ऐसी अनुमति हो और किसी साहब को एतराज न हो तो मैं एक साथ ले लूंगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—उधर से एतराज भले ही हो इधर से किसी को एतराज नहीं है।

खंड ६—३१

जमींदारों से संबद्धविवरणों का रजिस्टर।

६—धारा ५ में उल्लिखित अभिलेख तैयार हो जाने पर, बस्दोबस्त अधिकारी ऐसा रजिस्टर तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक जमींदार के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दिये जायेंगे।

(१) नाम,

(२) जमींदार के स्वामित्व में खाते का कुल क्षेत्रफल,

(३) उन खातों का क्षेत्रफल जो काश्तकार के कब्जे में हों, और

(४) अन्य ऐसे विवरण जो नियत किये जायं।

प्रत्येक जमींदार की माल-गुजारी का निर्धारण।

७—बन्दोबस्त अधिकारी प्रत्येक खात के सम्बन्ध में निर्धारित माल-गुजारी को उस खात के जमींदारों में उनके स्वामित्व में रहने वाले क्षेत्रफल और उसकी किस्म का ध्यान रखते हुये नियत रीति से विभाजित करेगा।

मालगुजारी निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्तावों का प्रकाशन।

८—धारा ७ के अधीन मालगुजारी का विभाजन हो जाने पर, बन्दोबस्त अधिकारी प्रस्तावों को नियत रीति से प्रकाशित करेगा और आपत्तियों पर, जो प्रस्तुत की जायं, विचार करके उन प्रस्तावों को आपत्तियों, यदि कोई हों, तथा ऐसी आज्ञाओं के सहित, जो उसने उनके सम्बन्ध में दी हैं, कमिश्नर को प्रस्तुत करेगा जो उनका अनुमोदन या परिष्कार (approve or modify) करेगा और वह दिनांक भी निश्चित करेगा जब से वे प्रस्ताव कार्यान्वित किये जायं।

प्रत्येक जमींदार द्वारा देय माल-गुजारी की घोषणा।

९—बन्दोबस्त अधिकारी प्रत्येक जमींदारी द्वारा देय मालगुजारी की धन-राशि, जैसी की धारा ८ के अधीन अनुमोदित या परिष्कृत हुयी हो, नियत रीति से घोषित करेगा और किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसी धन-राशि प्रत्येक जमींदार द्वारा राज्य सरकार को देय होगी।

लगान का नगदी में परिवर्तन।

१०—(१) यदि किसी खाते के सम्बन्ध में कोई लगान न दिया जाता हो, किन्तु उसके लिये देय हो या यदि लगान जिन्सी (in kind) या खड़ी फसल के किसी अनुमान या कूत के आधार पर या बोयी गयी फसल के साथ बदलने वाली दरों के आधार पर या अंशतः इनमें से किसी एक और अंशतः किसी दूसरे प्रकार से अथवा ऐसे ही अन्य प्रकारों से दिया जाता हो या यदि लगान के बदले किसी प्रकार की सेवा की जाती हो तो बन्दोबस्त अधिकारी देय लगान का या सम्बद्ध काश्तकार (tenant) द्वारा की जाने वाली सेवा के नगदी मूल्य (cash value) का निर्धारण नियत रीति से करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निर्धारित लगान उस खाते की, जिसमें वह खाता स्थित हो, मालगुजारी के अनुपात (incidence) के अनुसार खाते (holding) पर निर्धारण योग्य मालगुजारी के तिगुने से अधिक न होगा।

(२) बन्दोबस्त अधिकारी उपधारा (१) के अधीन निर्धारित लगान की सूचना सम्बद्ध खातों (holdings) के जमींदारों तथा काश्तकारों को नियत रीति से देगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन निर्धारित लगान उस दिनांक से देय होगा, जो कमिश्नर ने धारा ८ के अधीन प्रत्येक जमींदार द्वारा देय मालगुजारी सम्बन्धी प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये निश्चित किया हो।

प्रथम अपील।

११—(१) इस अध्याय के अधीनः—

(क) सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञा से बन्दोबस्त अधिकारी को, और

(ख) बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञा से कमिश्नर को अपील की जा सकेगी।

(२) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये शब्द "आज्ञा" में ऐसी घोषणा सम्मिलित है, जो किसी जमींदार द्वारा देय मालगुजारी के सम्बन्ध में धारा ९ के अधीन की जाय।

द्वितीय अपील।

१२—बदोबस्त अधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा दी गयी आज्ञा से केवल निम्नलिखित दशाओं में बोर्ड के समक्ष द्वितीय अपील (Second Appeal) की जा सकेगी —

(क) जब मूल आज्ञा अपील में परिवर्तित अथवा रद्द कर दी जाय अथवा उलट दी जाय (varied, cancelled or reversed)

या,

(ख) किसी निम्नलिखित कारण के आधार पर, अर्थात्

(१) निर्णय के किसी विशिष्ट (specified) विधि के प्रतिकूल होने की दशा में;

(२) निर्णय से विधि के किसी महत्वपूर्ण विषय (material issue of Law) का निर्धारण न हो सकने की दशा में; और

(३) इस अधिनियम द्वारा नियत प्रतिक्रिया में ऐसी कोई सारवान् (substantial) भूल या दोष (error or defect) रह जाने की दशा में, जिसके फलस्वरूप मुकदमे

का गुणानुसार (upon the merits) निर्णय करने में कोई भूल या दोष रह गया हो।

यू० पी० ऐक्ट सं० ४,१९०१ की धाराओं २१४– २१७ और २२० के उपबन्धों का लागू होना।

१३—यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धाराओं २१४,२१५ २१६, २१७ और २२० के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अध्याय के अधीन किसी अपील पर उसी रूप में लागू होंगे जिस रूप में वे उक्त ऐक्ट के अधीन किसी अपील पर लागू होते हैं।

पुनरीक्षण

१४—बोर्ड किसी ऐसे मुकद्दमे के अभिलेख मंगा सकता है जिसमें बोर्ड को अपील न प्रस्तुत की जा सकती हो, यदि यह प्रतीत होता हो कि उस अधिकारी ने, जिसके द्वारा उक्त मुकदमा निर्णीत हुआ हो, ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं था या इस प्रकार निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया है अथवा उसने अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अवैध रूप से या सारवान् अनियमितता से (substantial irregularity) कार्य किया है। ऐसे मुकदमे में बोर्ड ऐसी आज्ञा दे सकता है जैसी कि वह उचित समझे।

मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्वों का अर्जन।

१५—(१) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा ३ में निर्दिष्ट द्वितीय विज्ञप्ति के जारी होने पर यथाशीघ्र राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके घोषणा कर सकेगी कि उसमें निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से, उक्त क्षेत्र की निर्दिष्ट की जाने वाली भूमि में समस्त मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम तथा स्वत्व निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक के प्रारम्भ से (जिसे आगे निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा) समाप्त हो जायेंगे और उस दशा को छोड़कर जिसकी आगे व्यवस्था की गयी है, सब भारों से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जायेंगे।

(२) यदि राज्य सरकार आवश्यक समझती है तो उसके लिये उपधारा (१) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति को समय–समय पर केवल ऐसे खाते या खातों के सम्बन्ध में जारी करना वैध होगा जो निर्दिष्ट किये जायं और उपधारा (१) के सब उपबन्ध ऐसी प्रत्येक विज्ञप्ति पर और उसके विषय में लागू होंगे।

धारा १५ के अधीन अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित करने के परिणाम।

१६—धारा १५ के अधीन गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने पर, किसी संविदा (contract) लेख्य या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुये भी और इस अधिनियम में किसी भिन्न व्यवस्था के न होने पर विज्ञप्ति से सम्बद्ध भूमि के (जिसे आगे विज्ञप्त भूमि कहा गया है) विषय में निर्दिष्ट दिनांक के प्रारम्भ से आगे लिखे परिणाम उत्पन्न होंगे; अर्थात्

(क) विज्ञप्त भूमि में मध्यवर्ती के सब अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त होकर और समस्त भारों से मुक्त होकर उत्तर प्रदेश राज्य में निहित हो जायेंगे;

(ख) समस्त विज्ञप्त भूमि के सम्बन्ध में जो निश्चित दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर काश्तकार के रूप में किसी व्यक्ति के पास हो, यह समझा जायगा कि राज्य सरकार ने उसका बन्दोबस्त उक्त व्यक्ति के साथ कर दिया है और वह

व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उस भूमि के सीरदार के रूप में उस पर कब्जा करने या कब्जा रखने का अधिकारी होगा ।

(ग) (१) विज्ञप्त भूमि के सम्बन्ध में निर्दिष्ट दिनांक के पश्चात् किसी भी अवधि के लिये काश्तकार द्वारा देय सभी लगान, जो सम्बद्ध मध्यवर्ती के अधिकार, आगम और स्वत्व को अर्जित न किये जाने की दशा में उस मध्यवर्ती को देय होते, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे और उसको देय होंगे, न कि मध्यवर्ती को, और यदि इस खंड के विपरीत कुछ दिया जायगा तो देने वाला अपने दायित्व से वैध रूप से मुक्त नहीं होगा ।

(२) यदि निर्दिष्ट दिनांक से पूर्व किये गये किसी अनुबन्ध या संविदा के अधीन कोई लगान उक्त दिनांक के पश्चात् किसी अवधि के लिये मध्यवर्ती को दे दिया गया हो या उसके द्वारा अभिसंधित (compounded) अथवा अभित्यक्त (released) किया गया हो तो उक्त अनुबंध या संविदा के होते हुये भी वह राज्य सरकार द्वारा मध्यवर्ती से वसूल किया जा सकेगा और वसूली के किसी अन्य ढंग को बाधित न करते हुये ऐसे मध्य-वर्ती को धारा २० के अधीन मिलने वाले प्रतिकर में से काट कर वसूल किया जा सकेगा ।

(घ) मध्यवर्ती मालगुजारी की उस समस्त बकाया का देनदार रहेगा जो निर्दिष्ट दिनांक से पहले की किसी भी अवधि के लिये उससे प्राप्य (due) हो और वसूली के किसी अन्य ढंग को बाधित न करते हुये ऐसे मध्यवर्ती को धारा २० के अधीन मिलने वाले प्रतिकर में से काटकर वसूल किया जा सकेगा;

(ङ) इस प्रकार अर्जित किये गये किसी मध्यवर्ती के अधिकार, आगम और स्वत्व किसी दीवानी या माल न्यायालय की किसी डिग्री या अन्य प्रसर (process) के निष्पादन में कुर्क किया या बेचा नहीं जा सकेगा और निर्दिष्ट दिनांक पर वर्तमान कोई भी कुर्की अथवा उस दिनांक से पहले दी गयी कुर्की की आज्ञा ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निष्प्रभाव हो जायेगी ।

(च) किसी ऐसे रुपये के लिये, जो विज्ञप्त भूमि पर भारित अथवा उस भूमि के किसी बन्धक द्वारा सुरक्षित है, कोई दावा या दायित्व (claim or liability), जो निर्दिष्ट दिनांक से पूर्व मध्यवर्ती द्वारा या उसके विरुद्ध किया जा सकता हो या उपगत (incurred) किया गया हो, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ में दी हुई रीति से भिन्न किसी रीति से ऐसी भूमि या काश्तकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय (enforceable) न होगा ।

(छ) इस अध्याय में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के निम्नलिखित अधिकारों पर नहीं होगाः—

(१) किसी विज्ञप्त भूमि में समाविष्ट (comprised) किन्हीं खानों को चलाते रहने का अधिकार जो तत्समय, प्रचलित विधि द्वारा नियमित होगा, और

(२) निर्दिष्ट दिनांक से पहले के लगान या अन्य देयों (dues) की बकाया की वसूली का अधिकार । ये बकाये इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी, पहले की तरह ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूल किये जा सकेंगे, जिसे उन्हें वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लगान की बकाया की कोई डिक्री या लगान का बकाया न देने के कारण बेदखली की कोई आज्ञा वादऋणी (judgment debtor) को उसके खाते से बेदखल करके निष्पादित नहीं की जायगी; और

(ज) ऐसे समस्त वाद (suits) और कार्यवाहियां, जो नियत की जायं और जो निर्दिष्ट दिनांक पर किसी न्यायालय में विचाराधीन हों तथा ऐसे किसी वाद या कार्यवाही में निर्दिष्ट दिन क से पहले दी गयी किसी डिक्री या आज्ञा से संबद्ध सभी कार्यवाहियां स्थगित कर दी जायंगी (shall be stayed) ।

राज्य में निहित भूमिगत स्वत्वों का कलेक्टर द्वारा अवधान में ले लिया जाना ।

१७—धारा १५ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर, कलेक्टर या उसके द्वारा एतदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के लिये यह वैध (lawful) होगा, कि वह—

(क) कोई विज्ञप्त भूमि तथा ऐसे सभी स्वत्व अपने अवधान (charge) में ले ले जो इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन राज्य में निहित हो गये हों और ऐसे कार्य करे या कराये तथा ऐसा बल प्रयोग करे या कराये जो कलेक्टर अथवा इस प्रकार नियुक्त अधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो ;

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन अर्जित किसी भूमि में प्रवेश करे और उसका पर्यावलोकन (survey) या उसकी पैमाइश करे अथवा कोई दूसरा ऐसा कार्य करे, जिसे वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे;

(ग) किसी व्यक्ति को यह आज्ञा दे कि वह व्यक्ति किसी निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष उक्त किसी भूमि या उसके भाग से सम्बद्ध बही, हिसाब (account) या अन्य लेख्य प्रस्तुत करे और उस प्राधिकारी को अन्य ऐसी सूचना भी दे जो निर्दिष्ट की जाय या मांगी जाय, और

(घ) यदि आज्ञानुसार बही, हिसाब और अन्य लेख्य प्रस्तुत न किये जायं तो किसी भूमि में प्रवेश करे और ऐसी बही, हिसाब तथा अन्य लेख्य लेकर अपने कब्जे में कर ले ।

१८—प्रत्येक मध्यवर्ती को, जिसके अधिकार, आगम और स्वत्व धारा १५ के अधीन अर्जित कर लिये गये हों, प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उसे आगे की गयी व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर दिया जायगा । मध्यवर्ती को प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार।

उ०प्र० अधिनियम सं० ६, १९५३ । १८—क—जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख अधिनियम, १९५२ के, जैसा कि वह धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन परिष्कृत हुआ है, उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये अभिलेखों के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजनों के लिये उनमें उस गांव के, जिससे उक्त अभिलेखों का सम्बन्ध है, प्रत्येक मध्यवर्ती और काश्तकार के अधिकार, आगम और स्वत्व का सही उल्लेख है । उ०प्र० अधिनियम सं० ६, १९५३ के अधीन तैयार किये गये अभिलेखों के इन्दराजों के सम्बन्ध में परिकल्पना (presumption) ।

१९—(१) मध्यवर्ती के अधिकार आगम और स्वत्व अर्जित करने के निमित्त प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान करने के प्रयोजनों के लिये प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर विवरण–पत्र तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें दिखायी जायंगी—

प्रतिकर विवरण–पत्र ।

(क) मध्यवर्ती का या मध्यवर्तियों के नाम,

(ग) विज्ञप्त भूमि से मध्यवर्ती की लगानी आय (rental income), और

(घ) अन्य ऐसे विवरण जो नियत किये जायं।

(२) लगानी आय में काश्तकार द्वारा देय लगान—

(१) नगदी के रूप में, अथवा

(२) यदि लगान नगदी के रूप में देय न हो तो देय लगान का नगदी मूल्य (cash value) जैसा कि वह धारा १० के अधीन नगदी में परिवर्तित (commuted) करके निर्धारित किया गया हो,

सम्मिलित होगा ।

२०—धारा १८ के अधीन मध्यवर्ती को देय प्रतिकर की धनराशि धारा १९ में निर्दिष्ट लगानी आय (rental value) के सोलह गुने के बराबर होगी। मध्यवर्ती को प्रतिकर ।

२१—धारा १९ के अधीन तैयार किया गया प्रतिकर विवरण–पत्र नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति सम्बद्ध मध्यवर्ती को भी भेजी जायगी । विवरण पत्र का प्रारंभिक प्रकाशन ।

२२—स्वत्व रखने वाला कोई व्यक्ति या राज्य सरकार विवरण–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर ऐसे विवरण–पत्र के सम्बन्ध में प्रतिकर अधिकारी के समक्ष नियत रीति से आपत्ति प्रस्तुत कर सकती है । आपत्तियों का प्रस्तुत किया जाना।

आपत्तियों का निपटारा।

२३—(१) उस दशा को छोड़कर जिसकी उपधारा (२) में व्यवस्था की गयी है, प्रतिकर अधिकारी धारा २२ के अधीन प्रस्तुत की गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में, यदि आवश्यक हो, तो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई करके नियत रीति से आपत्तियों का निपटारा करेगा ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत की गयी आपत्ति ,

(क) यह हो कि सम्बद्ध भूमि विज्ञप्त भूमि नहीं है, तो प्रतिकर अधिकारी इस आशय का विचारणीय विषय (issue) निश्चित करेगा और उसे परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector in harge of the Sub-division) को निपटारे के लिये भेज देगा ;

(ख) के अन्तर्गत आगम (title) का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो (involved) और ऐसा प्रश्न पहले किसी समक्ष न्यायालय (Competent Court) द्वारा निर्णीत (determined) न हुआ हो, तो प्रतिकर अधिकारी उस प्रश्न को निर्णयार्थ जिला जज को भेज देगा।

स्पष्टीकरण—इस बात से कि कोई व्यक्ति काश्तकार है या नहीं, यह नहीं समझा जायगा कि इस खंड के आशय के अन्तर्गत आगम का कोई प्रश्न उठाता है।

(३) जिला जज उस प्रश्न का, जो उपधारा (२) के खंड (ख) के अधीन उसे भेजा जाय, नियत रीति से निर्णय करेगा और उसका तत्सम्बन्धी निर्णय अंतिम होगा।

कलेक्टर के समक्ष अपील।

२४—किसी विधि में किसी बात के रहते हुये भी, कोई भी व्यक्ति जो धारा २३ के अधीन आपत्ति का जहां तक उसका सम्बन्ध प्रतिकर की धनराशि से हो निर्णय करने वाले प्रतिकर अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) हो कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है । कलेक्टर ऐसी अपील का नियत रीति से निर्णय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा ।

विवरण पत्र का अंतिम रूप से प्रकाशन।

२५—(१) यदि धारा २१ के अनुसार प्रकाशित प्रतिकर विवरण–पत्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति न प्रस्तुत की गयी हो, या यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत की गयी हो और उसका अंतिम रूप से निपटारा हो चुका हो, तो विवरण–पत्र, यदि आवश्यक हो तो संशोधित, परिवर्तित (altered) या परिष्कृत किया जायगा । प्रतिकर अधिकारी विवरण–पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर अपनी मुहर लगायेगा ।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षरित और मुहर लगाया हुआ विवरण–पत्र अंतिम (final) होगा ।

(३) अंतिम विवरण–पत्र की एक प्रति सम्बद्ध मध्यवर्ती को निःशुल्क दी जायगी ।

प्रतिकर का भुगतान ।

२६—(१) उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (३) में की गयी है, धारा २५ में अभिदिष्ट (referred) अंतिम प्रतिकर विवरण पत्र में उल्लिखित प्रतिकर नगदी के रूप में एक मुश्त या १० से अनधिक वार्षिक किश्तों में, जो भी नियत किया जाय, दिया जायगा ।

(२) प्रतिकर उस मध्यवर्ती को दिया जायगा जिसका नाम अंतिम प्रतिकर विवरण-पत्र में दर्ज हो और यदि प्रतिकर पाने से पूर्व ही मध्यवर्ती की मृत्यु हो जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधियों (Legal representatives) को दिया जायगा।

(३) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा ६९ और ७० के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis) इस अधिनियम के अधीन दिये जाने वाले प्रतिकर पर लागू होंगे।

प्रतिकर पर ब्याज।

२६—क—धारा २५ में अभिदिष्ट अंतिम प्रतिकर विवरण पत्र में उल्लिखित प्रतिकर निश्चित दिनांक (appointed date) से प्राप्य (due) होगा और उस प्रतिकर पर राज्य सरकार निश्चित दिनांक से,

(१) नकदी के रूप में एक मुश्त दी जाने वाली धनराशि की दशा में, धारा २५ के अधीन प्रतिकर विवरण-पत्र के अंतिम प्रकाशन के दिनांक तक, और

(२) वार्षिक किस्तों में दी जाने वाली धनराशि की दशा में पहली किस्त के भुगतान के दिनांक तक और उसके पश्चात् ऐसी धनराशि पर जो अंतिम किश्त की अदायगी के दिनांक तक समय-समय पर बाकी रहे,

२॥ प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष ब्याज देगी।

भूमि का अधीक्षण, प्रबंध तथा नियंत्रण।

२७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी गांव सभा को गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी निश्चित दिनांक से राज्य सरकार के लिये और उसकी ओर से, ऐसी भूमियों और वस्तुओं के (इसमें वन तथा बिना जोती हुयी ऐसी भूमि भी सम्मिलित है जो किसी जमींदार के स्वामित्व में हो) जो नियत की जायं, सामान्य अधीक्षण, प्रबंध परिरक्षण और नियंत्रण का भार सौंपा जा सकेगा।

१९५१ ई० के उ०प्र० अधिनियम सं० १ की ११८ से १२८ तक की धाराओं का लागू होना।

२८—यदि किसी गांव सभा को धारा २७ के अधीन, किसी क्षेत्र में स्थित भूमियों और वस्तुओं के सामान्य अधीक्षण, प्रबंध, परिरक्षण और नियंत्रण का भार सौंपा गया हो तो उक्त परगना पर १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा ११८ की उपधारा (२) तथा धारा ११९ से लेकर धारा १२८ तक के उपबन्ध और धारा १२८ के अधीन निर्मित तत्सम्बन्धी नियमों के उपबन्ध लागू होंगे, किन्तु राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे अनुकूलन (adaptation), परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद (exception) कर सकती है, जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो और जो उसके मतानुसार आवश्यक प्रतीत होते हों। ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई आपत्ति न की जायगी।

भौमिक अधिकार के वर्ग।

२९—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये खातेदारों (tenure holders) के निम्नलिखित वर्ग (classes) होंगे, अर्थात्

(क) भूमिधर,

(ख) सीरदार, और

(ग) असामी।

भूमिधर

३०—(१) इस अध्याय के प्रवृत्त होने के दिनांक से विज्ञप्त भूमि से भिन्न भूमि का प्रत्येक जमींदार, किसी विधि में, किसी बात के रहते हुये भी, उक्त भूमि का भूमिधर कहलायेगा और माना जायगा ।

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (१) के अधीन भूमिधर माना जाता हो और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अनुसार भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर ले, वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सभी दायित्वों का भागी होगा, जो इस अधिनियम के द्वारा, या अधीन, उसे दिये गये हों या उस पर आरोपित किये गये हों ।

सीरदार

३१—प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को—

(क) जो धारा १६ के अधीन मध्यवर्ती के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये जाने के फलस्वरूप सीरदार बन जाय ।

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन और अनुसार खाली भूमि का सीरदार बनाया जाय, और

(ग) जो इस अधिनियम के अधीन और अनुसार किसी अन्य प्रकार से सीरदार के अधिकार प्राप्त कर ले ।

वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्यों का भागी होगा, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सीरदार को दिये गये हों या उस पर आरोपित किये गये हों ।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ६ से लेकर खंड ३१ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खड ३२

असामी

३२—(१) इस अध्याय के प्रवृत्त होने के दिनांक से निम्नलिखित वर्गों में से किसी भी वर्ग की भूमि का प्रत्येक काश्तकार किसी विधि में किसी बात के रहते हुये भी उक्त का आसामी कहलायेगा और माना जायगा ।

(क) बाग भूमि,

(ख) पशुचर भूमि (pasture land) या ऐसी भूमि जो जलमग्न हो और जो कोई उपज पैदा करने के काम में आती हो या ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो,

(ग) भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर दी हो कि वह अस्थिर (shifting) या अस्थायी (unstable) काश्त के भूखंड (tract) का भाग है या उसमें टौंगिया रीति से वृक्ष लगाने का विचार है या वह एतदर्थ अलग कर दी गयी है, और

(घ) भूमि, जो किसी ऐसे जमींदार या किन्हीं ऐसे जमींदारों से ली गयी हो, जिनमें से सभी सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की, जैसा कि वह उक्त परगना पर लागू होता है, धारा १५७ के

(क) से (छ) तक के खंडों में उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक वर्ग के हों।

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (१) के अधीन असामी माना जाय और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अनुसार खाली भूमि असामी के रूप में उठा दी जाय या जो किसी अन्य प्रकार से असामी के अधिकार प्राप्त कर ले, वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सभी दायित्वों का भागी होगा, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन असामी को दिये गये हों या उस पर आरोपित किये गये हों।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ३२ के उपखंड (१) के भाग (ग) की पंक्ति ४ के शब्द "या उसमें टोंगिया रीति से वृक्ष लगाने का विचार है" निकाल दिये जायं ।

श्रीमन्, यह मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका था कि टौंगिया का वर्तमान रूप अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, वह बेगार है। टौंगिया को नयी परिभाषा से नहीं निकाला गया है। टौंगिया जौनसार बावर में होती भी नहीं और न होने की सम्भावना है। बरमा में यह टौंगिया मेथड कोलोनाइजर्स ने अख्तियार किया और वहीं इस पद्धति की शुरुआत हुयी। वही टौंगिया पद्धति यहां भी लागू कर दी। अब जब कि यह अंग्रेजी साम्राज्यवाद की एक प्रतीक है जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है तो यह पद्धति श्रेयस्कर प्रतीत नहीं होती। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को कम से कम निकालने की कृपा करें।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। कुछ जिले इस प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर यह टौंगिया प्रथा प्रचलित है। इसका प्रचलन किस तरह से हुआ यह कहना तो अप्रासंगिक है, लेकिन जैसी यह प्रथा यहां प्रचलित है उसको देखने से ऐसा लगता है कि यह इतनी बुरी नहीं है जैसी की बतलायी गयी। इस प्रथा में कुछ जंगल, एक जमीन के टुकड़े में लगाया जाता है और जब तक उसके पौधे बड़े न हो जायं, पांच वर्ष तक, तब तक उसके बीच की जमीन खेती करने के लिये कुछ लोगों को दे दी जाती है। ऐसी हालत में वह एक तरह से पहरेदार होते हैं। वह जंगल के पेड़ों की रक्षा करते हैं और उसके बदले में उनको खेती करने का अधिकार मिल जाता है। बरमा में कोई तरीका बनाया गया होगा जो गलत हो सकता है। लेकिन इस तरीके में मैं नहीं समझता कि क्या खराबी है। जंगल लगाने के लिये पेड़ लगाये जाते हैं और उनकी रक्षा के लिये आदमी नियुक्त करते हैं और उनको कुछ जमीन दे दी जाती है ताकि वह उससे अपना निर्वाह कर लें। तो मेरी राय में इस प्रथा में कोई हानि नहीं है। चकराता प्रदेश में टौंगिया है या नहीं होगी या नहीं, लेकिन यह वाक्य अगर बने रहते हैं तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, टोंगिया प्लान्टेशन की बात जो इसमें रखी गयी है उसका एक खास मतलब है। उस हलके में जो जमीन है उसकी हालत इस किस्म की है कि वहां पर स्वायल इरोजन, जमीन बहुत खिसकती है जिसकी वजह से उस जमीन की हालत ठीक तौर पर ऐसी नहीं होती जिसके लिये हम कोई मुस्तकिल व्यवस्था वहां पर करें। और चूंकि वहां पर जंगल बहुत कम है, जमीन खाली पड़ी हुयी है उसकी वजह से इस बात की जरूरत है कि वहां पर जंगल ज्यादा लगाये जायं और अगर हम इस किस्म के अधिकार काश्तकारों को दे देते हैं, जिसकी वजह से इसकी व्यवस्था न हो सके तो फिर असल में उस हलके को नुकसान ही पहुंचेगा, कोई फायदा नहीं होगा। उनको सिर्फ आसानी होगी। इसी लिये ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि हम वहां की जमीन का सुधार कर सकें, उसकी सुरक्षा कर सकें और इस बात की भी आशा है कि उसका कोई दुरुपयोग नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर कृष्ण वर्मा]

होगा। बल्कि जो सार्वजनिक हित की बात होगी उसी के मुताबिक उसका प्रयोग होगा। इसलिए अगर वहां की जमीन ऐसी न होती जिसकी सुरक्षा करना मंजूर है और होनी चाहिए तो फिर उनको अधिकार और ज्यादा दिये जाते। लेकिन चूंकि सार्वजनिक हित में यह बात है कि उसकी सुरक्षा की जाय इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रथा का रहना जरूरी है और इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नहीं समझता कि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी को इस संशोधन के द्वारा टेंगुआ प्लान्टेशन की बात का विरोध करने की आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई। यह अंग्रेजी राज्य के जमाने में प्रचलित था इसलिये यह नहीं रहना चाहिये यह तो कोई मुनासिब दलील नहीं है। टेंगुआ शब्द के माने क्या होते हैं यह तो मैं नहीं जानता लेकिन इतना जरूर है कि यह रिवाज सभी जगह है कि बाग लगाने के लिए, दरख्त लगाने के लिए जमीन दी जाय। किसी व्यक्ति को और उस जमीन में उसकी पैदावार से वह फायदा उठाये जब तक कि दरख्त न तैयार हो जायं तब तक काश्त करता रहे, दरख्त की हिफाजत करे और जब दरख्त तैयार हो जायं तब असली मालिक को उन दरख्तो की मिल्कियत सौंप दी जाय। यह दरख्त लगाने का सबसे आसान तरीका अब भी देहातों में माना जाता है। अभी भी लोग दरख्त लगाने के लिए प्रेरित किये जा रहे हैं। सरकार भी चाहती है कि बाग लगाये जायं। सरकार ने यहां तक भी एकरार किया है कि जो लोग अपने खेतों में बाग लगा देंगे उनकी मालगुजारी माफ की जायगी और हमारे जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में यह क्लाज इसी तरह से रक्खा गया है कि इस तरह से दरख्तों के लगाने की सुविधा रहे लोगों को और जो लोग इस तरह से दरख्त लगाने के लिए दूसरों को जमीन दें उनमें उनके अधिकार खत्म न हो जायं बल्कि जो लोग ऐसे दरख्त लगाने के लिए जमीन लें वह असामी की केटेगरी में रहें। तो जो बात जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में है अगर वह वही है और जैसा कि इस सदन ने उस पर पूरे तौर से गौर करने के बाद उसे स्वीकार किया तो उसी के अनुरूप इस विधेयक में भी वह बात रहे तो उसमें कोई हानि या आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

अब यह कहना कि जौनसार बावर में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती तो मैं समझता हूं कि यह भी शायद मुनासिब या सही बात नहीं होगी क्योंकि पहाड़ पर भी जंगल लगाने का या दरख्त लगाने के लिए आवश्यकता तो है ही। काफी जमीन पहाड़ों की खिसकती जा रही है। पहाड़ के जो खेत एक साल बनाये जाते वह दूसरे साल बह कर के खत्म तक हो जाते हैं और इन पहाड़ों में एक तो काफी पहाड़ खिसके भी हैं, जुताई होती रहती है। ऐसी सूरत में कटाव को रोकने के लिए वहां दरख्तों का होना जरूरी है और दरख्त लगाने की जो सुविधा इस क्लाज के जरिये से रखी गई है उस सुविधा को ले लेना मैं नहीं समझता कहां तक मुनासिब होगा। तो, प्लान्टेशन को इन्करेज करने के लिए इस क्लाज का रहना बहुत जरूरी है। जौनसार बावर में भी प्रेरणा मिलनी चाहिए और लोगों को और मैं तो समझता हूं कि वह क्लाज भी शायद हो इसके अन्दर या न हो तो होना चाहिए कि वहां भी जो लोग बाग लगायें अपने खेतों में उनकी मालगुजारी माफ की जाय क्योंकि प्लेंस से ज्यादा जरूरत पहाड़ पर दरख्त लगाने की है। वैसे जौनसार-बावर के किसान खेती करते हैं और अच्छी खेती करते हैं। अच्छी इस माने में कि वहां के किसानों के, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, भुट्टे इतने बड़े-बड़े हैं कि होते हैं कि हमारे प्लेन्स में इतने बड़े-बड़े भुट्टे नहीं होते।

अधिष्ठाता---जौनपुर से भी बड़े होते हैं!

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जौनपुर से भी बड़े होते हैं। जौनपुर के भुट्टे तो नहीं लेकिन जौनपुर की मूली बहुत बड़ी होती है और जौनपुर की मूलियों का मुकाबला इस प्रदेश या समूचे भारतवर्ष का कोई हिस्सा नहीं कर सकता, वैसी मूलियां सारे देश में कहीं भी देखने या सुनने को नहीं मिलेंगी और बहुत से माननीय सदस्यों ने देखा भी होगा लेकिन हो सकता है कि शायद मंत्रिमंडल के कुछ सज्जनों को इसकी वाकफियत नहीं है, मैं उन्हें दावत देता हूं, यही सीजन है मूली का। तो वहां न केवल उनको खाने को, बल्कि उपहार के स्वरूप भी जौनपुर की मूली दी जा सकती है। जौनपुर के भुट्टे भी मशहूर जरूर हैं, प्रदेश के और जिलों के मुकाबले में। शायद ही कहीं वैसा भुट्टा पैदा होता हो, लेकिन मैंने जौनसार बावर में भुट्टे की बालें वगैरह देखीं, ऐसी शायद ही कहीं प्रदेश में होती हों। वहां आदी की फसल, हल्दी की फस्ल इतनी बड़ी-बड़ी होती है कि शायद प्लेन में कहीं देखने को न मिले। तो ऐसी पैदावार बहुत लोग करते हैं, लेकिन फिर भी जो नुकसान हो रहा है, खेती से पहाड़ का खिसकना और मिट्टी के बरबाद होने का वह प्लांटेशन से ही रोका जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि यह क्लाज अगर अमल में नहीं आता होगा वहां तो अमल में आना चाहिये और विधेयक में इस क्लाज को रहना जरूरी है। इसको यह कह करके कि अंग्रेजी जमाने में यह रिवाज चला इसलिए यह रिवाज निकाल दिया जाय, मैं समझता हूं कि यह निकालने लायक रिवाज नहीं है। इससे किसान जो बाग लगाना चाहता है, उसके लिए भी फायदा है और जो लोग बाग लगाते हैं वह उतने दिनों तक जब तक नहीं लगा पाते, उस आराजी की पूरी पैदावार से फायदा उठाते हैं। मैं समझता हूं कि नारायणदत्त जी का संशोधन जरूरी नहीं है कि स्वीकार किया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि वह उसे वापस ले लें। अगर कोई नुकसान होने वाली चीज होती तो मैं जरूर सपोर्ट करता, लेकिन यह फायदा करने वाली चीज है, नुकसान करने वाली नहीं है, इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी अभी माननीय दो सदस्यों ने तिवारी जी की जो शंका थी उसका जवाब दे दिया है। मैं नहीं समझता कि बर्मा में टौंगिया रीति से किस तरह वृक्ष लगाते हैं। जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है उसका मंशा अब भी बेगार या किसी और तरह से काम लेने का नहीं है। इसमें तो इतना है कि सरकारी गजट में जिस इलाके के लिए नोटिफाई कर दिया जायगा कि यहां प्लांटेशन होना है, या उसके लिए कोई अलग जमीन कर दी गयी है उसमें जो काश्तकार होंगे वह आसामी होंगे। उसका कारण भी मैं बता चुका हूं। इसलिये कि वह सीरदार नहीं रह सकते, क्योंकि उस पर खेती होती रहे और दरख्त भी लगा दें, यह दोनों चीजें एक नहीं हो सकतीं। या तो दरख्त लगेंगे, बाग लगेंगे या फारेस्ट होगा, या खेती होगी। तो इसमें सीरदारी के राइट्स तो दिये नहीं जा सकते। असामी इसलिए बनाया गया है कि जब तक दरख्त वगैरा न हो जायं तब तक खेती उसमें होती रहे। तो इसमें असामी के हकूक होंगे, किसी तरह की बेगार वगैरह की बात नहीं है।

जहां तक टौंगिया रीति का सवाल है तो मेरे ख्याल में यह प्रचलित शब्द है। हमेशा शब्दों के मतलब बदलते रहते हैं। "राज्य" के माने जो पहले थे वह अब नहीं रहे। अब उसका मतलब "प्रजा का राज्य" हो गया। तो शब्द की वजह से नहीं भड़कना चाहिये। उसका कभी यह मंशा नहीं है कि कोई किसी तरह का दुरुपयोग हो। मेरा फिर यह निवेदन है कि तिवारी जी अपने संशोधन को वापस लें।

†**श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने भाषण में यह माना कि टोंगिया की परिभाषा क्या है, इससे स्वयं पूरी तरह जानकारी नहीं है। बर्मा में जिस तरह का सागौन का जंगल लगाया गया वहीं से यह परिभाषा ली गयी।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

न तो जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में इसकी परिभाषा हुई, न जौनसार बावर ऐक्ट में, न फारेस्ट मैनुअल में इसके सम्बन्ध में कुछ दिया है। कुछ "टौंगिया" के फार्म्स छपे हुए हैं, जहां प्रयोग किया जाता है। यह समझना जरूरी है कि यह शब्द क्या है। मैं समझता था कि शायद माननीय मंत्री जी परिचित होंगे, और उन्होंने मेरे संशोधन पर विचार होने के पहले उसको ध्यानपूर्वक समझने की कृपा की होगी। मैंने स्वयं कहा था कि टोंगिया की वर्तमान प्रथा को जंगलात विभाग स्वयं उचित नहीं समझ रहा है। अगर वह उसे उचित समझता तो बजाय नये प्लान्टेशन में रुपया खर्च करने के टोंगिया के जरिये करवाती। टौंगिया में होता यह है कि अगर किसी जमीन में प्लान्टेशन लगवाना है तो जंगलात विभाग कुछ आदमियों को बुला कर कह देता है कि इस स्थान पर प्लान्टेशन लगाना है और उस स्थान के कुछ हिस्से कर देता है। मान लो कि उसके चार हिस्से कर दिये। तो जंगलात विभाग उन आदमियों से कहेगा कि इस साल उन चार में से एक हिस्से में तो प्लान्टेशन लगाओ और तीन हिस्से में तुम खेती कर लो, अपने लिये अनाज वगैरह लगा लो। दूसरे साल दूसरे हिस्से में प्लान्टेशन के लिये कहेगा और बाकी दो हिस्से उनकी खेती के लिये देगा। तीसरे साल तीसरे हिस्से में प्लान्टेशन के लिये कहेगा और बाकी एक हिस्से में उनको खेती वगैरह के लिये इजाजत देगा। और चौथे साल पूरी जमीन में प्लान्टेशन हो जायगा और उसके बाद वे लोग बेदखल हो जायंगे, उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। तो इस तरह से बिला मजदूरी दिये उनसे प्लान्टेशन का काम लिया जाता है केवल जितने समय उसमें प्लान्टेशन नहीं होता उतने समय के लिये उनको उसमें अनाज पैदा करने दिया जाता है। उसके बाद उनको उस जमीन में कोई हक नहीं। तो आप सोचिये कि कोई काश्तकार यह जानते हुए कि यह जमीन अगले साल उससे निकल जायगी क्यों उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। और फिर वह क्यों कायदे से प्लान्टेशन ही लगायेगा, जब उससे उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं रहना है।

श्री दीनदयाल जी ने जो टोंगिया की परिभाषा बताई वह सहारनपुर में शायद हो, लेकिन जो मानी हुई परिभाषा है वह मैंने बतलाई। वही बतलायें कि मेरी परिभाषा सही है या उनकी हमारे नैनीताल जिले में अपने घरों से तीन तीन मील दूर घने जंगलों के बीच में लोग टोंगिया लगाने जाते हैं। इस साल हाफिज जी ने शायद नीति बदली है और वह खुद जाने वाले हैं, टोंगिया को बन्द करके जिस जमीन में वे आबाद हैं उसको उन्हें वे देने वाले हैं। तो ऐसी चीज जिसमें एक तरह से बेगार ली जाती है, रखने से क्या फायदा। मैं तो कहूंगा कि फारेस्ट डिपार्टमेंट से आप पूछें कि टौंगिया की परिभाषा क्या है। जो परिभाषा मैंने बतलाई है वह सही है तो फिर जौनसार बावर विधेयक में टौंगिया का कोई स्थान नहीं होना चाहिये।

माननीय मौर्य जी ने यह कहा कि वहां पेड़ लगाने की जरूरत है। एक सदस्य ने कह दिया कि इरोजन होता है। उसके लिये तो जहां गांव की जमीन है वहां पंचायतें बनी हुई हैं। वहां टौंगिया का कोई सवाल नहीं होता। वे फारेस्ट पंचायतें कहलाती हैं। उसके लिये फारेस्ट रूल्स बने हुये हैं। अब आप टौंगिया को फिर जीवित करना चाहते हैं। जिस तरह से पहले सिंघाड़ा था उसको आपने हटा दिया उसी तरह से टौंगिया को भी हटायें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इस शब्द पर इतना जोर दिया जा रहा है। असल में जो धारा (ग) है वह यह है कि इसमें काश्तकार कौन-कौन होगा। उस भूमि का जिसमें टौंगिया रीति से वृक्ष लगाने का विचार है या वह एतदर्थ अलग कर दी गई है। अभी श्री नारायणदत्त जी ने कहा

इसमें टौंगिया की जो परिभाषा की उसकी कोई जरूरत नहीं है। जहां वृक्ष लगाने हैं वहां काश्तकार को कौन से हक होने चाहिये। अभी उन्होंने कहा कि एक साल में एक पोर्शन में वृक्ष लगाये जाते हैं और दूसरे साल दूसरे में और तीसरे साल में सारी जमीन में प्लांटेशन हो जाता है। आखिर एक साल जब काश्तकार उसको जोतेगा तो उसे कौन से राइट्स दिये जायंगे। क्या उसको सीरदार कर दें, अगर उसको सीरदार कर दें तो फिर दरख्त कैसे लगेंगे। यहां तक तो आपने मान लिया है कि कोई अगर माइनर है और जो उसकी काश्त जोतता है तो वह आसामी कहलायेगा लेकिन अगर एक साल खेती करे और दूसरे साल दरख्त लगाये जायं तो क्या उसको सीरदार के हक हो जायं? असल में वह टौंगिया रीति पर ही उलझ गये। अगर उनको असामी के राइट्स न दिये जायं तो फिर उनको क्या राइट्स दिये जायं। यह सवाल प्लांटेशन का है और कहीं ऐसे भी दरख्त लग सकते हैं जो फलदार हों और दूर दूर लगाये जायं तो जब तक वह बड़े न हों उनके पास खेती हो सकती है। मकसद यह है कि ऐसी जमीन पहाड़ों पर है या नहीं जहां बाग या फारेस्ट लगाने की जरूरत है अगर कहीं दरख्त लगाने हैं तो ऐसी जमीन पर उन काश्तकारों की क्या हैसियत हो, उनकी असामी की हैयिसत होगी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें बड़ी विवेचना की क्या जरूरत है। यह तो जहां दरख्त लगाये जायंगे वहां काश्तकारों को असामी के हक होंगे, यही इसकी मंशा है।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३२ के उपखंड (१) के भाग (ग) की पंक्ति ४ के शब्द "या उसमें टौंगिया रीति से वृक्ष लगाने का विचार है" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३२ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३३–४१

उत्तराधिकार

३३—यदि किसी भूमिधर, सीरदार या असामी की मृत्यु हो जाय तो उसके खाते में उसके स्वत्व इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी अवक्रमण, उत्तराधिकार और दाय (Devolution, Suceession and inheritance) के विषय में उस पर लागू होने वाली विधि से उसी प्रकार नियमित होते रहेंगे, मानों वह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १, १९५१ ई० के अध्याय ८ और १० के उपबन्धों का लागू होना।

३४—(१) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १३४ से १३९ तक,—(उस दशा को छोड़कर जहां उनके उपबन्धों का सम्बन्ध किस्तों के भुगतान से है—) १४१ से १४६ तक, १५२ से १६८ तक, १७६ से १९५ तक, १९७ से २११ तक, २१२–क, २१२–ख, २१२–ग, २१३ से २३० तक और अध्याय १० की धारायें २४१ से २९४ तक के उपबन्ध और उक्त अधिनियम की धारा २३० और २९४ के अधीन निर्मित विषयों के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित (*Mutatis Mutandis*) उक्त परगना पर लागू होंगे, किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है, जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो और जो उसके मतानुसार आवश्यक प्रतीत हों और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

(२) प्रत्येक ऐसी आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ ई० का उक्त परगना पर लागू होना ।

३५—(१) य० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के जैसा कि वह १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) द्वारा संशोधित हुआ है उपबन्ध तथा उसके अधीन निर्मित नियम या विनियम (rules or regulations) अथवा उसके अधीन जारी की गयी आज्ञायें आवश्यक परिवर्तनों सहित उक्त परगना पर लागू होंगी, किन्तु राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है, जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो और जो उसके मतानुसार आवश्यक प्रतीत हों और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

(२) प्रत्येक ऐसी आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रभावी होगी ।

प्रतिकर अधिकारियों की नियुक्ति ।

३६—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार प्रतिकर अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है ।

(२) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था, अधिनियम (ऐक्ट) की धारा ३१९ के अधीन नियुक्त किये गये प्रतिकर कमिश्नर तथा सम्बद्ध क्षेत्र (region) के सहायक प्रतिकर कमिश्नर उक्त परगने के लिये क्रमशः प्रतिकर कमिश्नर और सहायक प्रतिकर कमिश्नर होंगे ।

अधिकार और कर्त्तव्य ।

३७—(१) प्रतिकर कमिश्नर और सहायक प्रतिकर कमिश्नर प्रतिकर अधिकारी के कार्यों के निरीक्षण (supervision) और अधीक्षण (superintendence) के सम्बन्ध में ऐसे कर्त्तव्यों का पालन तथा ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायं ।

(२) प्रतिकर अधिकारी उन अधिकारों का प्रयोग और उन कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के द्वारा या अधीन उसे दिये गये हों या उस पर आरोपित किये गये हों ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १, १९५१ ई० के अध्याय १२ की कतिपय धाराओं के उपबन्धों का परगना पर लागू होना ।

३८—(१) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, (ऐक्ट) की धारा ३२१ से ३३६ तक, ३३८ और ३४१ से ३४४ तक के उपबन्ध तथा उक्त अधिनियम की धारा ३४४ के अधीन निर्मित नियमों के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उक्त परगना पर लागू होंगे, किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है, जिनमें कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो और जो उसके मतानुसार आवश्यक प्रतीत हों और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रभावी होगी ।

धारा ३४—३५ या ३८ के अधीन निर्मित आज्ञाएं राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायंगी ।

३९—धारा ३४, ३५ या ३८ के अधीन जारी की गयी कोई आज्ञा, जारी होने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मंडल के समक्ष कम से कम १४ दिन तक रखी जायंगी और वह उन परिष्कारों के अधीन रहेगी, जिन्हें विधान मंडल उस सत्र में करे जिसमें वह आज्ञा इस प्रकार रखी गयी हो ।

निवर्तन

४०—यदि इस अधिनियम के अध्याय १ के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व उक्त परगना में भौमिक अधिकार विषयक कोई विधि (law) प्रवृत्त हो, तो ऐसी विधि का वह अंश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो, उस दिनांक से और उस सीमा तक जिस तक यह अधिनियम धारा १ की उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन और अनुसार प्रवृत्त हो, निर्वातित (repeal) हो जायगा और इस प्रकार निर्वातित विधि पर यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४, की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश के अधिनियम द्वारा निर्वातित कोई विधायन (enactment) था।

नियम बनाने का अधिकार।

४१—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :

(क) गांव के निरीक्षण तथा धारा ५ के अधीन अभिलेखों (records) की तैयारी से सम्बद्ध प्रक्रिया,

(ख) धारा ६ के अधीन रजिस्टरों की तैयारी से सम्बद्ध प्रक्रिया,

(ग) वह रीति जिससे धारा ८ के अधीन आपत्ति प्रस्तुत की जायगी और उसका निपटारा किया जायगा,

(घ) धारा १५ के अधीन भूमियों तथा स्वत्वों के निहित होनेसे पूर्व की कार्यवाहियां,

(ङ) धारा १६ के अधीन स्थगित वादों तथा कार्यवाहियों (proceedings) का निपटारा,

(च) धारा १७ के अधीन भूमियों तथा स्वत्वों के अवधान में लिये जाने से संबद्ध विषय,

(छ) वह रीति तथा आकार (form) जिनके अन्तर्गत धारा १९ के अधीन प्रतिकर विवरण-पत्र तैयार किया जायगा,

(ज) वह रीति तथा आकार (form) जिनके अन्तर्गत धारा २२ के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की जायंगी,

(झ) वह प्रक्रिया जिसका धारा २६ की उपधारा (३) के अधीन न्यायालय अथवा प्राधिकारी के अधिकार में प्रतिकर की धनराशि दे देने में अनुसरण किया जायगा,

(ञ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

(३) नियम बनाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकार के विषय में यह समझा जायगा कि उसके अन्तर्गत निम्नलिखित की व्यवस्था करने का अधिकार भी है :

(क) ऐसी कालावधि (limts of time) नियत करना, जिसके भीतर नियत की गयी अवधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में नियमों में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को अधिकार देकर या न देकर नियमों के प्रयोजनों के लिए की जान वाली बातें अवश्य की जायं ;

(ख) ऐसे मामलों में, जिनके विषय में इस अधिनियम में एतदर्थ कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन किसी प्रार्थना-पत्र, वाद या दूसरी कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कर्तव्य और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(घ) ऐसे मामलों में जिनके लिये इस अधिनियम में एतदर्थ कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र देने और अपील करने की कालावधि;

(ङ) ऐसे मामलों में, जिनके लिये इस अधिनियम में एतदर्थ कोई विशेष उपबन्ध नहीं बनाया गया है, इस अधिनियम के अधीन अपील और प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क;

(च) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों (applications) अपीलों और कार्यवाहियों (proceedings) पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८, के उपबन्धों का लागू किया जाना;

(छ) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार या किसी दूसरे प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को प्रदत्त अधिकारों का प्रतिनिधान (delegation); तथा

(ज) एक प्राधिकारी या अधिकारी से दूसरे प्राधिकारी या अधिकारी को कार्यवाहियों का संक्रमण (transfer)।

(४) इस अधिनियम द्वारा दिया गया नियम बनाने का प्रत्येक अधिकार इस प्रतिबन्ध के अधीन रहेगा कि नियम पूर्व प्रकाशन के बाद ही बनाये जायं।

(५) इस अधिनियम के अधीन बने सब नियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और यदि कोई आगे का दिनांक निर्दिष्ट न किया जाय तो वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जायंगे।

(६) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रक्खे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे, जो विधान मंडल अपने उस सत्र में करे जिनमें वे इस प्रकार रक्खे जायं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३३ से खंड ४१ तक इस विधेयक के अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

जौनसार बावर जमीदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५

देहरादून जिले क जौनसार-बावर परगना में राज्य और कृषक के बीच मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित करने तथा वहां भौमिक सुधारों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

यह आवश्यक है कि देहरादून जिले के जौनसार-बावर परगना में राज्य और कृषक क बीच मध्यवर्तियों क अधिकार (rights), आगम

(title) और स्वत्व (interest) अर्जित किये जायं और वहां भौमिक सुधारों की व्यवस्था की जाय;

अतएव एतद्द्वारा भारतीय गणराज्य के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम जौनसार-बावर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५५, कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार देहरादून जिले के समस्त जौनसार-बावर परगना में होगा।

(३) यह अध्याय तुरन्त प्रचलित हो जायगा। शेष अध्याय ऐसे दिनांक या दिनांकों से प्रचलित होंगे, जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके एतदर्थ निश्चित करे। इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न अध्यायों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

अधिष्ठाता —प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना, तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५ जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्....

श्री जगन्नाथ मल्ल—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। श्रीमन्, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है इसलिये किसी को बोलने का अधिकार नहीं है।

अधिष्ठाता—अमेंडमेंट तो था।

श्री जगन्नाथ मल्ल—वह तो एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसलिये विधान के अनुसार बोलने का किसी को अधिकार नहीं है।

अधिष्ठाता—मैं इस सेक्शन को पढ़ देना चाहता हूं कि जिससे माननीय राजनारायण जी जो अपना भाषण करें वह उसी हिस्से को लेकर कि जिसके बारे में अमेंडमेंट आया है। वह सेक्शन इस प्रकार है:—

"The discussion on a motion that the Bill be passed shall be confined to the submission of argument with regard to the effect of amendments made in the Bill. In making his speech a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his argument."

तो मैं आपको बोलने का मौका तो देता हूं मगर आप डिटेल में नहीं जायेंगे। जो अमेंडमेंट आया है उसी पर आप सीमित रहें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—अमेंडमेंट्स मेड का क्या अर्थ है? जो अमेंडमेंट्स मंजूर हुए या जो प्रस्तावित किये गये? मेरे विचार से जो संशोधन मंजूर हुए उन्हीं से इसका मतलब है। मैं समझता हूं कि यह चीज हिन्दी में अधिक स्पष्ट होगी। वैसे तो अगर इसका स्कोप बढ़ जाय तो उससे हमको खुशी ही होगी।

अधिष्ठाता—माननीय नारायण दत्त जी भूल रहे हैं कि माननीय मंत्री जी ने खंड २ के 'च' में एक संशोधन मंजूर किया था।

***श्री राजनारायण**—इस हाउस में आपकी रूलिंग हो गई लेकिन माननीय सदस्यों को रोशनी डालने के लिये मैं कुछ कहना चाहता था कि थर्ड रीडिंग का क्या महत्व होता है। अगर साढ़े तीन वर्ष के जीवन में वह थर्ड रीडिंग का महत्व नहीं समझे तो उनको आज इसका महत्व समझाने का प्रयत्न मैं करना करना चाहूंगा। यह जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विरोधी सदस्य बैठे हैं वह थर्ड रीडिंग किस मकसद के लिये रखी गई है इसको समझने की कोशिश करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, इतने दिन तक उन्होंने सिखाया ही नहीं।

श्री राजनारायण—मैं यह जो जौनसार बावर के-संबंध में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक तृतीय वाचन के लिये प्रस्तुत हुआ है उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं और बहुत थोड़ा और मैं यह समझता हूं कि इस सदन में चूंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक आने वाला है और श्रीमान् जैसा कि आप समझते हैं कि इस पर अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिये कि यह एक बार सेलेक्ट कमेटी से वापस आ चुका है और पहले ही इस पर विशद चर्चा हो चुकी थी। मगर जब यहां पर बहुत सी बातें कहीं गई हैं तो उनके सिलसिले में मैं एक बात ट्रेजरी बैंचेज की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं। जो इसमें अमेंडमेंट हुए हैं वह उनको भी देखे और जो इसके उद्देश्य और कारण हैं उनकी ओर भी वह अपना ध्यान आकृष्ट करे। उद्देश्य और कारण के पैरा ३ में है: 'परगना जौनसार बावर में भौमिक अधिकारों की वैसी ही व्यवस्था करना जैसी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन शेष राज्य में की गयी हैं। मैं सिर्फ इसके संबंध में अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहता हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू है और उसमें काश्तकारों की जो परिभाषा दी गयी है उसमें अन्य किस्में जो खेती करने वालों की बांटी गयी हैं उनके लिये यह बहुत लचर है। आज उनकी मौलिक समस्या का उससे समाधान नहीं होता। श्रीमन्, इस बात को तो आप जानते होंगे कि जो जमीन जोतने वाले हैं उनको सही मायनों में काश्तकार माना जाना चाहिये। अब जो यहां पर विधान सभा के सदस्य बैठे हुये हैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब उनका सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी, उद्देश्य होगा तो तब भी काश्तकारों की वही परिभाषा होगी, मौरूसी काश्तकार की भी वह परिभाषा होगी और जो काश्तकारों को हक हासिल है पुराने जमींदारी उन्मूलन कानून के मुताबिक वही अधिकार आज भी सरकार देने के लिये उद्देश्य और कारणों को रख रही है।

मैं चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में जमींदारी विनाश कानून लागू नहीं है अगर उन क्षेत्रों के लिये काश्तकारों के लिये कोई कानून बनाना चाहते हैं तो वह कानून सही मायनों में और इस रूप में होना चाहिये जिससे जो जमीन का जोतने वाला और बोने वाला है उसको मौलिक अधिकार प्राप्त हो। आज जमीन के अन्दर बहुत विषमता दिखाई पड़ती है, किसी के पास दस हजार ऐकड़ है, किसी के पास पांच हजार है और किसी के पास सौ एकड़ हैं, लेकिन किसी के पास एक धुर भी नहीं है। इस विषमता को मिटाने की जरूरत है। सरकार को ऐसी व्यवस्था मिटानी चाहिये। जब इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की तजवीज हुई थी तो हमने कहा था कि इसको जाना चाहिये लेकिन उस समय हमने यह निवेदन किया था कि जब कि विधेयक काश्तकारों के लिये सरकार की तरफ से आया है उसमें पुराने जमींदारी-विनाश भूमि व्यवस्था कानून में जो सही मायनों में भूमि जोतने वाले काश्तकार हैं उनके हकों पर कुठाराघात हुआ है वही कुठाराघात उन काश्तकारों पर दूसरी जगह नहीं होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भावों को सदन के सामने रखता हूं कि सरकार नाकामयाब हुई है और फेल हुई है और सरकार काश्तकारों को हक देने में सफल नहीं हुई है। मैं इन शब्दों के साथ सरकार से फिर निवेदन करता हूं कि सरकार ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है और सरकार जमीन के विषय में जो विषमता फैली हुई है उसको मिटाने में नाकामयाब रही और जिस माने में जौनसार बावर विधेयक रखा गया है उससे सही मानों में वहां के काश्तकारों के हकों की हिफाजत नहीं हो पा रही है।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा---मैंने अभी बड़े गौर से माननीय राज नारायण जी के भाषण को सुना। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उन्होंने बहुत सी बातें आम तौर से कहीं और बहुत से आक्षेप उन्होंने किये। लेकिन एक भी उदाहरण उनके भाषण में नहीं आया। मैं तो यह समझता हूं कि जब यहां प्रवर समिति में भेजने के लिये इस सदन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था तो उसके माने यह हैं कि जो उद्देश्य इस बिल का है उसको सदन मानता है। जब यह उद्देश्य था कि जौनसार-बावर में भूमि-व्यवस्था के उन अधिकारों की व्यवस्था करें जो कि उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों से शेष रह गये हैं तो इस उद्देश्य को जब मान लिया गया तो मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा और क्या वह परिवर्तन चाहते थे। यह तो सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि यह हलका बहुत पिछड़ा हुआ है और उसमें जैसा कि उत्तर प्रदेश के राज्य में और जगह काश्तकारों को अधिकार मिले हुए हैं वह कहीं अधिक अधिकार हैं और उनका बराबर प्रयोग कर रहे हैं। जमींदारी विनाश कानून में उनको और ज्यादा अधिकार दिये गये और अब सुचारू रूप से व्यवस्था हुई है। अब वह उनका प्रयोग कर रहे हैं। हम लोगों के लिये यह आवश्यक था कि पिछड़े हुए इलाके में अगर हम इतने ज्यादा अधिकार दे देंगे तो पता नहीं कि वह उनका प्रयोग कर सकेंगे या नहीं। वहां कोई ऐसी बात नहीं हो जायंगी कि वे ज्यादा अधिकारों का प्रयोग न कर सकें और उनको हानि हो जाय। जब हम इस पिछड़े हलके को इतने अधिकार दे रहे हैं जो कि राज्य के किसी और भाग को है तो फिर क्या शिकायत है? यदि इसमें भी माननीय राज नारायण जी को शिकायत है तो मैं समझूंगा कि इस मंत्रिमंडल की और चाहे कोई भी बात जनता के हित की की जाय वह राज नारायण जी को नापसन्द है और उनकी आक्षेप करने की आदत है। मैं समझता हूं कि राज्य में जो और व्यवस्था है उससे अधिक इन पिछड़े हुए इलाके के लोगों को देना अनुचित होगा। जब इतनी ही व्यवस्था वहां ठीक तरह से चलेगी और सारे राज्य के लिये हम कोई और बात सोचेंगे तो वह उनके लिये भी होनी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय राज नारायण जी का विरोध बिलकुल अनुचित है।

श्री चतुर्भुज शर्मा---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राजनारायण जी को उनकी हिम्मत और दृढ़ता पर बधाई देता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो आपत्ति माननीय मल्ल जी और तिवारी जी ने उठाई थीं और उसमें जो व्यवस्था आपने दी. . . . .

श्री राजनारायण---मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि अभी अध्यक्ष ने या चेयरमैन की हैसियत से आपने रूलिंग दी थी थर्ड रीडिंग किस तरह से किस रूप में हो सकती है, तो जहां तक मैं समझ पाया हूं वह आपकी रूलिंग को क्रिटिसाइज करने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि आप स्वतः क्रिटिसाइज कराना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं तो चाहूंगा कि चेयरमैन हो. . . . .

अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि वह बिलकुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा---शायद माननीय राज नारायण जी अपने केस को बहुत कमजोर समझ रहे हैं और इसीलिये उनको भ्रम हो गया है। मैं तो उनकी तारीफ कर रहा था कि "से है"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

शब्द पर उन्होंने इतनी विषद व्याख्या कर दी और उनके व्याख्यान का अर्थ कुछ नहीं हुआ हालांकि उन्होंने सारे अधिनियम का अर्थ साफ करने की चेष्टा की। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या कहने जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया और टिलर्स आफ दी वायल को कुछ नहीं दिया। परन्तु उन्होंने यह समझने की कोशिश नहीं कि कितने इसमें टिलर्स आफ दी वायल हैं जिनको कुछ नहीं दिया गया। वे कुछ आंकड़े बतलाते। इसमें कुल ४० हजार एकड़ तो जमीन हल के नीचे है। इस जमीन के जोतने वालों में से २३,८०४ तो केवल वे हैं जो पीजैन्ट प्रोप्राइटर्स हैं जिनके पास डेढ़ एकड़ जमीन है और वे खुद जोतते हैं। अब केवल करीब ४,८७६ एकड़ जमीन ऐसी है जो काश्तकारों के कब्जे में थी और इस बिल से वे भूमिधर या सीरदार हो जावेंगे। जो कुछ राजनारायण जी कह रहे थे वही किया गया और फिर भी उन्हें शिकायत है और लांछन लगा दिया कि सरकार दकियानूसी हो गई है। अगर हम एक भी काश्तकार ऐसा न छोड़ें जो जमीन जोतता हो और उसका अधिकार उसे मिल जाय तो फिर भी शिकायत राज नारायण जी को रहेगी ही भले ही उनकी मंशा पूरी हो जाय। इस सरकार की प्रगतिशीलता की जो बड़े से बड़े देश के आदमी है वे भी तारीफ करते हैं। तो इस सरकार को जरूरत नहीं किसी ऐसे सर्टीफिकेट की या किसी ऐसे आदमी की जो सर्टीफाई करे और अगर राजनारायण जी तारीफ कर दें तो बड़ी खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि वह दिन जल्दी आवे कि जब वह दिन को दिन कहने लगें। हमें विश्वास है कि राजनारायण जी भी इस सरकार की कभी न कभी तारीफ अवश्य करेंगे। मैं उनको विश्वास फिर दिलाता हूं कि सारे टिलर्स आफ दी वायल को इसमें अधिकार दिये गये हैं। पूरी की पूरी ४० हजार एकड़ जमीन टिलर्स आफ दी स्वायल के ही पास रहेगी।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि जौनसार-बावर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५ जैसा कि वह प्रवर समिति तथा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० स्टेट लेजिस्लेचर आफीसर्स, मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज ऐण्ड मेम्बर्स सैलैरीज ऐन्ड अलाउन्सेज ऐन्ड मिसलेनियस प्राविजन्स) बिल, १९५५ पर विचार किया जाय।

यह बिल बहुत अर्से से विचाराधीन है। इस बिल से जो तनख्वाहें पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर के जरिये से मिला करती थीं उनके मुताल्लिक कानून बनाया जा रहा है। इसके साथ-साथ जो मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, वगैरह के अलाउन्सेज वगैरह, जिनको कि कुछ रूल्स के जरिये से लागू किया गया था, उनके बारे में भी इस बिल में है। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, ऐसे कंस्टीटयूशन की दफा १६४ (५) और १८६ के मातहत पेश किया जा रहा है। दफा १६४ (५) में यह है—

"The salaries and allowances of Ministers shall be such as the Legislature of the State may from time to time by law determine and, until the Legislature of the State so determines, shall be as specified in the Second Schedule."

---

*६ दिसम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

इसी तरह से दफा १८६ में यह है—

"There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, and to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council, such salaries and allowances as may be respectively fixed by the Legislature of the State by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule."

अब जहां तक सेकंड शेड्यूल का ताल्लुक है उसमें कोई खास वेतन इन लोगों के लिये अल्हैदा से तहरीर नहीं था। वह सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अधिकारियों के लिये वहां पर किया गया था, लेकिन और लोगों के लिये यहां सैकिंड शेड्यूल में कोई अल्हैदा से वेतन नहीं रखा गया है। हमारे यहां जो वेतन दिया जा रहा था। उसके मुताबिक हमारी गवर्नमेंट ने कुछ आर्डर्स पुराने कानून के मातहत दे दिये थे, उनके मातहत दिया जा रहा। इसमें कुछ और अलाउन्सेज और मेडिकल फैसेलिटीज बाज बाज अधिकारियों को दी जा रही है, जिनका इंतजाम पहले रूल्स के जरिये से किया जा रहा था। अब उसको दुरुस्त करने के लिये और उसको साफ करने के लिये कि हमें यह अधिकार रूल्स के जरिये से हो सकता था या नहीं हो सकता था और आया उसके लिये कानून की जरूरत थी, इन सब बातों को साफ करने के लिये मौजूदा कानून सदन के सामने पेश किया जा रहा है।

आप देखेंगे कि इसमें कोई ज्यादा रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं किया जा रहा है। इसमें यही है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के लिये ६०० रुपया करार दिया गया है। इसी के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि जब तक कि वे लखनऊ में होंगे उनको मकान दिया जायगा या उसके बदले में कंपेंसेटरी अलाउन्स दिया जायगा, जिसकी तादाद भी इसमें तहरीर कर दी गयी है। इसी तरह से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को कन्वेएंस अलाउन्स भी दिया जायगा। उसकी मिकदार भी इस बिल में तहरीर कर दी गयी है। इसमें यह भी तहरीर है कि जो सफर वे करते हैं उसमें उनको डेली अलाउन्स दिया जायगा और उनको किस हिसाब से किराया दिया जायगा।

उसके बाद दफा ५ है। उसमें यह तहरीर है कि मंत्री, स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामटरी सेक्रेटरीज और उनके फेमिलीज को मेडिकल फैसेलिटीज उसी तरह से दी जायंगी जिस प्रकार कि क्लास 'वन' के आफीसरों को इस वक्त सुविधायें हैं, वे ही सुविधायें उनको भी हासिल होंगी।

एक और बात जो इसमें काबिले जिक्र है वह दफा ६ है, जिसके जरिये से मेम्बरान लेजिस्लेचर को खास सहूलियतें इसमें दी गयी हैं। उसमें दफा २–ए बढ़ाई जा रही है। उसमें लिखा हुआ है—

"Where a member of the Uttar Pradesh Legislature absents himself for less than ten days during the Session of a House of Legislature or a sitting of a Committee thereof for visiting any place within the State of U. P. he shall be entitled to receive travelling allowances in respect of such journey to such place and for the return journey equal to one first class fare for each journey irrespective of the mode of travel or the class in which the member actually travels:

Provided that for the parts of journey between places not connected by rail, he shall be entitled to mileage at the rates admissible to Gazetted Officers of class I:

Provided further that such travelling allowance shall not exceed the total amount of daily allowance which would have been admmissible to such member under section 2(2) for the days of absence if he had not so remained absent."

इस वजह से इसको रखा गया है कि अगर मेम्बरान असेम्बली काम करने के लिये जाना चाहें तो उनको इसमें सुविधा होगी· ·····

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन कर दूं कि सदन की भाषा हिन्दी है और हिन्दी में विधेयक भी उपस्थित हुआ है। तो जो विधेयक की भाषा पढ़ रहे हैं वह हिन्दी में पढ़ी जाय। वैसे यहां यह भी प्रथा रही है कि अगर अंग्रेजी में उद्धरण दिये जायं तो उसका तर्जुमा हिन्दी में भी पढ़ दिया जाय, लेकिन विधेयक हिन्दी में है इस लिये उनको हिन्दी में से ही पढ़ना चाहिये।

अधिष्ठाता—मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यदि वे पढ़ें तो हिन्दी में से ही पढ़ें और अगर अंग्रेजी में पढ़ें तो उसका तर्जुमा हिन्दी में भी करते जावें।

श्री सैयद अली जहीर —ठीक है। तो इसके बाद दफा ७ काबिले जिक्र है। दफा ७ के दफा (५) के जरिये से जो अख्तियार स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने के लिये दिये गये ट्रेवेलिंग एलाउंस और डेली एलाउंस के लिये उसके मुताल्लिक जो रूल्स बनाये गये और ९ फरवरी, १९५० को लागू हुए और उसमें कुछ शकूक पैदा हुए थे इस ख्याल से कि आया यह जायज है या नहीं तो इस बात को साफ करने के लिये यह हक दिया जा रहा है। जहां तक कि जो कुछ अब तक इसके ऊपर अमल दरामद होता रहा है वह कानून के हिसाब से ठीक समझा जायगा और समझा जायगा कि दफा १९५ कांस्टीट्यूशन की है उसके हिसाब से वह रूल्स थे और उसकी वजह से कोई खिलाफ कानून बात नहीं हुई और न समझी जायगी। उसके बाद दफा ८ है इसमें कोई तजकिरे की बहुत बात नहीं है यहां तनख्वाह छै सौ से बढ़ा कर साढ़े सात सौ रुपये इसमें रखी गयी है। इसी तरह से इसकी दफा ८(ए) है। डिप्टी स्पीकर साहब और डिप्टी चेयरमैन साहब के लिये यह लिखा गया है कि उनको भी उसी किस्म की सुविधायें रहेंगी जैसे डिप्टी मिनिस्टर्स के लिये हैं और इसके लिये कहा गया है जब तक कि वह डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन रहेगा उसे अख्तियार होगा कि लखनऊ में मकान का सरकार की तरफ से इंतजाम किया जायगा और वे उसमें रहेंगे और वही एलाउन्सेज जैसे डिप्टी मिनिस्टर्ट को मिलते हैं वे इनको भी मिलेंगे। दफा ८ के मुताबिक जो पुराने ऐक्ट की दफा ५ (ए) शामिल की जा रही है उसके जरिये से उनको भी वही कन्वेएन्स एलाउंस मिलेगा और उसकी मिकदार मुकर्रर कर दी गई है। फिर इसके बाद दफा ९ आती है जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे कि पहले जो कानून था उसमें डिप्टी मिनिस्टर्स के लिये कोई प्राविजन नहीं था, क्योंकि उस समय वहां पर डिप्टी मिनिस्टर्स मुकर्रर नहीं होते थे। लेकिन चूंकि मिनिस्टर्स यहां अब मुकर्रर होते हैं लिहाजा उनके लिये एक तहरीर कर दी गई है कि हर डिप्टी मिनिस्टर को बगैर किराया दिये हुये अख्तियार होगा कि एक मकान के पाने का और वह फर्निश्ड मकान होगा और उसमें वह लखनऊ में रह सकेगा और अगर मकान न हो तो उसके एवज में १०० रु० मुआवजे के दिये जायंगे। बाकी और जो दफात में मसलन दफा ११ है उसमें यह बात है कि जो तारीख गजेट में तकर्रुरी की शाया की जायगी वही आफिशयल तारीख होगी और इसके अलावा किसी विटनेस की जरूरत नहीं होगी जिसकी रू से कोई बात कही जा सकेगी कि आया वह शख्स डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी रहा या नहीं। इस सिलसिले में जो कांस्टीट्यूशन की दफा १९५ है उसका भी हवाला मैं देना चाहता हूं और उसमें यह है:—

"Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by the Legislature of the State by law and, until provision in that respect is so made, salaries and allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Legislative Assembly of the corresponding Province."

गोया उसमें यह है कि उस वक्त तक उनको वही मिलेंगें और उसके बाद जो हाउस से एलाउंसेज तै हो जायंगे उसके मिलने के मुस्तहक होंगे। चुनांचे कांस्टीट्यूशन की जो दफांत हैं उनका लिहाज करते हुए यह जरूरी समझा गया कि इन बातों की तशरीह कर दी जाय और जो चीजें रूल्स के जरिये से चल रही थीं उनके लिये यह लाजमी समझा गया कि एक कानूनी शक्ल उनको दे दी

जाय और वह कानून इस हाउस से मंजूर कराया जाय । इस गरज से यह बिल इस हाउस के सामने पेश किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसको यह हाउस मंजूर करेगा ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बिल को सदन में लाने के लिये मैं गवर्नमेंट को हार्दिक मुबारकबाद देता हूं ।

अधिष्ठाता—मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पहले अपने संशोधन को मूव करें ।

श्री सीताराम शुक्ल—यह काम तो अधिष्ठाता महोदय विरोधी दल के लोग किया करते थे लेकिन आज आपने कर दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। संशोधन यह है "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५ को एक संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाय"। इसको पेश करने के पहले हमारे विरोधी दल के लोगों ने भी कहा कि वे भी मुबारकबाद देते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि विरोधी दल के लोग भी इसको पेश करने के लिये मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मेरे मुबारकबाद देने के मानी यह नहीं हैं कि यह बिल कम्पलीट है, बल्कि यह है कि जो था उससे अच्छा है। इसलिये मैं मुबारकबाद देता हूं। लेकिन इसमें बहुत सा काम श्रीमन्, बाकी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे संयुक्त प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि इसके हर पहलू पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके कम्पलीट बिल यहां पेश किया जाय क्योंकि फिर सशोधन आना और फिर बदला जाना कोई अच्छी बात नहीं है। जो कानून बनायें सोच समझ कर बनायें। समय लग जाय कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो बने उसमें बदलने की आवश्यकता नहीं पढ़नी चाहिये। मैं गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इसमें कुछ ऐसा भी ले आया जाय जिसमें हमारे माननीय मंत्रियों का वेतन बढ़ाया जाय, कम है । माननीय मंत्रियों की तनख्वाह के बारे में कोई जिक्र इसमें नहीं है, आना चाहिये । उनका वेतन भी बढ़ाया जाय । साथ-साथ हमारे उपमंत्रियों, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों का भी वेतन और भत्ता बढ़ना चाहिये, कम है । हमारे दोस्त कुछ फरमा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप जल्दी न कीजिये मेरा वेतनबढ़े या न बढ़े किन्तु आपका जरूर बढ़ना चाहिये। मैं उसी विषय पर आ रहा हूं कि लाजमी बढ़ना चाहिये, जरूर बढ़ना चाहिये। कतई बढ़ना चाहिये ।

अधिष्ठाता—माननीय शुक्ल जी आप अपना भाषण जारी रक्खें और इधर-उधर की बातों का जवाब न दें।

श्री सीताराम शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, अगर चुटकी ली जाय तो जवाब देने में क्या नुकसान है ?

"वह दुश्मनी से देखते हैं, देखते तो हैं,
मैं शाद हूं, कि हूं तो किसी की निगाह में ।"

तो मैं अर्ज कर रहा था कि वेतन कम है, बढ़ना चाहिये। हमारे दोस्तों ने कहा, लाजिमी मेम्बरों की बढ़नी चाहिये और आनरेबिल मेम्बर साहबान को सफर करने का खर्चा भी मिलना चाहिये। वह जब चाहें, जहां चाहें प्रांत भर में जा सकें और आ सकें। यह सुन कर हमारे कोई भाई कह सकते हैं कि यह क्या कह रहा हूं? भाई यह कांग्रेसी नहीं हैं जो स्वराज्य मिलने से पहले कहा करते थे कि पांच सौ से अधिक किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिये। करांची कांग्रेस ने तय किया था और मैं वहां मौजूद था। मेरे सामने यह बात हुई थी। बहुत आसानी के साथ यह बात कही जा सकती है और अधिष्ठाता महोदय, हमारे विरोधी दल के लोगों के दिलों में तो है कि बढ़ जाय जरूर, लेकिन जबान से मुखालिफत करेंगे कि हर्गिज नहीं बढ़नी चाहिये, बहुत गलत बात है। मगर मैं आपसे अर्ज करता हूं कि उस वक्त के पांच सौ रुपये आज के दो

[श्री सीताराम शुक्ल]

हजार रुपये के बराबर हैं और न आज के दी हजार रुपये उस वक्त के पांच सौ रुपये के बराबर हैं इसलिये अगर आप मिनिस्टर साहबान को फटीचर बाबू रख कर काम नहीं ले सकते, उनके यहां मेहमान भरे रहते हैं। उस वक्त जब कि पांच हजार रुपया पे मिलती थी, उस वक्त भी एक आनरेबिल मिनिस्टर के ऊपर कर्जा चढ़ता जाता था। उन पर मुकदमा दायर हुआ। तो जितना बड़ा आदमी होता है उसका खर्चा बढ़ता जाता है। मै यह चाहता हूं कि आनरेबिल मेम्बर साहबान अगर कहीं सफर करना चाहें तो अपने फ्रेंड या आर्टिस्ट या किसी जिम्मेदार आदमी को भी ले जा सकें, उन्हें सफर खर्च मिलना चाहिये। अब मै अर्ज करता हूं कि क्यों जरूरत है कि हमारे माननीय सदस्यों को पैसा दिया जाय। आप देखेंगे, कि अभी-अभी ताजी बात है एक मनहूस विज्ञापन छप गया है अखबार में। विज्ञापन जब छपता है तो उसे कम लोग देखते हैं कि क्या छपा है लेकिन उस छोटी सी बात को लेकर, बावेला मच गया जब वह बात गवर्नमेंट की नोटिस में आयी तो गवर्नमेंट ने केस भी चला दिया। अधिष्ठाता महोदय, आप जानते हैं कि फिर भी वावेला मच गया, हड़तालें हुई। तो गवर्नमेंट का काम सिर्फ यह नहीं है कि खाना, कपड़ा, मकान, औषधि, शिक्षा इत्यादि का ही प्रबन्ध करे बल्कि यह भी जरूरी है कि हम लोग जनता के बौद्धिक स्तर को भी ऊंचा करें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—उससे उसका क्या संबंध ?

श्री सीताराम शुक्ल—आपकी समझ में न आये तो उसमें मेरी क्या खता है। मैं अर्ज कर रहा हूं। प्वाइन्ट दे रहा हूं। रीजन और दूंगा। किन्तु पूरी बात करने से पहले प्रश्न अगर आप कर देते हैं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आप पर है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसलिये हमारे बुजुर्गों ने परमात्मा से जो मांगा है "धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।" खाना नहीं मांगा, कपड़ा नहीं मांगा, मकान नहीं मांगा। परमात्मा से एक चीज मांगी—बुद्धि। उसके लिये जरूरी है कि हमारे अच्छे-अच्छे स्पीकर्स जाकर पब्लिक को बतायें। जो बच्चे हैं वह पढ़ाये जा सकते हैं, स्कूल, कालेज में भेजे जा सकते हैं। लेकिन जो बड़े हो चुके हैं जिनको अपने काम से फुरसत नहीं है, अपने काम में लगे हुए हैं उनको स्पीकर ही, अच्छा वक्ता ही जाकर के बतला सकता है कि कब और कहाँ पर क्या होना चाहिये। साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, जनता के पास खाना, कपड़ा, मकान तो नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, मगर उसके पास वोट का खजाना है। "कहु केहि रंकहि करउं नरेशू। कहु केहि नृपति निकारउं देशू।" उसके पास इतनी बड़ी ताकत है। वह जिसे चाहे बड़ा बना दे, जिसे चाहे छोटा कर दे इसलिये उसके पास लोग पहुंचते हैं। बड़ी लम्बी चौड़ी बातें करते हैं। काल्पनिक स्वर्ग दिखाते हैं। उसको धोखा हो सकता है। तो जिसके चुने हुए आप यहां आये हैं उसके लिये आपका यह फर्ज होता है कि उस जनता के बौद्धिक स्तर को भी आप ऊंचा करें। यह तभी हो सकता है कि जब आप यह मौका दें कि आनरेबिल मेम्बर जहां चाहें जा सकें। मैं खुद बहुत से यहां आनरेबिल मेम्बर्स को अपने यहां बुलाना चाहता हूं। सिर्फ अपनी ही पार्टी के नहीं, बल्कि दूसरी पार्टी के मेम्बरों को भी बुलाना चाहता हूं, वेलकम है, वे मेरे यहां चलें जो चाहें बोल दें। अगर उनकी बात ठीक होगी तो पब्लिक मानेगी, मानना चाहिये। लेकिन वह बोलेंगे, मैं उसका जवाब दे दूंगा। इसमें कोई घाटा नहीं होगा, मुनाफा होगा, फायदा होगा। इसलिये मेरी गुजारिश है कि इस पर सरकार ध्यान दे। सौभाग्य से संसद ने पास कर दिया है कि उसके सदस्यों को फ्री पास दिया जाय इसलिये मैं जानता था कि इसमें भी आयेगा, अबकी। संसद ने पास किया है और आनरेबिल मेम्बर पार्लियामेंट के जहां चाहें जा सकते हैं, उनके पास फ्री पास है। जहां चाहें वे जा सकते हैं। तो अगर संसद में जायज है, जिन मेम्बरों को पब्लिक से कम टच रहता है, कम काम रहता है, उनको तो मिल गया पास और जिनको रोज काम लगा रहता है, अक्सर जाना पड़ता है, एक दिन का मौका मिला, दो दिन का मौका मिला, क्षेत्र जाना पड़ता है और आपका हुक्म भी है कि जाना चाहिये किन्तु हमारे पास पास नहीं। कई मीटिंग होती हैं आनरेबिल मिनिस्टर हमारे जिले में

जात हैं, हम वहां जाना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनके कदमों की खिदमत करना चाहते हैं लेकिन पैसे कहां से पायें। इतना तो पैसा है कि हम यहां आकर के बैठे रहें और बैठ कर के हाजिरी दें, इसके लिये तो पैसा है, लेकिन अब तो यह हो गया है कि आनरेबिल मेम्बर पूरा जिम्मा लें अपने क्षेत्र का कहां क्या आवश्यकता है, कहां क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, हम उनको सरकार की नोटिस में लायें। लेकिन इसके लिये हम फटीचर बाबू पैसा कहां से लायें। दिल तो है, काम भी है, काम करने की इच्छा भी है, लेकिन पैसा नहीं है। तो बड़ी दिक्कत होती है। और यही दिक्कत नहीं, बल्कि यहां का काम भी अच्छी तरह नहीं होता। एक संस्कृत का श्लोक है:—

"तानन्द्रियाणि विकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव।
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव अन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्"

अच्छी हालत में इंद्रिया हैं, वही व्यक्ति है, वही काम है, लेकिन जब पैसे की कमी हो तब उसी वक्त एक ही क्षण में वही आदमी क्या से क्या हो जाता है। आप जानते हैं अक्सर लोग आते हैं हमारे क्षेत्र से, उनको खाना देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं आनरेबिल मेम्बर साहबान जो उनके लिये चिट्ठी भी लिख देते हैं, उनके लिये टेलीफोन भी कर देते हैं। किंतु कुछ लोग भोजन तो दे देते हैं परन्तु पत्र नहीं लिखते तो अगर आप काम लेना चाहते हैं तो निश्चिन्त रखिये, स्वतंत्र रखिये, पैसे की चिन्ता से मुक्त रखिये, ताकि निश्चिन्ततापूर्वक पब्लिक की खिदमत हम कर सकें। एक बात और कि आनरेबिल पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री, आनरेबिल डिप्टी मिनिस्टर साहबान को मिल सकती है मेडिकल एड, तो आनरेबिल मेम्बर को क्यों नहीं मिल सकती है? क्या इनकी तनख्वाह ज्यादा है, क्या इनका बैंक बैलेंस ज्यादा है? तो आनरेबिल मेम्बरों को भी यह सुभीता दिया जाय। मैं तो समझता हूं कि उनके बच्चों की फीस माफ होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बतलाता हूं, अपनी बात बतला रहा हूं कि मेरा लड़का पढ़ नहीं सका और तब तो यह था कि हम जेल जाते थे, मजबूर थे, नहीं पढ़ा सके, बच्चों की पढ़ाई के लिये पैसा नहीं दे सके, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि अब भी हमारे बच्चे न पढ़ सकें? तब तो यह बात थी कि हम लड़ रहे हैं, लड़ें; चाहे हमारे बच्चे भूखों मरें, लेकिन अब तो यह लड़ाई खत्म हो गई, अब तो यह हमारा मुल्क है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि बहुत से आनरेबिल मेम्बर बच्चों की फीस नहीं दे सकते हैं, उनकी हालत खराब है। मौका दीजिये कि उनके बच्चों की फीस माफ कर दी ज य। यहां यह सवाल उठ सकता है कि यह सब सही है, मगर पब्लिक को क्या जवाब दोगे, हजरत? वह तुमको चुनकर भेजती है, वह इतनी गरीब है कि उसे खाने को नहीं मिलता, उनके पास झोंपड़ी नहीं है, वह तकलीफ में है, क्या शर्म नहीं मालूम होती कि उनसे यह कहा जाय कि हमारी तनख्वाह और बढ़ा दी जाय? एक तरफ तो गरीबों का चित्र खींचते हो कि ये जाड़े, गरमी बरसात सब महीनों में तकलीफ रहते हैं और दूसरी तरफ ज्यादा तनख्वाह मांगते हो, यह कहा जा सकता है। हमारे विरोधी दल के लोग बहुत अच्छी तरह से इस चीज को कहेंगे, लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि एक तरफ तो गलतफहमी से बचना रहेगा, कि हमारी शिकायत और गलतफहमी न हो जाय, और एक तरफ किसानों का काम होना है। हम गलतफहमी से बचेंगे तो किसानों का नुक्सान होगा, उनका काम नहीं कर पायेंगे, सेवा और खिदमत नहीं कर पायेंगे। यह नहीं कि किसान अपना नफा नुक्सान नहीं जानता। वह सब समझता है, वह जानता है कि जो वह बोता है, वही काटता है। किसान अपने गल्ले को मिट्टी में फेंकता है, लेकिन जानता है कि उसको फेंकने के बाद इससे पैदावार ज्यादा होगी। अगर वह जानेगा कि इस पैसे को देकर हमारी खिदमत होगी, प्रदेश से रिश्वतखोरी बन्द होगी, स्कूल खुलेंगे और अब उनकी तकलीफें गवर्नमेंट से प्वाइन्ट आउट की जायंगी तो उनकी सहूलियतें बढ़ेंगी, तो वह इस चीज को ठीक मानेगा। लेकिन अगर पब्लिक के कष्ट बढ़ते रहे तो आप

[श्री सीताराम शुक्ल]

अपने पैसे से भी आइये तब भी उसको शिकायत होगी। अगर हम पब्लिक की खिदमत कर पायेंगे तो उसकी गलतफहमी दूर होगी।

यहां यह भी कहा जा सकता है कि क्या यह ठीक है कि विरोधियों को सफर का मौका देकर अपने ही खिलाफ प्रोपेगेंडा करवा लिया जायगा। जहां कुछ लोग ठीक करेंगे, तो अनेक लोग गलत भी करेंगे तो यह कहां तक ठीक है कि अपने ही पैसे से अपने खिलाफ प्रचार करा लें। अगर यह कमजोरी हो कि हम ईमानदार नहीं है, अपने लिये कुछ कर रहे हैं, गुट बना रहे हैं अपना और अपने गुट का फायदाकर रहे हैं जब जरूर डरिये बेशक डरिये, मौका मत दीजिये। लेकिन अगर मालूम है कि कहीं हमारी निगाह में नुक्ता जोड़ने की बात नहीं है सचमुच में जनता की भलाई कर रहे हैं तो वह आपको सपोर्ट करेंगे और वह अपोज करके भी हमारी हेल्प कर देंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि जनता को हमारी और विरोध करने वालों की बातों को सुनकर सही फैसला करने का मौका नहीं मिलता। आनरेबिल जज के सामने एक होशियार वकील अगर अपने केस को रखता है और दूसरे वकील को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता तो उसीके हक में फैसला वह जज कर देता है और अगर दूसरे को भी मौका मिल जाय तो उसको एक सही फैसले पर पहुंचने में आसानी होती है। और उन पेशेवरों की भी हालत यह होती है दोनों वकीलों की बात सुनने के बाद भी जो उसने फैसला किया उसको कभी-कभी हाईकोर्ट उलट देती है। तो एक तरफ तो वकीलों की बात सुनकर के जजेज से गल्ती हो सकती है, दो पक्ष की बातों को सुनकर भी गल्ती हो सकती है तो एकतरफा बात सुनकर किसान से भी गलती हो सकती है। इसलिये उसके बौद्धिक स्तर को ऊंचा करने की जरूरत है और उसके लिये अपोजीशन को बोलने का मौका दिया जाय। मैं तो कहता हूं कि हम एक दूसरे के टच में नहीं आते, दिल खोल कर बात नहीं कहते, कभी मीटिंग नहीं होती अगर हम ईमानदार हैं तो आप जायेंगे कहां? आपको हमारे साथ आना पड़ेगा? सूरदास ने कहा था, जब कृष्ण जी हाथ छुड़ा कर भागे, कि हजरत आप जा रहे है? "कर छुटकारे जात हो निबल जानि के मोय" 'हृदय से जब भागिहो सबल बखानूं तोय" तो यह अपोजीशन की गलतफहमी है। ये नौजवान बुरे नहीं हैं। उन्हें खिदमत करने का शौक है, यह अफसोस है कि गलत प्रोपैगेंडा हुआ और उन्होंने अपनी गलत राय कायम कर ली। हम लोगों को जवाब देने का मौका ही नहीं मिला। इसलिये अगर सही प्रोपेगेंडा करेंगे तो नुकसान कम होगा और फायदा ज्यादा होगा। अन्त में मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब को इस बिल के लाने पर बधाई देता हूं। इतना तो वह खानदान है, जिन्होंने मुल्क की खिदमत की।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, यह बिल की किस धारा में है?

अधिष्ठाता—माननीय शुक्ल जी, अपने संशोधन पर तो कुछ कहिये।

श्री सीताराम शुक्ल—अफसोस है कि मैं श्री मल्लजी की बात को नहीं सुन सका इसलिये उनकी बात का जवाब देने से महरूम हूं। तो मिनिस्टर साहब का खानदान . . .

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। यह खानदान की बात तो यहां नहीं आती है?

अधिष्ठाता—वह तो मैं उनसे कह चुका हूं कि अपने संशोधन पर बोलें।

श्री सीताराम शुक्ल—आनरेबिल डिप्टी मिनिस्टर साहब, अगर वगैर प्वाइन्ट आफ आर्डर की जगह पर प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करेंगे तो फिर कौन सही रेज करेगा। यह प्वाइन्ट आफ आर्डर कैसे हो गया। मैं अर्ज करता हूं कि इनके पिता ने मुल्क की खिदमत की। वे जज थे, उनके ऊपर दबाव डाला गया, गवर्नर सर मालकम हेली ने कहा कि फलां मुकद्दमें में ऐसा नहीं ऐसा कर दो। किन्तु उन्होंने वैसा नहीं किया। अक्सर ये बड़े बाप के बड़े बेटे कम होते हैं, किन्तु आप हैं। अतः आप इसको लाये हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहता हूं कि हम लोगों की परेशानी को दूर कीजिये, ताकि हम पब्लिक की परेशानी को दूर कर सकें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५ को जनता की राय के हेतु घुमाया जाय।

श्रीमन्, वैसे तो मैं इस पूरे विधेयक का घोर विरोधी हूं और चाहता हूं कि मंत्री जी इसको वापस ले लें लेकिन मेरी यह संशोधन रखने की महज एक ही मंशा है कि अगर यह सरकार चाहती है कि जो काम आज जनता में हो रहे हैं उनमें से कुछ कटौती करके यहां पर हम बन्दर बांट बांट लें, कुछ मंत्री ले लें, कुछ उप-मंत्री ले लें, कुछ पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री ले लें और शेष विधान सभा के मेम्बर ले लें, तो ठीक है। जनता का पैसा है, जनता के पैसे का अधिकार जनता को है, क्योंकि उसकी गाढ़ी कमाई ही इकट्ठा होती है जिससे यह सारा काम होता है। तो अगर यह सरकार चाहती है कि वह इस विधेयक को लायेगी ही और पास करायेगी ही तो इस सरकार के लिये लाजिम है कि यह जनता की राय के लिये भेजा जाय। यह मैं समझता हूं कि जनता के वोट से हम लोग यहां आये हैं फिर भी जनता की राय की जरूरत है क्योंकि हम जनता के सेवक हैं और सेवक का कुछ भी बढाने का अधिकार मालिक को ही होता है। श्रीमन्, इस विधेयक में मुझे एक भी धारा ऐसी नहीं मालूम हुई जिसको हम यहां पास करें। इसमें सिवाय इसके कि कुछ बटवारा हुआ और कुछ नहीं है। पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री लोगों को पहले मकान के लिये १०० रुपये मिलते थे लेकिन जब सुसज्जित भवन मिलेंगे। इसमें कितना खर्च होगा, यह सबको मालूम है। इसमें भी जनता का रुपया बरबाद होगा। डिप्टी मिनिस्टर्स को भी सुसज्जित भवन मिलेंगे। केंद्रीय सरकार ने जो अगली पंचवर्षीय योजना में हमारा कोटा कम किया उस बारे में एक भाषण मैं आज अखबार में पढ़ रहा था। माननीय पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर साहब ने एक पुल के उद्घाटन के सिलसिले में कहा कि हमें सड़कें बनवानी हैं, पुल बनवाने है और क्योंकि केन्द्रीय सरकार से हमें उतना रुपया नहीं मिलेगा तो हम पुल पर टौलटैक्स लगायेंगे। जनता से पैसा वसूल होगा और हम लोग हाउस में बैठकर बंटवारा कर लेंगे, क्योंकि हमें अधिकार है तो यह अच्छा नहीं मालूम होता है कि हम जनता पर यह कहकर टैक्स लगायें कि हमें देश का उत्थान करना है, सड़कें बनवानी है पुल बनवाने हैं और यह कहें कि हमारा कुछ भी होना चाहिये। यह अच्छा नहीं मालूम होता है कि इस तरह की धारायें बढायें।

श्रीमन्, मैं एक चीज बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वह यह है कि इसमें लिखा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन, इन लोगों का स्टेट्स उपमंत्रियों के बराबर समझते हैं, इसलिये जितना यह लोग पाते हैं इनको भी मिलना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस जगह का महत्व उपमंत्रियों की बात तो क्या मंत्रियों से भी ज्यादा है, इसलिये यह कहना कि हम इनका महत्व डिप्टी मिनिस्टर के बराबर समझते हैं, अच्छा नहीं है। मैं इसलिये इसका विरोध करता हूं कि तनख्वाह न बढाई जाय, क्योंकि पूंजीपति युग में स्टेट्स रुपये से तौला जाता है। यह सरकार की पूंजीपति प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। सरकार समझती है कि डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को तनख्वाह कम रखेंगे तो उनका स्टेट्स गिर जायगा। लेकिन रुपये पर स्टेट्स नहीं होता है। यह तो हमारी सरकार की पूंजीपति वाली मनोवृत्ति है। श्रीमन्, यदि यही बात है तो आज सेक्रेटेरियट में सब नौकरों से ज्यादा मंत्रियों का स्टेट्स है तो वह कहने लगें, कि हमारा स्टेट्स सबसे ऊंचा है इसलिये हमें तनख्वाह भी पांच हजार मिलनी चाहिये लेकिन हमारा कहना तो यह है कि हमारे मंत्रियों को चाहे एक रुपया भी न मिले तब भी गवर्नमेंट सरवेंट्स से उनका ओहदा बहुत बड़ा है। इसलिये इस तरह की बात कहना मैं समझता हूं

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

कि उचित नहीं है और कहा गया कि फर्स्ट क्लास का किराया कम हो गया है, इसलिये अब ड्योढ़े के बजाय दुगना किराया मिलना चाहिये।

श्रीमन्, मैं इसका विरोध कर रहा हूं इसलिये लोग मुझसे बहुत नाराज हो रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे विरोध करना ही है और मैं इसे रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल समझता हूं और चाहता हूं कि सरकार इसको वापस ले। अगर नहीं लेती है और जबरदस्ती पास करवाना चाहती है तो कम से कम जनता के पास इसको भेजा जाय। अगर जनता चाहती है कि हमारे निर्माण के कार्यों को काटकर इन लोगों को खिलाया जाय तो जनता को अधिकार है कि वह कह दे कि हमारे यहां कोई पुल नहीं बनेगा, सड़क नहीं बनेगी और कोई नहर नहीं बनेगी और सब रुपया इन चुने हुए मेम्बरों को दे दिया जाय तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि जनता का पैसा है। शुक्ल जी ने कहा कि जनता के पास पैसा नहीं, घर नहीं है लेकिन बुद्धि है और मैं भी यही कह रहा हूं कि जनता के पास बुद्धि है तो शायद हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो तो उसके पास बुद्धि है और वह ठीक-ठीक राय इस पर दे देगी कि दरअसल वह चाहते हैं कि अपने मेम्बरों को और मिनिस्टरों को यह चीज दी जाय या नहीं। अगर जनता चाहती है तो कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। इसमें जो एक सबसे खतरनाक अंग है और जिसका मैं घोर विरोध करता हूं वह यह दस दिन वाला हिसाब है कि मेम्बर साहब अगर कहीं दस दिन के अन्दर टहलने जायं दिल्ली के इधर ही किसी स्टेशन तक तो उनको किराये में और जितने दिन एबसेंट रहें उसमें जो कम होगा वह मिलेगा। इसको तो मैं बिल्कुल गलत समझता हूं और वह चीज डेमोक्रेसी के खिलाफ है कि मेम्बर यहां रहें या न रहें उसको एलाउन्स मिल जाय। मंत्री जी ने अपने भाषण के सिलसिले में कहा कि वह किसी जनहित के कार्य में जायगा लेकिन यह मैंने इस विधेयक में कहीं देखा कि वह जनता के हित में जाये तो ऐसा हो। अगर हम कहीं किसी शादी में जा रहे हैं तो हम कह देंगे कि यह भी जनता का कार्य है, अपने क्षेत्रों में जायेंगे तो कह देंगे कि यह भी जनता का कार्य है। यह तो जनता का कार्य नहीं है। इसमें एक और खतरनाक चीज है। इसको मैं पढ़ देना चाहता हूं ताकि यह साफ हो जाय। यह धारा २–क है:—

"जब उत्तर प्रदेश विधान मंडल का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी जाने के कारण विधान मंडल के सदन के सत्रकाल में अथवा उसकी किसी समिति के अधिवेशनकाल में दस दिन से कम के लिये अनुपस्थित हो तो उसे ऐसे स्थान की यात्रा पर जाने के लिये एवं वहां से वापस आने के लिये प्रत्येक यात्रा के संबंध में प्रथम श्रेणी का किराया मिलेगा, वह सदस्य चाहे जिस रीति से जाय अथवा चाहे जिस श्रेणी में यात्रा करे।" तो सत्रकाल का मतलब श्रीमन्, मेरी समझ में तो यह आता है कि जब तक एसेम्बली इन सेशन रहे यानी जब तक प्रोरोग न हो जाय तब तक वह सत्रकाल कहा जायगा।

एक सदस्य—ऐसा नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—यह मैं बता दूं। जिस समय कि मेरे ऊपर ब्रीच आफ प्रिविलेज चला था तो मैं सत्रकाल के लिये सस्पेंडेड था और जब तक एसेम्बली का सत्रावसान नहीं हो गया तब तक मैं असेम्बली में नहीं आने पाया। इसलिये सत्रकाल तो मुझे खूब याद है। इसमें कहीं गलती नहीं हो सकती। इसलिये श्रीमन्, मैं बताता हूं सत्रकाल का मतलब है कि जब तक एसेम्बली प्रोरोग न हो जाय और तब तक हमारे मेम्बर साहबान कहीं भी टहलने जायं उनको किराया मिलता रहेगा, उनको किराया मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह की चीज कितनी घातक होगी मैं कह नहीं सकता।

एक सदस्य—इससे आप लोगों का तो फायदा होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—वह मैं बता रहा हूं कि कैसा फायदा होगा। तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि एक दूसरी चीज इसमें आपने देखी होगी। (कुछ आवाजें आने पर) नाराज बहुत

से लोग हैं लेकिन नाराज नहीं होना चाहिये और सुनना चाहिये। जो मैं कह रहा हूं उससे हमारे वकील लोगों का खास संबंध है और वे मुझे माफ करेंगे। वे लोग ज्यादातर इस सदन में नहीं रहते और हफ्ते में एक रोज आकर दस्तखत कर जाते हैं, ताकि उनकी तनख्वाह में से साढ़े छः रुपये रोज न कट जायं। खाली इस साढे छः रुपये को बचाने के लिये बहुधा ऐसा देखा गया है और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो इस तरह की बातें होती हैं।

दूसरी चीज जिसमें मुझे सबसे बड़ी दिक्कत मालूम होती है वह यह है कि अगर यह विधेयक पास हो जाय तो इस सदन में कभी भी कोरम नहीं रहने का। मुझे तीन दफा घंटी बजवानी पड़ती है कोरम के लिये। और अगर यह कानून बन गया कि आप दस दिन के लिये लापता रह सकते हैं तो कभी भी कोरम नहीं होगा और इस तरह से जो क्वेश्चन आवर में सदन भरा रहता है मुझे डर है कि बाद में कहीं कोरम के लिये सदन को स्थगित न करना पड़े। इसलिये यह जो धारा है यह बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूं कि जनता ने हम को चुन कर यहां भेजा है कि हम इस एसेम्बली को अटेंड करें। दिन भर एसेम्बली में हाजिर रहें और जो भी कानून आये, जो भी विषय आये उस पर ठीक ठीक राय दे सकें अपनी जनता की तरफ से बता सकें और उस कानून को ठीक-ठीक बनवा सकें इसीलिये मैं समझता हूं कि जनता ने चुनकर हम को भेजा है। बस वही एक काम है, वैसे आप बहुत से काम करते रहिये। लेकिन जनता ने हमको यही काम करने के लिये यहां पर भेजा है और इसीलिये जनता ने हमको वोट दिया। जहां तक मैंने विधान को समझा है, उसमें यही है कि जिस समय यहां पर एसेम्बली चले तो अपनी ठीक-ठीक रायें दें ताकि जो कानून बने उससे जनता का हित हो सके और उससे प्रांत की जनता लाभ उठा सके। इसीलिये हम यहां पर आये हैं। इसलिये यह जो कानून बन रहा है यह एक तरह से बाध्य कर रहा है लोगों को कि वह घर जायं और वहां पर आराम करें, या टहलने के लिये आगरा चले जायं वहां पर ताजमहल देखें। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं समझता हूं कि यह संविधान के विरुद्ध है। संविधान में हम लोगों को यह अधिकार मिला हुआ है कि जब सेशन चले तो यहां पर मौजूद रहें। वैसे कोई बीमार पड़ जाय तो बात दूसरी है या किसी को कोई जरूरी काम पड़ गया और वह एक आध दिन के लिये बाहर चला गया, लेकिन इसलिये नहीं कि वह किसी दूसरे काम के लिये बाहर चला जाय और फिर भी वैसा मिले। यह कहां का न्याय है यह मेरी समझ में नहीं आता है। इस तरह की चीजें यहां पर बहुत कही गई। अभी शुक्ल जी ने तो यहां तक कह दिया कि हम लोगों के लड़कों को फीस माफ होनी चाहिये। पैसा जनता दे और जनता के लड़कों की फीस माफ न हो, लेकिन हमारे लड़कों की फीस माफ होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि जरूरी तो यह था कि जब दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये रुपये की जरूरत है और उसके लिये उतना रुपया नहीं मिल पा रहा है और सरकार टैक्स लगाने की सोच रही है तो वह अपने ऊपर भी टैक्स लगाये। लेकिन यहां तक देखा जा रहा है कि साहब, मंत्री जी को दवाई में कमी हो गयी हालांकि मैं यह समझता हूं कि जब तक गुप्त जी हैं तब तक दवाइयों में कोई भी कमी होने वाली नहीं है। लेकिन इसमें तो सारी चीजें हैं। मैं समझता हूं यह जो विधेयक है उस यह बिलकुल बेकार है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, गुप्ता जी से मतलब आपका तो नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मेरा मतलब श्रीमन्, चन्द्रभानु गुप्त जी से है। मैं यह कह रहा था कि इस विधेयक को सरकार को बिलकुल वापस लेना चाहिये। कोई जरूरत इस कानून को बनाने की नहीं है। और अगरचे सरकार को वापस लेने में दिक्कत है तो इसको ठीक होना चाहिये। कुछ मेम्बर साहब कहते हैं कि कुछ और बढ़ाया जाय इसमें कमी है किसी दूसरे ने यह कह दिया कि कुछ और बढ़ायें तो इसके साथ-साथ माननीय मंत्री जी ने उसमें कुछ अपना भी घुसेड़ दिया। यह क्या तमाशा हो रहा है। मैं श्रीमन्, आपसे कहता हूं कि अगर

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

माननीय मंत्री जी को सदस्यों की नाराजगी का डर है तो उसके लिये मैंने माननीय मंत्री जी की सुविधा के लिये अपना संशोधन रखा है। वैसे तो मैं इसके बिलकुल खिलाफ हूं लेकिन माननीय मंत्री जी की सुविधा के लिये मैंने रखा है कि इसको जनता के पास भेजा जाय ताकि जनता कह सके और अपनी राय दे सके। अगर जनता कहती है कि यह गड़बड़ की बात है तो इसको पास न किया जाय और इसको नहीं चाहे तो इसको फाड़ दिया जाय लेकिन अगर जनता इस राय की हो कि यह विधेयक सही है ठीक है तो इसको पास कर दिया जाय। मैं तो उनसे यही निवेदन करूंगा कि इसको वे वापस लेलें तो बहुत अच्छा है। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

अधिष्ठाता---मैं यह स्पष्ट कर देना चाहत हूं कि जो दो प्रस्ताव पेश हैं उन दोनों पर एक साथ बोला जाय।

***श्री राजनारायण**---श्रीमन्, मैं इसका ख्याल रखूंगा। इस विधेयक के बारे में मैं इस मत का हूं कि यह बहुत निकम्मा और खराब है और इसके जरिये जनहित का विरोध होने वाला है। इसे प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं और इसे जनमत की भावना जानने के लिये भेजने की आवश्यकता नहीं। इसे तो सीधे-सीधे इस सदन के सम्मानित सदस्यों को उठाकर फेंक देना चाहिये और इस पर विचार बन्द कर देना चाहिये। अगर इसके उद्देश्य और कारण से हम सहमत होते तब हम कह सकते थे कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय या संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाय या जनमत की भावनाओं को जानने के लिये भेजा जाय। मैं जनता में रहता हूं और उसमें घूमा करता हूं और जनता की इच्छा, भावना और आकांक्षा को प्रतिबिम्बित भी किया करता हूं। मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की या बाहर की जनता सचेत है और इस बिल के विरुद्ध अपनी एक राय रखती है। इसलिये बिना एक पल की देर किये भी मेरे दिमाग में यह शंका नहीं रह गई कि ऐसे निकम्मे बिल का विरोध दृढ़ता के साथ करना चाहिये।

माननीय मंत्री जी के लिये शुक्ल जी की ओर से अभी तारीफ के पुल बांधे गये, खैर मैं व्यक्तिगत बातों में यहां जाना नहीं चाहता हूं। इस बिल का बोझ किस पर पड़ेगा ? माननीय मुख्य मंत्री जी श्री सम्पूर्णानन्द जी ने एक बार पहले यहां मंत्रियों, उपमंत्रियों, सभा सचिवों और विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों के भत्ते और तनख्वाह के बारे में विधेयक वापस लिया था। उस समय भी मैंने कहा था कि इसे हमेशा के लिये वापस लिया जाना चाहिये। तब माननीय गेंदासिंह जी, नेता विरोधी दल, ने अपनी प्रसन्नता का इजहार किया था, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इस विधेयक को वापस लेते समय उस समय भी मैंने कहा था कि इस विधेयक को यहां नहीं आना चाहिये। इसका जो परिवर्तित स्वरूप हो, उसका बोझ जनता पर नहीं पड़ना चाहिये, जनता के खजाने पर नहीं पढ़ना चाहिये। मैं आज देख रहा हूं कि जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत है वह खजाने के ऊपर भारस्वरूप होने जा रहा है और कुछ मौलिक बातों से यह संबंध रखने वाला है। माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने एक बात की ओर संकेत किया और मैं उनके साथ हूं। इसमें उन्होंने कहा था कि विधान सभा के सदस्यों का या विधान सभा का क्या कर्त्तव्य है। हमें यहां आने का दैनिक भत्ता मिलता है और २०० रु० मासिक तनख्वाह के रूप में मिलते रहते हैं। वह दो सौ रुपया लेकर हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम कर सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र की जनता को सचेत कर सकते हैं उसको सरकार के द्वारा पास किये गये कानून, नियम और उपनियमों के बारे में बता सकते हैं। उनकी क्या मुसीबतें, दिक्कतें और परेशानियां हैं उनके बारे में भी उन्हें अवगत करा सकते हैं, लेकिन १० रुपया प्रतिदिन दैनिक भत्ता लेने का अधिकार हमें तभी होना चाहिये जब हम इस सदन में जो कार्यवाही हो, उसमें भाग लें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने दिनों तक विधान संबंधी कार्यवाहियों से संबंध रखने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस सदन में इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करती है, ऐसा निकम्मा, दकियानूसी और जनतंत्र प्रणाली के विरुद्ध एक विधेयक प्रस्तुत करती है जिसका अर्थ यह होता है कि इस विधान सभा के अन्दर चाहे जो भी कानून है, चाहे जो विधेयक किया जा रहा हो, चाहे जो कुछ कार्यवाही हो रही है, उसमें भाग लें या न लें, मगर हमें १० रुपया मिलता चला जायगा।

मैं इस सदन ने सम्मानित सदस्यों से श्रीमन्, आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि क्या यही हमारे कर्त्तव्य की भावना का द्योतक है? क्या इसी तरह से हम अपने कर्त्तव्य को पूरा कर सकते हैं? अगर कोई भी सदस्य यह समझता है कि इस सदन में रहते हुए भी या अन्य कार्यवाही में हिस्सा न बटाते हुए भी हमको भत्ते का अधिकार है या किराया लेने का अधिकार है, तो मैं समझता हूं कि वह अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करता है और कभी भी वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर सकता। इसलिये श्रीमन्, मैं बहुत ही सफाई और साहस के साथ यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का इस सदन में प्रस्तुत किया जाना ही इस सदन का अपमान है, हम तमाम लोगों का अपमान है। हम लोगों को, जब से इस विधेयक की चर्चा थी, तभी से अपनी आवाज इतनी बुलन्द कर देनी चाहिये थी कि सरकार की हिम्मत ही न होती कि वह सदन में ऐसा कानून पेश कर सकती। हमने जब-जब, बड़ी-बड़ी मीटिंग्स में इसकी चर्चा की, समाचार पत्रों ने उसकी अवहेलना की। इस अवसर पर समाचार पत्रों से भी मैं दो एक शब्द कह देना चाहता हूं कि वे आज हमारे देश में अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। बाहर जो जनमत तैयार हुआ १०-१० हजार और १५-१५ हजार की मीटिंग्स में लोगों ने जोरों से हाथ उठा-उठा कर यह ऐलान किया कि अब तनख्वाहें नहीं बढ़नी चाहिये, भत्ते नहीं बढ़ने चाहिये लेकिन इतना अपार जनमत होते हुए भी समाचार पत्रों में इसकी चर्चा तक न हुई। मुझे मालूम नहीं क्यों समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों ने इन बातों से हमदर्दी रखते हुए भी इन समाचारों को नहीं भेजा, क्यों यह बातें नहीं निकाली गयीं। मैं इस बात को जानता हूं, क्योंकि कई मीटिंग्स में मैं स्वयं गया हूं और बड़े जोर से जनता ने इस बात का समर्थन किया कि मंत्रियों की तनख्वाह, उपमंत्रियों की तनख्वाह, विधान मंडल के पदाधिकारियों के भत्ते, सदस्यों के भत्ते बढ़ने की अगर कोई बात होती है तो जनता दृढ़ता के साथ इसका विरोध करती है। अगर समाचार-पत्रों ने जनता की आवाज को समाचार-पत्रों में स्थान दिया होता तो सरकार की आज हिम्मत ही न हुई होती कि वह इस विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत करती। मैंने यह बात किसी और वजह से नहीं, केवल अपने कर्त्तव्य पालन करने की दृष्टि से ही समाचार-पत्रों के बारे में कही है।

माननीय मंत्री जी जब इस विधेयक की धाराओं को १,२,३, औय ४ पढ़ रहे थे और उनको पढ़ते समय उनका भाष्य कर रहे थे कि ऐसा क्यों है तो मैं अच्छी तरह से उनकी भृकुटी की तरफ देख रहा था। मैं देख रहा था कि उनकी भृकुटी की बिलासिता किधर प्रदर्शित हो रही है। श्रीमन्, आप देखेंगे इसमें यह कहा जा रहा है—

"सरकार के सभा सचिवों को अभी तक वेतन और भत्ते प्रशासकीय आज्ञाओं के अधीन मिलते रहे हैं। सरकार को परामर्श प्राप्त हुआ है कि मंत्रियों और उपमंत्रियों की भांति इनका वेतन भी विधान मंडल के अधिनियम द्वारा अवधारित होना चाहिये। अतएव इस विधेयक द्वारा इसकी व्यवस्था की गयी है।"

और इसकी व्यवस्था करने के लिये संविधान के अन्दर धारा १६४(५) और १८६ के तहत इस सदन को हक है कि वह इसके संबंध में समय-समय पर नियम और कानून बनाये। यह सही है कि हक है, लेकिन वह हक का इस्तेमाल जायज ढंग से होना चाहिये न कि नाजायज ढंग से होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को माननीय मंत्री जी ने इस सदन में

[श्री राजनारायण]

प्रस्तुत करके संविधान की धारा १६४ और १८४ के अन्दर जो हक सदन को मिला हुआ है उस हक का दुरुपयोग कराया जा रहा है। माननीय मंत्री जी इस सदन में सरकारी पक्ष के विशाल बहुमत का यह फायदा लेना चाहते हैं कि जिस तरह का विधेयक हो चाहे जनता के हित का हो या न हो उसे पास करा लेंगे। जब विधान सभा को संविधान की धाराओं के अन्दर यह हक मिला कि वह मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और सभासचिवों की तनख्वाहों के बारे में कानून बनायें, मंत्रियों के दैनिक भत्ते और सदस्यों की तनख्वाहों के बारे में कानून बनायें तो उस वक्त यह इच्छा उसकी थी कि वहां पर जब सदस्य बैठेंगे, विचार विनिमय करेंगे तो उसमें से ऐसी बात निकलेगी, ऐसा कानून बनेगा जो जनता के लिये हितकारी हो, जो जनता के ऊपर टैक्स के बढ़ने वाले बोझ को कम करने वाला हो। सरकार की ओर से बराबर कहा जाता है कि जनता सहयोग नहीं कर रही है, रचनात्मक कार्यों में सहयोग नहीं कर रही है तो जनता की हालत सुधारने के लिये सरकार ने कौन से काम किये ?

श्रीमन्, विदेशों में भी भ्रमण करके बहुत से माननीय मंत्रीगण वापस लौटे हैं। समय-समय पर वे जाते रहते हैं, इस सदन के सम्मानित सदस्य भी जाते रहते हैं, लेकिन मैं आपके द्वारा इस सरकार से जानना चाहूंगा कि जनता की आमदनी में आज जो अपार विषमता खड़ी हुई है जैसे एक कोयले की खान में काम करने वाली मजदूरिन ८ आने मजदूरी पाती है और दूसरी तरफ अपने देश और प्रदेश में ४ से ६ हजार प्रति दिन की आमदनी होने वाले आदमी भी मौजूद हैं तो इसे दूर करने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ? क्या औचित्य है सरकार के पास इस विधेयक को प्रस्तुत करने का ? इसी सरकार के अन्दर आज भी जो चौकीदार है वह ५ रुपये महीना तनख्वाह पाता है और इसी सरकार के अन्दर आज प्रत्येक मंत्री के ऊपर ६ हजार रुपये प्रति माह से कम खर्च नहीं हो रहा है। १,२०० रुपये तनख्वाह देने की बात तो आंख में धूल झोंकने वाली बात है। जब अंग्रेजी हुकूमत में मंत्रियों को पांच हजार रुपये तनख्वाह मिलती थी तो उसमें से उनको निवास स्थान के लिये भी खर्च करना पड़ता था और सारे रख-रखाव के खर्चे भी उन्हें अपने आप ही करने पड़ते थे, लेकिन आज जो मंत्रीगण १,२०० रु० तनख्वाह पा रहे हैं उनको अपने निवास स्थान का किराया नहीं देना पड़ता, उनके रखरखाव का प्रबन्ध मुफ्त है और उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिये एक ऐसे कानून की रचना कराई है। इन १,२०० रुपयों के अन्दर अब इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा पर चूंकि इनकम टैक्स केंद्रीय सब्जेक्ट है तो उसे उनकी तनख्वाहों से नहीं काटा जायगा, बल्कि राजकोष से दिया जायगा। इतने ज्यादा धन का दुरुपयोग एक-एक मंत्री महोदय के ऊपर हो रहा है। पहले तो डिप्टी मिनिस्टर का पद होना चाहिये या न होना चाहिये श्रीमन्, इसमें भी काफी विशद व्याख्या हुई थी और मेरी राय थी कि डिप्टी मिनिस्टर का पद नहीं होना चाहिये, इन मंत्रियों को काम करना चाहिये। जितना समय ये सिनेमाघरों, होटलों के उद्घाटन करने में लगाते हैं, जितना समय किसी के नये बने हुये पाखाने के उद्घाटन में लगाते हैं वह यहां लगा सकते हैं। मुझे जानकारी है आपने मेरी बात पर हंस भी दिया और इस सदन के सम्मानित सदस्यों की जानकारी के लिये भी मैं उस घटना को बतला देना चाहता हूं। हमें एक ऐसा चित्र देखने को मिला। एक जगह पेशाबखाना बनाया गया जिसका उद्घाटन एक मंत्री कर रहे थे और जब उद्घाटन कर रहे थे फोटो ली गई और वह फोटो भी दिखाया गया। आज क्या-क्या हो रहा है इस कांग्रेसी हुकूमत में, क्या-क्या तूफान बदतमीजियां बरती जा रही हैं कि अब हद हो गई है, सीमा पार हो गई है। यह जितने काम हो रहे हैं, कौन सा ऐसा काम है जिसको माननीय मंत्रीगण नहीं कर रहे हैं। घाट का उद्घाटन ये करेंगे, नये मकान का उद्घाटन ये करेंगे, दूकानों का उद्घाटन ये करेंगे, अस्पतालों का उद्घाटन ये करेंगे, स्कूलों का उद्घाटन ये करेंगे, नलकूप जब लगेगा तो उस नलकूप का पहले जब पानी निकलेगा तो माननीय मंत्री जी के हाथ से निकलेगा। ऐसा कोई काम नहीं है जीवन से संबंधित जिसकी जिम्मेदारी माननीय मंत्री महोदयों ने अपने हाथ में न ले ली हो। इन कामों को उन्हें बन्द करना चाहिये और जितना समय इन कामों में लगाते हैं उस समय को राज काज के इन्तजामों में लगायें जो डिप्टी मिनिस्टर साहबान के पद

की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने डिप्टी मिनिस्टर का पद बनाकर अपने जीवन को आनन्द के साथ व्यतीत करने की आदत डाल रखी है और डिप्टी मिनिस्टरों पर काम की जिम्मेदारी छोड़ रखी है और इसी के साथ आप श्रीमन्, पहले भी इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं और आपने देखा होगा कि पहले डिप्टी मिनिस्टर की कहीं गुंजाइश नहीं थी। पहले सभा सचिव हुआ करते थे। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अब भी हैं, डिप्टी मिनिस्टर भी हैं। ६ की जगह १२ मिनिस्टर हो गये। मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सब को मिलाकर करीब २७ हो गये हैं, जहां पहले छः से काम चलता था, आज २७ से काम चल रहा है। जहां पहले सालाना सवा लाख खर्च होता था आज वहां मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों पर २० लाख रुपया सालाना खर्च हो रहा है। यह गरीब भारत, गरीब प्रदेश का नकशा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि भारत के सम्मान, इज्जत की सुरक्षा गांधी से हुई है या जवाहरलाल नेहरू से हुई है या राष्ट्रपति से हुई है जो आज यहां राष्ट्रपति बन कर बैठे हुये हैं। भारत के सम्मान की सुरक्षा गांधी से हुई है। जब वह गांधी लंगोटी लगा कर, ब्रिटेन में गया था। वहां के तुषार में कमली ओढ़े हुये गांधी खड़ा हुआ था। जब सारे संसार की जनता जानती थी कि एक गरीब मुल्क का प्रतिनिधि महात्मा गांधी आज ब्रिटेन में आया हुआ है और अपने मुल्क को प्रदर्शित कर रहा है, साक्षात् मूर्तिमान स्वरूप है, अब जरा इसको देखा जाय। इसमें लिखा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर महोदय के लिये, उनके पद के सम्मान की प्रतिष्ठा के लिये, उनकी तनख्वाह का बढ़ाया जाना आवश्यक है। क्या पद के सम्मान की प्रतिष्ठा होगी ?

मैं कहना चाहता हूं कि अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण दो सौ रुपया ढाई सौ रुपया में अपना काम चलायें यह भारत का आदर्श होगा और भारत की जनता की निगाह में उनका सम्मान बढ़ेगा। उनका पद सुशोभित होगा। आज जनता अभिशाप, पाप स्वरूप समझती है और वह समझती है कि यह हमारे भक्षक के रूप में खड़े हुये हैं, हमारे धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो विधेयक प्रस्तुत है इसकी भाषा को जरा देखा जाय।

अधिष्ठाता---समय कम है। अगर भाषा न देखें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय तथा सम्मानित सदस्य इस भ्रम में न रहें कि मैं अपना भाषण समाप्त करने जा रहा हूं। मेरा भाषण कल जारी रहेगा। मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि अभी इसकी एक-एक धारा पढ़ी जाय और एक-एक बातपर ध्यान दिया जाय तो इस सदन के सम्मानित सदस्यों की जानकारी में यह बात आ जायगी कि सही मानों में यह जो गरीब मुल्क है जो गरीब प्रदेश है जिसकी आमदनी घटती जा रही है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा निकाला जाय। यहां पर बहुत से आंकड़े के माहिर हैं। मैं उनकी आंकड़े में माहिर होने की क्वालिटी पर संदेह नहीं करता। आंकड़े कैसे बनाये जाते हैं क्या-क्या तरीके अख्तियार किये जाते हैं, क्या-क्या उसका बेस माना जा सकता है। उस बेस में परिवर्तन कैसे-कैसे होते रहते हैं इसकी भी उनको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिये, तब तो सही माने में आंकड़े से सही अर्थ निकल सकता है। आज जो सरकारी किताबें उत्तर प्रदेश की सरकार बांट रही है, उसमें देखा जाय कि उत्तर प्रदेश के देहातों में ग्रामीण जनता की आमदनी जहां २१२ रु० पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम थी, वहां १९५४ में १९४ रु० हो गई। २० रु० आमदनी, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता की आमदनी फी इन्सान कम हो गई है। और यदि माननीय परिपूर्णानन्द जी या और कोई सदन के सम्मानित सदस्य अपना आंकड़ा पेश करेंगे तो यह शहर और देहात दोनों को मिला देंगे और दोनों को मिला करके.....

अधिष्ठाता---अभी तो कुछ पेश नहीं किया।

श्री राजनारायण---मैं पहले से ही आगाह कर देना चाहता हूं कि दोनों को मिलाकर के शहर और देहात की आमदनी को मिलाकर के कुछ रुपया बढ़ा देंगे। मैं जानना चाहूंगा जरा देहात में जाकर के देखें हमारे सम्मानित सदस्यगण, आज स्कूलों में बच्चों की तादाद घट गई है क्या यह हमारे लिये अशोभनीय बात नहीं है? बिलकुल अशोभनीय बात है। आमदनी कम हो रही है।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
११ जनवरी, १९५६।

संसद भवन

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६३ पर)

No. 3048-B/V—1499-1949

FROM

SRI B. P. JOSHI, I. A. S.,
JOINT SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

THE DIRECTOR OF MEDICAL AND HEALTH SERVICES,
UTTAR PRADESH.
LUCKNOW.

Dated Lucknow, July 7, 1954.

Subject: **Amendment of rule 2 (2) of the U. P. Government Servants (Medical Attendance) Rules, 1946**

MEDICAL (B) DEPTT.

SIR,

I AM directed to say that according to the definition given in rule 2 (2) of the U.P. Government Servants (Medical Attendance) Rules, 1946, the term "family" means the wife, legitimate children and step-children of a Government servant *residing with* and wholly dependent upon the Government servant concerned. If a member of a Government servant's family receives treatment at a place other than the place where the Government servant is posted, the reimbursement of medical charges incurred by him is not admissible under the said rule as it requires that the family of the Government servant should be residing with him.

2. It has come to the notice of Government that it may not always be possible for a Government servant to keep his family with him, when he is transferred to another station, where accommodation is not readily available. In order to avoid hardship to Government servants, who, owing to the present scarcity of accommodation, are not able to secure family accommodation immediately after their transfer, the Governor has been pleased to order that the following proviso be inserted below rule 2 (2) of the U. P. Government Servants (Medical Attendance) Rules, 1946 :

> "Provided that where a Government servant on transfer to a station is unable to find family accommodation at that station, and is compelled to keep his family at another station, situated in Uttar Pradesh, the family will be deemed to be residing with him for purposes of these rules if the treatment commences within three months after the date of the Government servant taking over charge at his new station, and provided the arrangement does not have for its object, the securing of better medical facilities than are available at the Government servant's new place of posting."

3. I am to add that the above amendment may please be brought to the notice of all Government servants serving under you.

Yours faithfully,

B. P. JOSHI,
Joint Secretary.

No. 3048 (i) B/V—1499-1949

COPY forwarded for information to all Heads of Departments and Principal Heads of Offices in Uttar Pradesh with the request that the amendment may be brought to the notice of all Government servants serving under them.

NO. 3048 (ii)B/ V—1499-1949

COPY forwarded for information and necessary action to :

(1) All Departments of the U. P. Civil Secretariat.
(2) The Registrar, Lucknow University, Lucknow.

NO. 3048 (iii) B/V—1499-1949

COPY also forwarded to the Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad, for information.

By order,
B. P. JOSHI,
Joint Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

No. A-223-B/V—1354-1954

FROM

SRI B. P. JOSHI, I. A. S.,
JOINT SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH.

To,

THE DIRECTOR OF MEDICAL AND HEALTH SERVICES,
UTTAR PRADESH,
LUCKNOW.

Dated Lucknow, December 29, 1954.

Subject : **Medical Attendance Rules—Reimbursement of expenses incurred on the medical treatment of the members of a Government Servant's family.**

SIR,

Medical (B) Deptt.

IN continuation of G. O. no. 3048-B/V—1499-1949, dated July 7, 1954, regarding amendment of rule 2—(2) of the U. P. Government Servants (Medical Attendance) Rules, 1946, I am directed to say that the Governor has also been pleased to order as follows:

(i) If a Gvernment servant proceeding on leave to another station in U. P. takes his family along with him for reasons other than health and any member of his family falls ill during that period at the leave station and commences his/ her treatment there but during the pendency of the treatment and before its completion the Government servant is obliged to leave that station for his place of duty the reimbursement of the expenditure for the treatment

during the entire period of the Government servant's stay at the leave station and for a subsequent period of one month after the Government servant has left that station, may be allowed if the claim is other-wise admissible under the rules.

(ii) No reimbursement would, however, be admissible if a Government servant proceeding on leave to another station takes along with him a member of his family for treatment at that station, whether the treatment pertains to the period when the Government servant himself was on leave at that station or thereafter.

(iii) If a member of a Government servant's family residing at a station other than the duty station of the Government servant falls ill at that station and the Government servant takes leave and goes over to that station and remains there on leave during this period of treatment, no reimbursement will be admissible unless the case is covered by tbe provision in G. O. no. 3048/B/V —1499-1949 dated July 17, 1954.

(iv) Members of a Government servant's family are entitled to receive free medical attendance and treatment at the headquarters of the Government servants even when the Government servant is himself away from the headquarters on tour or for any other reason, and in such cases no question of the relaxation of the rules is involved.

2. I am to add that the above orders may please be brought to the notice of all Government servants serving under you.

3. These orders are being issued with the concurrence of Finance Department.

Yours, faithfully,
B. P. JOSHI,
Joint Secretary.

No. A-223(i)B/V—1354-1954

COPY forwarded for information to all Heads of Departments and Principal Heads of Offices in Uttar Pradesh in continuation of G. E. no. 3048 (i)-B/V—1499-1949, dated July 7,1954 with the request that all Government servants serving under them may be informed of these orders.

No. A-223(ii)B/V—1354-1954.

COPY also forwarded for information and necessary action to :—

(1) All Departments of the U. P. Civil Secretariat.

(2) The Registrar, Lucknow University, Lucknow.

in continuation of G. E. no. 3048—(ii)B/V—1449-1949, dated July 7, 1954.

No. A-223 (iii) B/V—1354-1954

COPY also forwarded to the Accountant Generall, Uttar Pradesh Allahabad, for information in continuation of G. E. no. 3048(iii)-B/V—1449, 1949, dated July 7, 1954.

By order,
B. P. JOSHI,
Joint Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६८ पर)

सूची

इस जिले के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में अधोलिखित निर्माण-कार्य प्रारम्भ होने हैं—

(१) जिले के निम्नलिखित स्थलों पर फ्लड पोस्ट होंगे :

१—महाराजगंज	तहसील सगड़ी
२—आजमतगढ़	
३—सगड़ी	
४—रौनापार	
५—अहिरौला	फूलपुर तहसील
६—इबारी	
७—गाजियापुर	तहसील घोसी
८—कोपागंज	

इन फ्लड पोस्टों के निर्माण में कुल ८१,००० रुपया व्यय होने का अनुमान है जिसमें ३०,००० रुपया स्थानीय सहायता से प्राप्त होता है। अब तक शासन द्वारा केवल १०,००० रुपया प्राप्त हुआ है। शेष ४१,००० रुपये के लिये शासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

(२) सामुदायिक गृह (कम्युनिटी शेड) जिले में कुल ९० कम्युनिटी शेड बनने प्रस्तावित हुए हैं।

(३) जिले में कुल ८८ गांवों के धरातल ऊंचा करने का कार्यक्रम है।

(४) निम्नलिखित १२ सड़कों पर टेस्ट वर्क चालू किया गया है और कतिपय अन्य पर भी कार्य होने की संभावना है ताकि भूमिहीन मजदूरों को रोजी मिल सके :

१—मेंहनगर कोटा,	लालगंज रोड,
२—मेंहनजपुर,	तरवा रोड,
३—जोयनपुर अमुवारी,	नारायनपुर रोड,
४—बखालिश बाजार,	गोरखाईं रोड,
५—दुरबासा,	फूलपुर रोड,
६—निजामाबाद,	फूलपुर रोड,
७—कोपागंज,	ताल नरजा रोड,
८—चिरैयाकोट,	बांस गांव रोड,
९—माहुल पवई,	बेलवाना रोड,
१०—सिकरौरा,	माटीन गंज रोड,
११—मोहम्मदपुर,	फरिहा रोड,
१२—शाम्भोपुर,	बसिहरा रोड।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ १७० पर)

इटावा जिले की प्लानिंग कमेटी को सन् १९५३–५४ व सन् १९५४–५५ में जनहित कार्य के लिये दिये गये धन के व्यय की सूची ।

सन्	क्रम सं०	मदें	रु०	आ०	पा०
१९५३–५४	१	हरिजनों के कुओं के लिये	२,१४०	९	–
	२	बोज गोदाम भवन	१२,०००	–	–
	३	कुओं का निर्माण और मरम्मत ..	३,२२८	१४	३
	४	स्कूल पंचायत घर	३,६५०	५	–
	५	गुलियां	१,६६५	५	६
	६	नालियां व गलियां	७९०	१	६
	७	सिंचाई के नालों पर श्रमदान ..	३,०९५	–	–
	८	वनीकरण	२७१	२	–
	९	पानी के निकास की योजना पर व्यय ..	१,५००	–	–
	१०	श्रमदान	१,३७४	२	–
	११	औषधियां	१,०१७	८	–
	१२	मेले और प्रदर्शिनियां	३,६६०	५	–
	१३	समाज शिक्षा	३१५	११	६
	१४	प्रान्तीय रक्षादल शिविर	६००	–	–
			३५,२०८	९	६
१९५४–५५	१	स्कूल पंचायत घर	१२,८९७	५	९
	२	सिंचाई के नलों पर श्रमदान ..	२४७	–	–
	३	कुओं का निर्माण व मरम्मत ..	४,०८३	–	–
	४	पुलियां	२,३७२	–	–
	५	मेले और प्रदर्शिनियां	१,८७०	११	–
	६	फुटपाथ	२६	–	–
	७	नालियां और गलियां	३,०९९	५	९
	८	महिला कल्याण-केन्द्र	१७	११	३
	९	वनीकरण	२४६	२	३
	१०	औषधालय	३,४४३	१२	–
	११	प्रान्तीय रक्षा दल शिविर	४,१०३	५	–
	१२	समाज शिक्षा	२००	–	–
	१३	फुटकर आकस्मिक	३९०	–	–
	१४	श्रमदान	१०,००३	–	–
	१५	हरिजनों के लिये कुएं ..	५,६९१	१४	३
	१६	हरिजनों के घर के निमित्त ..	१५०	–	–
	१७	उच्चतम माध्यमिक पाठशालाओं का सुधार	९,९००	–	–

सन्	क्र० सं०	मदें	रु०	आ०	पा०
		लोकल डेवलपमेंट वर्क्स			
१९५४-५५	१	टी० बी० अस्पताल, इटावा ..	१०,०००	—	—
	२	ब्रीज गोदाम	२,०००	—	—
	३	मवेशी अस्पताल	५,५८०	—	—
	४	स्कूल और पंचायतघर	५,५४०	—	—
	५	औरइया अस्पताल	३,०६०	—	—
	६	पुलिया इत्यादि	१,३४७	—	—
	७	नालियां और गलियां	१००	—	—
	८	सड़कें	२,०००	—	—
	९	औषधालय	५२२	४	३
	१०	कुएं	४००	—	—
		योग ..	८९,२९१	५	६

नत्थी 'घ

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७६ पर)

नत्थी "क"

Sample Survey की findings

---

(१) ४३ प्रतिशत मद्यसेवियों ने मद्यपान छोड़ने के लिये प्रयत्न किया और ५७ प्रतिशत मद्यसेवियों ने कोई प्रयत्न नहीं किया इसमें से ३९ प्रतिशत ने मद्यपान छोड़ दिया है, ६० प्रतिशत ने नहीं छोड़ा है और शेष १ प्रतिशत ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

(२) शराब न पीने वाले लोगों में से ७५ प्रतिशत लोगों ने बताया कि मद्यनिषेध से मद्यपान के झगड़ों में कमी हुई है। मद्यसेवियों में से ६० प्रतिशत अवैध शराब बनाते हैं, १२ प्रतिशत उसकी अवैध बिक्री करते हैं और शेष २८ प्रतिशत दूसरी मादक वस्तुओं की बिक्री करते हैं। मद्यसेवियों में से केवल १५ प्रतिशत को आबकारी नियमों के उल्लंघन के लिये सजा दिलाई जा सकी है।

(३) मद्यसेवियों के अनुसार मद्यनिषेध से ४८ प्रतिशत की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है, ४६ प्रतिशत की आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है और शेष ६ प्रतिशत की आर्थिक दशा में अवनति हुई है। ४८ प्रतिशत मद्यसेवी मद्यनिषेध से पहले की अपेक्षा अब शराब पर कम व्यय करते हैं, १७ प्रतिशत अधिक व्यय करते हैं, और ३५ प्रतिशत के मामले में कोई अन्तर नहीं है। ५७ प्रतिशत मद्यसेवियों के ऋण में कमी हुई, २३ प्रतिशत के ऋण में बढ़ोत्तरी हुई और २० प्रतिशत के ऋण में कोई अन्तर नहीं पड़ा।

(४) ५२ प्रतिशत मद्यसेवियों के कुटुम्ब की सामाजिक स्थिति मद्यनिषेध से पहले की अपेक्षा अब अच्छी है, २२ प्रतिशत की सामाजिक स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक खराब है और २६ प्रतिशत के मामले में कोई अन्तर नहीं पड़ा।

(५) मद्यनिषेध के पश्चात ५१ प्रतिशत मद्यसेवियों और उनके कुटुम्बों की तन्दुरुस्ती में सुधार हुआ है, ५ प्रतिशत की तन्दुरुस्ती गिर गई है और शेष ४४ प्रतिशत की हालत में कोई अन्तर नहीं पड़ा है।

(६) शराब न पीने वाले लोगों में से ६८ प्रतिशत ने बतलाया कि मद्यनिषेध से मद्यसेवियों के रहने के स्टैन्डर्ड में उन्नति हुई है, ३ प्रतिशत ने बतलाया है कि अवनति हुई है और शेष २९ प्रतिशत ने कोई अन्तर नहीं बतलाया।

(७) जब मद्यनिषेध लागू किया गया था उस समय मद्यसेवियों में से ३२ प्रतिशत उसके पक्ष में थे, ६३ प्रतिशत विपक्ष में थे और ५ प्रतिशत ने कोई राय नहीं प्रकट की। अब ६७ प्रतिशत पक्ष में हैं, ३० प्रतिशत विपक्ष में हैं और ३ प्रतिशत किसी भी पक्ष में नहीं हैं।

जब मद्यनिषेध लागू किया गया था उस समय शराब न पीने वाले लोगों में से ७९ प्रतिशत का मत इस सम्बन्ध में अच्छा था, १९ प्रतिशत का मत इस संबंध में बुरा था और २ प्रतिशत का कोई मत नहीं था। यह संख्या अब भी लगभग इसी प्रकार है।

(८) ६२ प्रतिशत मद्यसेवियों ने बतलाया कि मद्यनिषेध के लिये बनाई गई योजना प्रभावकारी है, ३८ प्रतिशत ने बतलाया कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शराब न पीने वाले लोगों में से ७३ प्रतिशत ने बतलाया कि यह योजना प्रभावकारी है, २४ प्रतिशत

ने बतलाया कि ठीक प्रभावकारी नहीं है, और शेष ३ प्रतिशत ने कोई राय नहीं दी। मद्य-निषेध को योजना सफल बनाने के लिये मद्यसेवियों में से २७ प्रतिशत ने समाज सुधार की राय दी, २४ प्रतिशत ने सम्पूर्ण मद्यनिषेध की राय दी, २१ प्रतिशत ने क्षेत्र के अनुसार मद्यनिषेध की राय दी, और परमिट देना आवश्यक बताया, १४ प्रतिशत ने राय दी कि मद्यनिषेध को सख्ती के साथ लागू किया जाय, १३ प्रतिशत ने राय दी कि कठोर दंड दिया जाना चाहिये और शेष १ प्रतिशत ने राय दी कि मद्य निषेध न होना चाहिये।

इस योजना को सफल बनाने के लिये शराब न पीने वाले लोगों में से ३० प्रतिशत ने समाज सुधार की राय दी, २१ प्रतिशत ने कठोर दंड की राय दी, १५ प्रतिशत ने राय दी कि पुलिस और आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर अधिक नियंत्रण हो, १४ प्रतिशत ने राय दी कि पूर्ण मद्यनिषेध हो, ७ प्रतिशत ने राय दी कि मद्यनिषेध थोड़ा-थोड़ा हो और परमिट की व्यवस्था हो, १० प्रतिशत ने राय दी कि मद्यनिषेध को कठोरता के साथ लागू किया जाय, १ प्रतिशत ने राय दी कि रोजगार दिलाने की व्यवस्था हो और २ प्रतिशत ने राय दी कि मद्यनिषेध न हो।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १७५ पर)

मिर्जापुर के बर्तन-उद्योग में कमी आ जाने के कारण निम्नलिखित हैं--

१--मिर्जापुर में मजदूरी की दर अधिक है,

२--यहां के बर्तन भारी तथा असामयिक होते हैं जिसके कारण उनका प्रचलन धीरे-धीरे कम होता जा रहा है ।

३--कारखानेदारों ने बर्तन ढालने की प्रणाली में तथा बर्तनों में नवीनता लाने की चेष्टा नहीं की ।

चपड़ा उद्योग में कमी आने का कारण यह है कि बिहार, मध्य प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश में, जहां कच्चा मॉल सुगमता से उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में कारखाने खुल गये हैं और मिर्जापुर के कारखाने जो मुख्यतः आयात किये हुये कच्चे माल पर निर्भर रहते हैं, उन्हें अन्य स्थानों के बने हुये माल का सामना करने में कठिनाई होती है ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७७ पर)

करघा योजना के अन्तर्गत ६९ कर्घा सहकारी समितियां, जिनमें ७ उत्पादन समितियां हैं, स्थापित की गई हैं। ३ बिक्री केन्द्र और १ रंगाई घर खोले गये हैं, जिनको १,९५,३७१ रु० ९ आना ३ पाई की आर्थिक सहायता दी गई है। एक डाइंग ब्लीचिंग एन्ड फिनिशिंग फैक्टरी खोली गई है।

खादी योजना के अन्तर्गत १२ खादी विकास केन्द्र खोले गये हैं तथा १ खादी बुनाई औद्योगिक शिक्षालय चल रहा है। कताई और बुनाई में क्रमशः ५,४१० और ७२ व्यक्तियों को शिक्षित किया गया है और क्रमशः ७८५ और ११ व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कताई करने वालों को २,००० चर्खे बांटे जा चुके हैं तथा ५७२ मन १८ सेर सूत काता गया है।

गुड़ योजना के अन्तर्गत २१६ गांवों में गुड़ विकास का कार्य किया गया है। ३९६ कोल्हू तथा २० बढ़ावों को प्रचलित किया गया और १४ व्यक्तियों को शिक्षा दी गई है। इस के अतिरिक्त ३३६ भट्ठियां बनाई गईं तथा ५०० व्यक्तियों को देवला बीज बांटा गया है। देवला बीज एक प्रकार की जंगली भिंडी का बीज होता है जो रस की सफाई के लिये इस्तेमाल किया जाता है।

चर्म-उद्योग के विकास हेतु दोहरीघाट में एक चर्म शोधन सहकारी समिति संगठित की गई है, जिसे २,००० रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

काष्ठ कला उद्योग के विकास के लिये घोसी काष्ठ-कला सहकारी समिति संगठित की गई है और उसे १,५०० रु० का अनुदान दिया गया है।

पात्र-कला तथा इरीकल्चर उद्योगों में क्रमशः ५ व २० शिक्षार्थियों को ट्रेनिंग दी जा रही है।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर)

उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के वनस्पति घी के आयात का विवरण—

किन-किन जगहों से आता है।				वनस्पति घी का नाम
गाजियाबाद	..	..	..	(१) लोट्स
				(२) दाल्दा
				(३) गोल्डन ऐरो
				(४) राजहंस
				(५) नौलखा हार
कानपुर	..	..	..	(१) नम्बर १
				(२) ताज महल
				(३) बैटिल एक्स
				(४) अनार
मोदी नगर	..	..	..	(१) किश्ती
				(२) कोटोजम
				(३) घंटाघर
लखनऊ	..	..	..	(१) शादी
दिल्ली				(१) पनघट
				(२) पालकी
				(३) रथ
बम्बई	..	..	..	(१) दाल्दा
				(२) लोटस
				(३) सन फ्लावर
				(४) उम्दा
				(५) प्रभात
				(६) रेडियो
				(७) लायोन
				(८) स्वस्तिका
				(९) ग्वालिन
बिहार	..	..	..	(१) रोहतास
				(२) हनुमान
				(३) सैन्ड
पश्चिमी बंगाल	..	..	..	(१) रसोई
				(२) बैलून
कलकत्ता	..	..	..	(१) प्रसाद
				(२) कुसुम
मध्य प्रदेश	..	..	..	(१) वनसदा
मध्य भारत	..	..	..	(१) मालती
आन्ध्रा	..	..	..	(१) तुषार
पूर्वी पंजाब	..	..	..	(१) गोपाल

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर)

सूची

स्टाम्प का विवरण	कमीशन की दर १९४७ में पूर्व तथा बाद: उन स्थानों में जहां स्टाम्प सरकार द्वारा बेंचे जाते हैं			अन्य स्थानों मे		
	प्रतिशत			प्रतिशत		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
चिपकाये जाने वाले सामान्य स्टाम्प—						
आठ आने से अनधिक मूल्य के प्रति स्टाम्प के लिए ..	३	२	०	६	४	०
आठ आने से अधिक मूल्य के, पर ५ रु० से अनधिक मूल्य से प्रति स्टाम्प के लिए	१	९	०	३	२	०
*पांच रुपये से अधिक मूल्य के, पर ५० रु० (३ नवम्बर, १९४७ ई० के बाद ७५ रु०) से अनधिक मूल्य के प्रति स्टाम्प के लिए	१	९	०	१	९	०
मुद्रांकित काग़ज़ (सामान्य)—						
हुंडी स्टाम्प						
मुद्रांकित स्टाम्प कागज	३	२	०	६	४	०
कृषक अन्य पत्र जो विशेष चिपकाये जाने वाले लेबिलों से मुद्रांकित हो ..						
कोर्ट फ़ीस स्टाम्प—						
एक रुपये या उससे कम मूल्य के स्टाम्प	१	०	८	१	०	८
अपेक्षाकृत अधिक मूल्य के स्टाम्प ..						
नकल के फोलियो ..						
कोर्ट फीस लेबिल जिन पर शब्द 'केवल मकान के लिए' छपे हुए हों। ..	०	१२	६	०	१२	६

पर प्रतिबन्ध यह है कि निम्नलिखित के लिए कोई कमीशन न दिया जायगा :

(क) ऐसे स्टाम्पों को खरीदने के लिये जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ५० रु० (३ नवम्बर, १९४७ के बाद से ७५ रु०) से अधिक हो और न किसी ऐसे स्टाम्प के लिये कमीशन दिया जायगा, जिसे खरीदार ने स्वयं किसी कागज के साथ प्रस्तुत किया हो।

(ख) जब तक कि कुल मिला कर कम से कम संख्या में एक बार में ५ रु० से कम मूल्य के स्टाम्प खरीदे न गये हों।

(ग) रुपये के किसी भिन्न पर, और

(घ) चिपकाये जाने वाले एक आने के रसीदी टिकट की खरीद के लिए।

*इसके अतिरिक्त १९४७ या उसके बाद कोई तबदीली नहीं हुई।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १९२ एल० ए०—१९५६—७९६।